



**उत्तर प्रदेश पुलिस
उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस
(सीधी भर्ती/मृतक आश्रित)
आधारभूत प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम
2024**

अवधि-12 माह

**उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय
लखनऊ।**

अनुक्रणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं०
1.	संस्था में आगमन	1
2.	आवास	2-3
3.	भोजन व्यवस्था	3
4.	परिधान	3
5.	विशेष सेवाओं के लिए कटौती	3
6.	दिवसाधिकारी	3
7.	रात्रि गणना	3-4
8.	चिकित्सा सुविधा	4
9.	मनोरंजन	4
10.	खेल-कूद	4
11.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	4
12.	पुस्तकालय एवं वाचनालय	5
13.	सूचना पट्ट	5
14.	सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका	5
15.	मासिक सम्मेलन	5
16.	श्रमदान एवं वृक्षारोपण	5
17.	अवकाश एवं अनुपस्थिति	5-6
18.	महिला प्रशिक्षु द्वारा गर्भ धारण	7
19.	प्रशिक्षु के लिए अनुशासन सम्बन्धी निर्देश	7-8
20.	प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण संस्थान में अपचार	8-9
21.	संस्था में कारित अपचार के सम्बन्ध में दण्ड देने विषयक प्राविधान	9-10
22.	प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण	10-11
23.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की उपलब्धता	11
24.	व्यवहारिक प्रशिक्षण	11-12
25.	प्रशिक्षण के दौरान शान्ति व्यवस्था ड्यूटी	12
26.	प्रशिक्षकों के लिए निर्देश	12-14
27.	परीक्षा का संक्षेप	15
28.	पुरस्कार	15-16
29.	फीडबैक	16
30.	मॉडल पुलिस थाना	16

31.	प्रशिक्षण की रूपरेखा	16
32.	सम्पूर्ण प्रशिक्षण के दिवस एवं कालांशो की गणना	17
33.	सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के कालांश एवं अंक (एक दृष्टि में)	17
34.	अन्तःकक्षीय मध्यवर्ती एवं अन्तिम परीक्षा हेतु विषयवार अंको का निर्धारण	18
35.	अन्तिम परीक्षा के विषयों, अंको एवं कालांशो का मॉड्यूलवार विस्तृत विवरण	19
	अ- आन्तरिक विषयों हेतु	19-21
	ब- बाह्य विषय हेतु	21-23
	स- साक्षात्कार हेतु	24
36.	व्यवहारिक प्रशिक्षण	24-25
	(अ) व्यवहारिक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर स्थानीय भ्रमण)	24-25
	(ब) व्यवहारिक प्रशिक्षण (जनपदीय स्तर पर)	25
37.	परिशिष्ट -1 अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विस्तृत विषय वस्तु	26-67
38.	परिशिष्ट -2 बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विस्तृत विषय वस्तु	68-94
39.	परिशिष्ट -3 संवेदीकरण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	95-97
40.	परिशिष्ट -4 प्रशिक्षु, प्रशिक्षक एवं संस्था का फीडबैक प्रारूप	98-100

प्रस्तावना

उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस का पद पुलिस विभाग में परिचालन (Operations) के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण पद है। इस स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति 02 प्रकार से होती है - 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती / मृतक आश्रित द्वारा तथा 50 प्रतिशत पद मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस की प्रोन्नति द्वारा। प्रस्तुत पाठ्यक्रम उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस (सीधी भर्ती / मृतक आश्रित) आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 12 माह है।

सामान्य निर्देश

उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस (सीधी भर्ती / मृतक आश्रित) प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2015 के नियम 19 के अनुसार कराया जायेगा।

1. संस्था में आगमन

- (i) प्रशिक्षण संस्थान में आगमन के दिनांक से प्रशिक्षु को प्रशिक्षण पूर्ण करने तक प्रशिक्षणाधीन प्रशिक्षु को उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस (एस.आई.सी.पी.) कैडेट के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
- (ii) एस.आई.सी.पी. प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण केन्द्र में आगमन के पूर्व ही एक स्वागत कक्ष की स्थापना की जायेगी। इसमें समुचित पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी।
- (iii) स्वागत कक्ष में प्रशिक्षुओं के आमद के सम्बन्ध में संस्था प्रमुख द्वारा निर्गत आदेश-निर्देश नोटिस बोर्ड पर प्रशिक्षुओं की सुविधा हेतु चरपा किये जायेगे।
- (iv) स्वागत कक्ष में आगमन के समय प्रशिक्षुओं के लिए चाय, पानी आदि की व्यवस्था की जायेगी, जिसका व्यय प्रशिक्षुओं के मेस कटिंग में सम्मिलित किया जायेगा।
- (v) स्वागत कक्ष में नियुक्त किये गये कर्मी, प्रशिक्षुओं को पूर्व से आंवटित छात्रावास एवं भोजनालय की जानकारी देंगे।
- (vi) भोजन व्यवस्था के लिए मेस एडवांस के रूप में संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित धनराशि प्रशिक्षुओं से जमा करायी जायेगी। प्राप्त धनराशि की रसीद प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रदान की जायेगी।
- (vii) स्वागत कक्ष में ही प्रशिक्षुओं के नामिनल रोल फार्म भरवाये जायेंगे, जिस पर एक नवीनतम फोटो भी लगवाया जायेगा एवं अभिलेखों की चेकिंग व मिलान किया जायेगा। प्रशिक्षुओं के आगमन पर उनका बायोमैट्रिक लिया जाएगा जिनका मिलान उनके भर्ती परीक्षा में लिए गये बायोमैट्रिक से किया जाएगा।

- (viii) आमद के समय सभी प्रशिक्षुओं का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लिया जायेगा।
- (ix) प्रशिक्षुओं की शारीरिक नाप-तौल, ऊंचाई, वजन, कमर (नाभि के स्तर पर) सैन्य सहायक / एच.डी.आई. द्वारा सम्पादित की जायेगी, जिसका उल्लेख शारीरिक नाप-तौल रजिस्टर में किया जायेगा।
- (x) प्रशिक्षण के प्रारम्भ में "जीरो परेड" आयोजित की जायेगी। समस्त प्रशिक्षुओं के आगमन के प्रथम 03 दिवस में सैन्य सहायक व एच.डी.आई. द्वारा प्रशिक्षुओं को टोलियों में विभक्त कर जीरो परेड करायी जायेगी, जिसमें संस्थान परिसर की पूर्ण जानकारी करायी जायेगी। सैन्य सहायक व एच.डी.आई. द्वारा परिसर का भ्रमण अपने नेतृत्व में कराया जायेगा। इस अवधि में प्रशिक्षुओं के साथ Ice Breaking Exercise का आयोजन किया जायेगा। "जीरो परेड" की अवधि में प्रशिक्षुओं को गहन प्रशिक्षण न देकर पुलिस विभाग के परिवेश से परिचित कराया जायेगा, जिसमें मुख्य रूप से प्रशिक्षण का महत्व, पुलिस विभाग में अनुशासन की आवश्यकता तथा परेड ग्राउण्ड, गणना स्थल, भोजनालय एवं बैरक आवास के अनुशासन का ज्ञान कराया जायेगा।
- (xi) प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रकार के आदेशों/ निर्देशों से अवगत कराने हेतु एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप/ टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया जायेगा, जिसके ग्रुप एडमिन सैन्य सहायक, अन्तःकक्ष प्रभारी, एच.डी.आई., शिविरपाल, सूबेदार मेजर, हवलदार मेजर होंगे। सैन्य सहायक इस ग्रुप में अनुशासन बनाये रखने के उत्तरदायी होंगे।

नोट- प्रशिक्षुओं की शारीरिक नाप-तौल, ऊंचाई, वजन, कमर (नाभि के स्तर पर) सैन्य सहायक/ एच.डी.आई. द्वारा प्रत्येक माह ली जायेगी और उसकी प्रविष्टि शारीरिक नाप तौल रजिस्टर में की जायेगी। इस नाप-तौल का उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु की शारीरिक फिटनेस में प्रशिक्षण के प्रभाव स्वरूप सुधार हो रहा है या नहीं। महिला प्रशिक्षु के हीमोग्लोबिन टेस्ट समय-समय पर संस्था द्वारा कराये जायेंगे।

2. आवास

सभी प्रशिक्षुओं को संस्था परिसर में छात्रावासों में आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। सभी प्रशिक्षु, प्रशिक्षण अवधि में उक्त आवंटित छात्रावासों में ही आवासित होंगे। किसी भी परिस्थिति में उक्त अवधि में प्रशिक्षुओं को संस्था परिसर से बाहर रहने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। संस्था द्वारा छात्रावास में पर्याप्त रोशनी हेतु एल.ई.डी. बल्ब, ट्यूब लाइट तथा पंखे, पलंग / तख्त की व्यवस्था की जायेगी। छात्रावास में प्रशिक्षु के किसी रिश्तेदार, मित्र, परिचित इत्यादि को ठहरने की अनुमति नहीं होगी।

3. भोजन व्यवस्था

- (i) समस्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण केन्द्र के अन्दर उनके लिए निर्धारित भोजनालय में ही

भोजन करना अनिवार्य होगा।

- (ii) भोजन करते समय भोजनालय में संस्था द्वारा निर्धारित पोशाक पहनी जायेगी।
- (iii) मेस का पूर्ण संचालन स्वयं प्रशिक्षुओं द्वारा अपने ही बीच में से चयनित मेस प्रबन्धन समिति द्वारा किया जायेगा। यह मेस प्रबन्धन समिति सत्र निदेशक की देख-रेख में 01 माह के लिए बनायी जायेगी।
- (iv) भोजन, भोजनालय के डायनिंग हाल में बैठकर किया जायेगा। भोजनालय से भोजन ले जाकर छात्रावास में या अन्यत्र भोजन करने की अनुमति नहीं होगी।

4. परिधान

प्रत्येक प्रशिक्षु को मौसम के अनुसार परेड / पी.टी. / विद्यालय में निर्धारित वर्दी पहननी होगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्लास में ग्रीष्म ऋतु में प्रशिक्षु निर्धारित सादा परिधान सफेद पूरी बांह की शर्ट, काली पैन्ट, काली बेल्ट, काले मोजे व काले जूते (आक्सफोर्ड) धारण करेंगे। शीतकालीन परिधान में उपरोक्त ग्रीष्मकालीन परिधान के अतिरिक्त नेवी ब्लू ब्लेजर भी पहना जाएगा।

5. विशेष सेवाओं के लिए कटौती

संस्था प्रमुख द्वारा संस्था कटिंग के रूप में जो भी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी वे लाभ / हानि रहित (No Profit No Loss) होंगी। वह सुविधाएँ जिनका भुगतान सामूहिक रूप से किया जाना है। संस्था प्रमुख द्वारा सत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें प्रशिक्षु भी शामिल होंगे, द्वारा विभिन्न कटौतियों की राशि प्रस्तावित की जायेगी, जिसे संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित की जायेगी।

6. दिवसाधिकारी

संस्था में प्रतिदिन एक वाह्य विषय का प्रशिक्षक दिवसाधिकारी (Day Officer) के रूप में नियुक्त किया जायेगा। यह संस्थान में नियुक्त/ कार्यरत प्रशिक्षक को ही नियुक्त किया जायेगा, जिसके निम्न कर्तव्य होंगे-

1. प्रशिक्षुओं से भोजन के समय भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन कराना।
2. विद्यालय के समय प्रशिक्षुओं को एकत्रित कर गणना करना तथा उन्हें अन्तः कक्षाओं में पहुँचाना और उपस्थिति का स्टेटमेन्ट अन्तः कक्ष प्रभारी को उपलब्ध कराना।
3. प्रतिदिन प्रशिक्षण के दौरान बीमारी / दुर्घटना इत्यादि की स्थिति में एच.डी.आई. / सैन्य सहायक को सूचित कर तत्काल चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
4. प्रतिदिन रात्रि गणना पर उपस्थित रहना।

7. रात्रि गणना

प्रशिक्षुओं की रात्रि गणना प्रतिदिन सूबेदार मेजर के द्वारा एच.डी.आई. की उपस्थिति में ली जायेगी। किसी भी प्रशिक्षु को रात्रि गणना से छूट नहीं प्रदान की जायेगी। एच.डी.आई. द्वारा रात्रि

गणना की कुशलता रिपोर्ट सैन्य सहायक को देंगे। कोई भी उल्लेखनीय बात तत्काल एच.डी.आई. / सैन्य सहायक के द्वारा उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लायी जायेगी। सैन्य सहायक सप्ताह में कम से कम 3 बार अपनी उपस्थिति में रात्रि गणना करायेगें। प्रशिक्षण अवधि में आकस्मिक रोल कॉल सैन्य सहायक द्वारा संस्था प्रमुख की अनुमति से माह में कम से कम एक बार ली जायेगी।

8. चिकित्सा सुविधा

समस्त प्रशिक्षुओं को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। विशेष दशा में चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर अन्यत्र उपचार की व्यवस्था करायी जायेगी एवं जो प्रशिक्षण संस्थान चिकित्सालय काफी दूर स्थित होगा, वहाँ पर प्रशिक्षु के उपचार हेतु संस्था प्रमुख सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्पर्क करके उपचार की व्यवस्था करायेगें।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रति 03 माह के अन्तराल पर अनिवार्य रूप से मेडिकल कैम्प लगाकर प्रशिक्षुओं का रूटीन मेडिकल परीक्षण (ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्राम आदि) कराया जायेगा एवं समस्त प्रशिक्षुओं का चार्ट तैयार किया जायेगा। महिला प्रशिक्षुओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।

9. मनोरंजन

संस्था में प्रशिक्षुओं के मनोरंजन के लिए मनोरंजन-गृह में टेलीविजन तथा इन्डोर गेम्स यथा टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, चेस व बैडमिंटन इत्यादि की व्यवस्था होगी। प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास में एक हिन्दी व एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र स्टैंड पर लगाकर पढ़ने के लिए व्यवस्था की जायेगी।

10. खेल-कूद

प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि में खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। सैन्य सहायक खेल-कूद के लिए बालीबॉल, फुटबॉल, बास्केट बॉल, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती तथा तैराकी आदि हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सैन्य सहायक प्रशिक्षण अवधि में इंडोर व आउटडोर खेलकूदों की प्रतियोगिता आयोजित करायेगें और प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत किया जायेगा। प्रशिक्षण के प्रारम्भ में ही सैन्य सहायक, सत्र निदेशक से परामर्श कर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए कार्यक्रम तैयार कर संस्था प्रमुख से अनुमोदित करायेगें तथा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार इन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।

11. सांस्कृतिक कार्यक्रम

प्रशिक्षण अवधि के मध्य अकार्य दिवसों में प्रशिक्षुओं से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं तथा निबन्ध प्रतियोगिता आदि में प्रतिभाग कराया जायेगा। सत्र निदेशक / सैन्य सहायक, संस्था प्रमुख के अनुमोदनोपरान्त इन कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा। प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षुओं में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत किया जायेगा।

12. पुस्तकालय

संस्था में एक पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक पुस्तकों तथा विभागीय ज्ञान से संबन्धित पत्रिकाएँ इत्यादि रखी जायेंगी।

13. सूचना पट्ट

संस्था में प्रशिक्षुओं के बैरक के निकट, गणना स्थल तथा अन्तःकक्ष में एक-एक सूचना पट्ट की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें प्रशिक्षुओं से सम्बन्धित सूचनाएं एवं आवश्यक आदेश / निर्देश एवं साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चरपा किये जायेंगे।

14. सुझाव / शिकायती पत्र पेटिका

- (i) संस्था में प्रशिक्षुओं के छात्रावास के निकट एक सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका रखी जायेगी, जिसमें प्राप्त सुझाव एवं शिकायतों का निराकरण संस्था के प्रभारी द्वारा स्वयं किया जायेगा।
- (ii) संस्था प्रमुख द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी द्वारा यह पेटिका प्रतिदिन खोली जायेगी।
- (iii) सभी सुझाव/ शिकायतों को क्रमवार एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा एवं उसी में कृत कार्यवाही भी दर्ज की जायेगी जिसे प्रत्येक शुक्रवार को संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

15. मासिक सम्मेलन

प्रत्येक माह संस्था प्रमुख द्वारा मासिक सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। सम्मेलन में प्रशिक्षुओं से समस्याओं एवं प्रशिक्षण के संबन्ध में संस्था प्रमुख द्वारा वार्ता की जायेगी। संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु सुझाव भी प्राप्त किये जायेंगे। सम्मेलन में उठाई गयी समस्याओं एवं सुझावों के सम्बन्ध में एक रजिस्टर बनाया जायेगा और अगले सम्मेलन में उनके निराकरण / कृत कार्यवाही का विवरण अंकित कर संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

16. श्रमदान एवं वृक्षारोपण

पुलिस विभाग में श्रमदान की एक दीर्घकालीन सुस्थापित परम्परा है। यह टीम भावना तथा संस्था / इकाई से लगाव / अपनत्व बढ़ाने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। प्रशिक्षुओं से श्रमदान एवं वृक्षारोपण का कार्य केवल बृहस्पतिवार एवं द्वितीय शनिवार को पूर्वान्ह में ही कराया जायेगा, जिसमें उनसे परेड ग्राउण्ड, बैरक एरिया, क्वार्टर गार्ड, गार्डन आदि की सफाई व रख-रखाव का कार्य कराया जा सकेगा। कार्य दिवसों में बाह्य एवं अंतः विषयों के कालांशों में कोई श्रमदान एवं वृक्षारोपण नहीं कराया जायेगा।

17. अवकाश एवं अनुपस्थिति

- (1) आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि में किसी भी प्रशिक्षु को सामान्य रूप से कोई

अवकाश नहीं दिया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को अधिकतम 12 दिवस आकस्मिक अवकाश देय होगा।

- (2) यदि कोई प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि में अनावश्यक रूप से आदतन सिक परेड में खड़ा होता है, जिससे उसकी प्रशिक्षण में अरुचि प्रदर्शित होती है तो प्रशिक्षु का यह आचरण अनुशासनहीनता माना जायेगा।
- (3) यदि कोई प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि में अनावश्यक या अनुचित रूप से अनुपस्थित होगा अथवा बिना अनुमति के प्रशिक्षण केन्द्र से अनुपस्थित होगा या अवकाश पर जाने पर बिना उचित या अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होगा अथवा झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो ऐसे प्रशिक्षु की इस अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जायेगा।
- (4) यदि अपरिहार्य कारणों से कोई प्रशिक्षु पूरे प्रशिक्षण अवधि में कुल 45 कार्य दिवस तक अवकाश से अनुपस्थित हो जाता है तो उसके प्रभावित कालांशों की पूर्ति प्रचलित प्रशिक्षण सत्र में कराकर अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु चोट इत्यादि के कारण यदि 45 कार्य दिवस तक की कुल अवधि तक अन्तः कक्षीय कालांशों में उपस्थिति हो परन्तु सिर्फ बाह्य कक्षीय कालांशों से अनुपस्थिति हो तो उस दशा में “काम नहीं तो दाम नहीं” का सिद्धान्त प्रभावी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उसके बाह्य कक्षों के प्रभावित कालांशों की पूर्ति नियमानुसार करायी जायेगी। ऐसी दशा में प्रशिक्षु की संस्था से अनुपस्थिति नहीं मानी जायेगी।
- (5) पूरे प्रशिक्षण काल में कुल 45 कार्य दिवस से अधिक एवं 90 कार्य दिवस तक किसी भी अपरिहार्य कारणवश अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षु को अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा परन्तु ऐसे प्रशिक्षु को संस्था में रहने दिया जायेगा एवं ऐसे प्रशिक्षु की परीक्षा 03 माह के पूरक प्रशिक्षण के उपरान्त आयोजित परीक्षा के समय ली जायेगी।
- (6) किसी भी कारण से यदि किसी प्रशिक्षु की प्रशिक्षण से अनुपस्थित अवधि 90 कार्य दिवस से अधिक होती है तो प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उस प्रशिक्षु को उसी समय प्रशिक्षण से वापस कर देंगे। ऐसे प्रशिक्षु के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्था प्रमुख एक जांच रिपोर्ट पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवगत कराते हुए पुलिस महानिदेशक मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। इस मामले में अग्रिम प्रशिक्षण से सम्बन्धित निर्णय पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लिया जायेगा।
- (7) संस्था प्रमुख द्वारा अपने विवेक से प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान सामूहिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा, परन्तु यह अवधि पूरे प्रशिक्षण अवधि में 04 कार्य दिवस से अधिक की नहीं होगी। सामूहिक अवकाश, प्रशिक्षु को देय 12 दिवस आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगा।

18. महिला प्रशिक्षु द्वारा गर्भ धारण

- (1) आगमन के समय प्रत्येक महिला प्रशिक्षु इस बात का घोषणा पत्र देगी कि वह गर्भवती नहीं है तथा यदि प्रशिक्षण के दौरान गर्भवती होती है, तो उसको तत्काल प्रशिक्षण से वापस कर दिया जायेगा।
- (2) ऐसी गर्भवती महिलाओं को शेष प्रशिक्षण उनके प्रसूति की तिथि के एक वर्ष बाद आगामी प्रशिक्षण सत्र के साथ कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी। परन्तु यदि प्रशिक्षण की अवधि 06 माह से कम रही हो तो पूरा प्रशिक्षण पुनः करना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण की अवधि 06 माह या उससे अधिक की हो गयी हो, तो शेष प्रशिक्षण उसी स्तर से पुनः आरम्भ होगा जहाँ से छोड़ा गया था एवं यह प्रशिक्षण निदेशालय के आदेश के उपरान्त अगले बैच के साथ कराया जायेगा।
- (3) यदि किसी महिला को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक वर्ष के अन्दर प्रसव हुआ है तो प्रशिक्षण में शामिल होने के पूर्व उसे अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रशिक्षण हेतु फिट होने का प्रमाणपत्र देना होगा। राज्य से बाहर की निवासी महिला को यह प्रमाणपत्र संबन्धित प्रशिक्षण संस्थान के जनपद में स्थित मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राप्त करना होगा। यदि किसी महिला को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के पहले अथवा प्रशिक्षण के दौरान गर्भपात हो जाता है तो प्रशिक्षण में शामिल होने के पूर्व उसे अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से / यदि वह राज्य से बाहर की निवासिनी है तो उसे यह प्रमाणपत्र संबन्धित प्रशिक्षण संस्था के जनपद में स्थित मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रशिक्षण हेतु फिट होने का प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगा।
- (4) प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर नियमानुसार विशाखा कमेटी / इन्टर्नल कम्प्लेन्ट्स कमेटी(आई.सी.सी.) का गठन किया जायेगा।

19. प्रशिक्षु के लिए अनुशासन सम्बन्धी निर्देश

- (1) प्रशिक्षु का आचरण उच्चकोटि का होना चाहिए, जिससे संस्था में अनुशासन सुदृढ़ रहे।
- (2) प्रशिक्षु, संस्था के सभी कार्यक्रमों में समयबद्धता एवं नियमों का ध्यान रखेगा।
- (3) प्रशिक्षु व्यक्तिगत सफाई, सामाजिक व्यवहार, शिष्टाचार, मर्यादा और सत्यनिष्ठा का विकास करेगा।
- (4) प्रशिक्षु अपने सहयोगियों, संस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं अतिथियों के साथ संस्था के भीतर व संस्था के बाहर शिष्ट व्यवहार करेगा।
- (5) प्रशिक्षु भोजनालय, मनोरंजन कक्ष, छात्रावास आदि में तेज ध्वनि से म्यूजिक नहीं बजायेगा और न ही तेज स्वर में बात करेगा।
- (6) संस्था में धूम्रपान करना वर्जित है। संस्था परिसर में मदिरापान, नशीले पदार्थों का सेवन, तम्बाकू, गुटका व पान मसाले का सेवन एवं किसी भी प्रकार का भोजन

बनाना पूर्णतः वर्जित होगा।

- (7) प्रशिक्षु वरिष्ठ अधिकारियों से पत्र व्यवहार उचित माध्यम से ही कर सकेगा।
- (8) सभी प्रशिक्षु क्लास में नियत समय से 05 मिनट पूर्व बैठ जाएंगे।
- (9) प्रशिक्षुओं को यह सलाह दी जाती है कि वे बहुमूल्य आभूषण और अधिक नकदी छात्रावास में न रखें, बल्कि बैंक / पोस्ट ऑफिस में रखें।
- (10) वाह्य प्रशिक्षण के दौरान घड़ी, चेन, अंगूठी तथा अन्य आभूषण पहनना वर्जित है।
- (11) किसी आपात स्थिति में अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण के दौरान यदि प्रशिक्षु को अन्तः कक्ष से बाहर तथा संस्था परिसर के अन्दर किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वह इण्डोर प्रभारी की अनुमति से जा सकेगा।
- (12) संस्था परिसर से बाहर बिना अनुमति के जाना वर्जित है। अवकाश के दिन सैन्य सहायक की पूर्व अनुमति से ही प्रशिक्षु अनुमति के समय के अनुसार नामित प्रशिक्षक के साथ दैनिक आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी के लिए स्थानीय बाजार जा सकेंगे। किसी भी प्रशिक्षु को संस्था परिसर से बाहर स्थानीय बाजार में अकेले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- (13) समस्त प्रशिक्षु संस्था के नियमों व संस्था के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन करेंगे।
- (14) यदि कोई प्रशिक्षु, संस्था प्रमुख से उनके कार्यालय में मिलना चाहेगा तो वह एच.डी.आई. / सैन्य सहायक के माध्यम से संस्था के पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेकर कार्य दिवस में मिल सकेगा।
- (15) प्रशिक्षु का संस्था के प्रशिक्षकों/ स्टाफ के सदस्यों के निवास स्थान पर जाना वर्जित है।

20. प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण संस्थान में अपचार

प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षुओं द्वारा कारित अपचार निम्न प्रकार के होंगे-

- (i) कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता, उपेक्षा अथवा विफलता।
- (ii) संस्थान के संकाय सदस्यों / प्रशिक्षण स्टाफ / कर्मचारियों पर हमला, आपराधिक बल, आपराधिक अभिप्रास जैसे अन्य आपराधिक कार्य करना। इन शब्दों के वही अर्थ होंगे जैसा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है।
- (iii) संस्थान में महिलाओं के संदर्भ में लैंगिक उत्पीड़न जैसे कार्य करना। लैंगिक उत्पीड़न का वही अर्थ होगा जैसा कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं प्रतिषेध) अधिनियम, 2013 में परिभाषित है।
- (iv) हड़ताल का दुष्प्रेरण, प्रदर्शन या प्रदर्शन जनित अन्य कार्य।
- (v) सोशल मीडिया पर राजनैतिक, अनैतिक एवं उपखंड (iv) जैसे संदेशों को प्रसारित करना।
- (vi) पूर्व के आपराधिक इतिहास को छुपाकर नौकरी पाना।
- (vii) अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिये स्वयं को जानबूझकर अयोग्य कर लेना।

- (viii) अनुशासनहीनता/अवज्ञा जनित कोई कार्य करना।
- (ix) अभद्र एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना।
- (x) शराब या अन्य मादक पदार्थ का सेवन करना।
- (xi) सार्वजनिक आमोद-प्रमोद एवं अन्य ऐसे कार्य कारित करना जिसे संस्था प्रमुख द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों-निर्देशों द्वारा वर्जित किया गया हो।

21. संस्था में कारित अपचार के सम्बन्ध में दण्ड देने विषयक प्राविधान

- (A) प्रशिक्षण संस्थान में किसी प्रशिक्षु द्वारा बिन्दु 20 में वर्णित अपचार कारित करने के सम्बन्ध में संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षु द्वारा कारित अपचार की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न कार्यवाही की जा सकेगी-
- (i) प्रचलित प्रशिक्षण सत्र से निलम्बन एवं निष्कासन (Suspension and Expulsion)–इस प्रकार के प्रकरण में निर्णय संस्था प्रमुख द्वारा लिया जायेगा यदि कहीं पर पुलिस उपमहानिरीक्षक से निम्न स्तर के संस्था प्रमुख है तो उक्त प्रकरण में पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 - (ii) सेवा से हटाया जाना (Removal from service)-
यदि संस्था प्रमुख की राय में वह अपचार इस श्रेणी का है कि सम्बन्धित प्रशिक्षु दक्ष पुलिस उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्त होने के योग्य न हो – इस प्रकार के प्रकरण में निर्णय संस्था प्रमुख की आख्या पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा यदि कहीं पर पुलिस उपमहानिरीक्षक से निम्न स्तर के संस्था प्रमुख है तो उक्त प्रकरण में पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (B) जो प्रशिक्षु बिन्दु संख्या 20 में वर्णित अपचार के दोषी पाये जायेंगे, उन्हें संस्था प्रमुख द्वारा निम्न में से एक या सभी दण्डों को अधिरोपित किया जा सकता है:-
- (i) मानदेय/वेतन में अधिकतम 50% तक कटौती।
 - (ii) अतिश्रम (Fatigue) / अतिरिक्त परेड / अतिरिक्त पहरा।
 - (iii) मौखिक भर्त्सना (Reprimand) / डिफाल्टर / चेतावनी।
- (C) उपरोक्त बिन्दु संख्या 20 में वर्णित अपचार के मामले में दण्ड का निर्धारण संस्था प्रमुख द्वारा मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, गम्भीरता एवं पूर्व में अधिरोपित दण्ड के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।
- (D) बिन्दु संख्या 20 के अन्तर्गत अपचार के मामले में कार्यवाही से पूर्व-
- (i) संस्था प्रमुख द्वारा सम्बन्धित अपचार के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से जांच अधिकतम 07 दिवस के अन्दर करा ली जायेगी।
 - (ii) उपरोक्त बिन्दु संख्या 21(A) के मामले में संस्था प्रमुख द्वारा प्रकरण की रिपोर्ट तैयार कर प्रशिक्षण निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित की जायेगी।
 - (iii) उपरोक्त बिन्दु संख्या 21(A) के अन्तर्गत आदेशित अपचारी प्रशिक्षु को

उसके गृह जनपद भेज दिया जायेगा।

- (iv) आशंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि बिन्दु संख्या 21 की समस्त कार्यवाही में संस्था प्रमुख के निष्कर्ष को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी।

(E) संस्था के उपप्रमुख की शक्तियाँ – दण्ड तथा अवकाश के सम्बन्ध में उपप्रमुख की वही शक्तियाँ होंगी जो संस्था प्रमुख द्वारा अधिकृत की जायें।

22. प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण

प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय से अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार संस्था प्रमुख के निकट पर्यवेक्षण में प्रदान किया जायेगा। संस्था प्रमुख प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक राजपत्रित अधिकारी को सत्र निदेशक नियुक्त करेंगे, जिसके निम्न कर्तव्य होंगे-

- (i) प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्तः एवं बाह्य कक्षीय पाठ्यक्रम को सम्बन्धित संस्था द्वारा विषयवार निर्धारित कालांशों के कार्य दिवसों के अनुसार इंडोर प्रभारी व सैन्य सहायक के सहयोग से तैयार करवाना एवं इसका क्रियान्वयन कराना।
- (ii) निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अन्तः कक्ष एवं बाह्य कक्ष के प्रशिक्षकों को संस्था प्रमुख से अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्त करना।
- (iii) अन्तः कक्षीय एवं बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण में अनुशासन बनाये रखने के लिए मॉनीटर/कमाण्डर नियुक्त करना एवं कक्षा में नियुक्त किये गये मॉनीटर/कमाण्डर की सूची अन्तः कक्ष प्रभारी को उपलब्ध कराना।
- (iv) प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित एल0एम0एस0 पोर्टल, ई-लर्निंग के माध्यम से विभिन्न विषयों की जानकारी देना एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, लेख, अभिलेख उपलब्ध कराना।
- (v) प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ एवं समापन संस्था प्रमुख द्वारा/उनके निर्देशानुसार किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराना।
- (vi) प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार मध्यावधिक एवं अन्तिम परीक्षाओं की समस्त व्यवस्था संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार एवं अनुमोदन के उपरान्त समय पर कराना।
- (vii) प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी प्रशिक्षुओं के ठहरने एवं उनके भोजन आदि की व्यवस्था हेतु शिविरपाल को निर्देशित करते हुए समय से व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
- (viii) प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं में से ही प्रत्येक माह मेस प्रबन्धक नियुक्त करना। मेस मीटिंग प्रत्येक माह की अन्तिम दिनांक को सैन्य सहायक की अध्यक्षता में की जायेगी, जिसमें अगले माह के लिए मेस मैनेजर व मेस कमेटी (क्रय समिति, आडिट समिति आदि) का चुनाव प्रशिक्षु करेंगे। मेस की खरीददारी के समय सैन्य सहायक द्वारा नामित प्रशिक्षक भी मेस प्रबन्धक के साथ जायेगा एवं खरीददारी के बाद साथ में वापस आयेगा। मेस से सम्बन्धित मेस मेन्यू एवं समस्त खर्च प्रत्येक माह की

प्रथम सप्ताह में सभी प्रशिक्षुओं के अवलोकनार्थ मेस नोटिस बोर्ड पर चरुपा किया जायेगा।

- (ix) यह सुनिश्चित करना कि मेस प्रबन्धक एवं मेस कमेटी प्रत्येक माह बदली जाये एवं ऐसे प्रशिक्षुओं को इसकी जिम्मेदारी दी जाये, जिन्हे पूर्व में यह जिम्मेदारी नहीं दी गयी हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षुओं को यह कार्य सीखने का अवसर मिल सके।
- (x) मेस मेन्यू मेस कमेटी द्वारा प्रत्येक सप्ताह निर्धारित की जाये, जिसे सत्र निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि इस मेन्यू में पौष्टिक आहार (Nutritious Meal) प्रदान किया जाये। आमागी सप्ताह का मेन्यू रविवार को मेस के नोटिस बोर्ड पर चरुपा कर दिया जाये।
- (xi) सत्र निदेशक प्रशिक्षुओं की कैम्पस में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर छात्रावास एवं अन्तः कक्ष का औचक निरीक्षण भी करेगे।
- (xii) अपरिहार्य स्थिति में कोर्स के प्रशिक्षुओं के संस्था से बाहर जाने की स्थिति में सैन्य सहायक द्वारा अनुमति से एचडीआई के द्वारा गेट पास निर्गत किया जायेगा, जो एक निश्चित अवधि (निर्धारित घण्टे) हेतु मान्य होगा।
- (xiii) प्रत्येक माह में किसी 02 रविवार को प्रशिक्षुओं को अलग अलग समूह में कुछ समय के लिए प्रशिक्षण केन्द्र से बाहर भेजा जा सकेगा, जिससे वह अपने आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी इत्यादि कर सकें। परन्तु इनकी वापसी रात्रि गणना से पहले सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रत्येक समूह के साथ संस्था /प्रशिक्षण केन्द्र का एक अराजपत्रित अधिकारी साथ जायेगा।

23. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की उपलब्धता

प्रत्येक प्रशिक्षु को पाठ्यक्रम की एक प्रति संस्था द्वारा निशुल्क (Free of Cost) उपलब्ध कराई जाएगी।

24. व्यवहारिक प्रशिक्षण

संस्था में आधारभूत प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षु जनपदों में 12 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सभी प्रशिक्षु व्यवहारिक प्रशिक्षण पंजिका बनायेंगे जिसमें दिनांक सहित प्रतिदिन के प्रशिक्षण का विवरण अंकित करेंगे। जनपदीय पुलिस अधीक्षक इन प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन इनके द्वारा संवेदीकरण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्राप्त किये अंकों एवं साक्षात्कार के द्वारा माह में एक बार करेंगे और उसकी टिप्पणी उनकी व्यवहारिक प्रशिक्षण पंजिका में करेंगे।

व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त परिक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक द्वारा प्रशिक्षुओं का साक्षात्कार लिया जायेगा (जिन जनपदों में कमिश्नरेट प्रणाली क्रियान्वित है वहां पर पुलिस आयुक्त / अपर पुलिस आयुक्त द्वारा प्रशिक्षुओं का साक्षात्कार लिया जायेगा)। जो प्रशिक्षु व्यवहारिक रूप से उप-निरीक्षक के पद का दायित्व संभालने हेतु उपयुक्त पाये जायें उन्हें एक उपयुक्तता प्रमाण – पत्र प्रदान किया जायेगा। इसकी एक प्रति उनकी चरित्र पंजिका में चरुपा होगी।

अनुपयुक्त पाये गये प्रशिक्षुओं की परीक्षा अवधि बढ़ायी जायेगी तथा 45 दिवस बाद

उनका साक्षात्कार लेकर पुनः उनकी उपयुक्तता देखी जायेगी। उपयुक्त पाये जाने पर ही उन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

व्यवहारिक प्रशिक्षण कर रहे प्रशिक्षुओं से रूटीन कार्य न लिया जाये। पर्यवेक्षण अधिकारी इन्हे अधिकाधिक सुयोग्य बनाने पर ध्यान दें।

25. प्रशिक्षण के दौरान शान्ति-व्यवस्था ड्यूटी

संस्था प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस महानिदेशक मुख्यालय अथवा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा लिखित आदेश के बिना प्रशिक्षुओं को शांति व्यवस्था ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इससे प्रशिक्षण प्रभावित होता है। केवल पुलिस महानिदेशक मुख्यालय अथवा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देश पर ही कानून व्यवस्था की ड्यूटी हेतु व्यवस्थापित कर सकेंगे।

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं की शान्ति व्यवस्था ड्यूटी के कारण प्रभावित कार्य दिवस के बराबर प्रशिक्षण अवधि बढ़ाये जाने का अधिकार प्रशिक्षण निदेशालय का होगा। यह कार्य सम्बन्धित संस्था प्रमुख के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त किया जायेगा।

26. प्रशिक्षकों के लिए निर्देश-

(क) सामान्य निर्देश-

1. प्रशिक्षुओं के आत्म-सम्मान को चोट न पहुँचने पाये। उन्हें स्वयं अपना तथा दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाये। आवश्यक है कि उनमें हीनभावना न पनपने पाये और यदि पूर्व से ऐसी भावना हो तो उसे निकाला जाये। एक आत्मसम्मान वाला उपनिरीक्षक ही नागरिकों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करेगा।
2. प्रशिक्षुओं में अपने कृत्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का साहस पैदा किया जाये। हानि की कीमत पर भी असत्य का सहारा न लेने की भावना जागृत की जाये।
3. प्रशिक्षुओं के अन्दर प्रजातांत्रिक मूल्यों, समता, बन्धुत्व तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता की भावना जागृत करना प्रशिक्षकों का प्रमुख दायित्व है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाये कि अशिष्ट/उद्धण्ड व्यवहार करने वाले व्यक्ति को भी बिना उत्तेजित हुये, शिष्ट शब्दों से वार्ता करके शान्त करने का कौशल उनमें आ जाये।
4. प्रशिक्षुओं को व्यक्तियों से सम्मानजनक व्यवहार का बोध एवं अभ्यास कराया जाये, चाहे वह व्यक्ति पीड़ित हो, अभियुक्त हो, घायल हो अथवा बन्दी हो। जिन व्यक्तियों के ऊपर बल प्रयोग किया जाये, उनके साथ भी शिष्ट एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाये। घायलों/शवों को उठाते/परिवहन करते समय व्यक्ति की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाये।
5. प्रशिक्षुओं में अपनी गलती होने पर क्षमा प्रार्थना करना/खेद व्यक्त करना आवश्यक है। नागरिकों को असुविधा होने पर भी क्षमा मांगना उच्चकोटि के शिष्टाचार का द्योतक है। उदाहरणार्थ-तलाशी लेने से पूर्व या गिरफ्तारी करते समय "क्षमा करियेगा / माफ करियेगा" इत्यादि संबोधन उचित हैं। नागरिकों को उनके द्वारा दिये गये किसी भी सहयोग के लिये धन्यवाद अवश्य दिया जाना चाहिए। इसका

बोध तथा अभ्यास प्रशिक्षुओं को कराया जाये।

6. प्रशिक्षण की कार्यप्रणाली (Methodology) के सम्बन्ध में निर्देश -प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षुओं को अध्ययन कराते समय निम्न विधियां प्रयोग में लायी जायेगी -

- (i) व्याख्यान (Lecture)
- (ii) समूह संवाद (Group Discussion) / पैनल डिस्कसन
- (iii) प्रदर्शन (Demo)
- (iv) सहभागी प्रशिक्षण (Participative Training)
- (v) अपराध दृश्य अनुकरण (Crime Scene Simulation)
- (vi) प्रशिक्षण फिल्म (Training Film)
- (vii) आडियो विजुअल के माध्यम से (Audio Visual)
- (viii) (Lec-Dem) के माध्यम से प्रजेन्टेशन

(ख) अन्तःकक्षीय प्रशिक्षकों के लिए निर्देश-

- 1. प्रशिक्षक प्रत्येक कालांश के लिए उच्चकोटि (प्रमाणित) पुस्तक से पाठ (Lesson plan) पहले ही तैयार कर लेंगे। जो भी प्रशिक्षक अथवा अतिथि प्रवक्ता कोई भी कक्षा लेंगे, उसके पूर्व क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसका एक सारांश बनाकर इण्डोर प्रभारी को पहले ही उपलब्ध करा देंगे।
- 2. प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि का कार्यक्रम तैयार करायेंगे तथा सप्ताहवार कार्यक्रम जारी करेंगे।
- 3. प्रशिक्षकों से अपेक्षा की जाती है, कि वह लेसन प्लान के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करें।
- 4. प्रशिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि कालांश के लिये उच्च कोटि (प्रमाणित) पुस्तक से पाठ पहले ही तैयार कर लें। प्रशिक्षक इसमें अपने व्यवहारिक व उपयोगी अनुभव का समावेश भी करें।
- 5. पाठ्य सामग्री, प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करा दी जाये, जिससे वे स्वयं तैयार होकर आयें और कक्ष प्रशिक्षण का पूर्ण लाभ उठा सकें।
- 6. विषय वस्तु स्लाइड व पिक्चर पर तैयार करें एवं यथासम्भव पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत करें। संस्था प्रमुख से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता चेक कराना सुनिश्चित करें।
- 7. प्रशिक्षु को व्यवहारिक ज्ञान, सुरक्षा/वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी व अन्य ड्यूटी आदि के पूर्व मौलिक सिद्धान्त समझाये।
- 8. ऐसे प्रश्न तैयार किये जायें, जिसके उत्तर में, पाठ के महत्वपूर्ण अंश सम्मिलित हों। पाठ को रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न दिया जाये।
- 9. सही वर्दी धारण करें, जिससे फुर्तीलापन प्रदर्शित हो एवं उसका रख-रखाव भी साफ-सुथरा हो।

10. प्रत्येक कालांश में प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय दें अर्थात् संदेहों को दूर करें।
11. मूल्यांकन में कम अंक पाने वाले प्रशिक्षणार्थियों पर विशेष ध्यान दें तथा तेजस्वी प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बढ़ायें। प्रशिक्षणार्थियों की व्यवसायिक दक्षता सुधारने में उनकी मदद करें।
12. ज्ञान जन सेवा के लिए है, अतः प्रत्येक विषय या अंश का क्रियात्मक अभ्यास अवश्य कराया जाए।

(ग) बाह्य कक्षीय प्रशिक्षकों के लिए निर्देश-

1. प्रशिक्षुओं का कवायद प्रशिक्षण, ड्रिल नर्सरी से कराया जायेगा।
2. सभी प्रशिक्षक परेड ग्राउण्ड अपनी टोली के साथ जायें एवं प्रशिक्षण उपरान्त परेड ग्राउण्ड से टोली के साथ ही वापस आयें।
3. कोई भी प्रशिक्षक परेड ग्राउण्ड पर साइकिल/ मोटर साइकिल/ गाड़ी से नहीं जायें।
4. प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करें कि परेड / खेलकूद के दौरान सभी प्रशिक्षु उपस्थित रहें।
5. टोली प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि टोली में कोई प्रशिक्षु बीमार होता है तो तत्काल इसकी सूचना नियमानुसार उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी।
6. पाठ को सुविधाजनक भागों (कालांशों) में विभाजित करें तथा सबक चलायें।
7. विषय के अनुसार हिन्दी/ अंग्रेजी में व्याख्या करें।
8. अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन द्वारा नमूना दें।
9. विभिन्न हरकतों को एक-एक करके प्रत्येक प्रशिक्षु से कराया जाय, ताकि उसको पूरा ज्ञान हो सके।
10. प्रत्येक प्रशिक्षु की त्रुटियों को व्यक्तिगत रूप से नाम से पुकार कर सही करें। अनावश्यक टीका-टिप्पणी न करें, जब तक कि प्रत्येक प्रशिक्षु उससे भिन्न न हो जाये कि सही क्या है, तब तक अतिरिक्त समय में विशेष कालांश में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करें इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रशिक्षुओं का मनोबल न गिरने पाये।
11. वर्ड ऑफ कमाण्ड तेज व साफ शब्दों में दें।
12. शारीरिक प्रशिक्षण के पाठ इस प्रकार सिखायें जो उसके पूरे जीवन के लिए लाभकारी हों।
13. विभिन्न खेलों, तैराकी, एथलेटिक्स व कठिन बाधाओं को पार करने में रुचि उत्पन्न करायें।
14. प्रशिक्षणार्थियों की रुचि के अनुसार जूडो-कराटे/कुश्ती/बाक्सिंग आदि विभाजित कर टोलियों में आयोजित करायें। बाह्य विषयों के प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा नामित बाह्य प्रशिक्षण प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

27. परीक्षा प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

- (i) पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ०प्र० द्वारा केन्द्रीय रूप से मध्यावधि एवं अन्तिम परीक्षा आयोजित कराई जायेगी। अन्तः कक्षीय विषयों की मध्यावधि एवं अन्तिम परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा निबन्धात्मक (Essay Type) प्रकार की होगी। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ०प्र० द्वारा परीक्षा के सम्पादन हेतु एक परीक्षा समिति गठित की जायेगी।
- (ii) प्रशिक्षण के छठवें माह में मध्यावधि एवं बारहवें माह में अन्तिम परीक्षा आयोजित की जायेगी। मध्यावधि परीक्षा तक सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का न्यूनतम 50 प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाये। मध्यवर्ती परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। मध्यावधि परीक्षा में जितने पाठ्यक्रम में से प्रश्न पूछे जायेंगे उस पाठ्यक्रम में से अन्तिम परीक्षा में प्रश्न न पूछे जायें।
- (iii) (अ) उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः एवं बाह्य विषयों के प्रत्येक प्रश्नपत्र के सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक दोनों में अलग-अलग 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।
(ब) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडिटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ०प्र० द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप कराया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण / परीक्षा उन्हीं विषयों की करायी जायेगी, जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहें हों।
(स) किसी भी विषय की परीक्षा में नकल करते हुये पकड़े जाने पर प्रशिक्षु की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त मानी जाएगी और प्रशिक्षु को तत्काल प्रशिक्षण से वापस कर दिया जायेगा। प्रकरण की विस्तृत आख्या पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। इस कार्यवाही के उपरान्त यदि पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, लखनऊ द्वारा निर्णय लिया जाता है कि उसे सेवा में रखा जाना है तो उसका पूरक प्रशिक्षण कम से कम 03 माह का कराया जायेगा तथा प्रशिक्षण के उपरान्त सभी विषयों की परीक्षा पुनः संपादित कराई जायेगी।
(द) बाह्य विषयों की परीक्षाएँ संस्था प्रमुख अपने स्तर से किसी अन्य संस्था / इकाई के राजपत्रित अधिकारी द्वारा पूर्ण करायेंगे।
- (iv) उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की ज्येष्ठताक्रम का निर्धारण उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2015 के नियम 22 के अनुसार होगा।

28. पुरस्कार

प्रशिक्षण की समाप्ति पर निम्नलिखित पुरस्कार/ प्रशस्ति पत्र अथवा दोनों प्रदान किये जायेंगे

आन्तरिक विषय:-

- (i) प्रत्येक विषय में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु को,
- (ii) सभी आन्तरिक विषयों के योग में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु को डी0जी0पी0 ट्रेनिंग की ट्राफी प्रदान की जायेगी।

बाह्य विषय:-

- (i) प्रत्येक विषय में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु को,
- (ii) सभी बाह्य विषयों के योग में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु डी0जी0पी0 ट्रेनिंग की ट्राफी प्रदान की जायेगी।

सर्वांग सर्वोत्तम:-

- (i) बाह्य, आन्तरिक एवं साक्षात्कार के आधार पर सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु को सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षु की डी0जी0पी0 ट्राफी प्रदान की जायेगी।

परेड कमाण्डर:-

- (i) परेड कमाण्डर प्रथम एवं द्वितीय को भी पुरस्कृत किया जायेगा प्रशिक्षण में विशेष अभिरूचि रखने वाले उत्कृष्ट उप-निरीक्षक अध्यापक, आई0टी0आई0/ पी0टी0आई0 को भी प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा अलग से पुरस्कृत किया जायेगा।

यदि किसी बैच में कोई प्रशिक्षु किसी एक विषय में (जैसे खेलकूद, सांस्कृतिक क्षेत्र इत्यादि) अत्यधिक कुशल रहा हो एवं कालान्तर में डियूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गया हो तो उस बैच द्वारा वीरगति को प्राप्त प्रशिक्षु के नाम पर एक रनिंग ट्राफी हेतु अनुरोध किया जा सकता है। किसी भी संस्था में ऐसी अधिकतम 02 ट्राफी स्थापित की जा सकेंगी। परन्तु ऐसी रनिंग ट्राफी सम्बन्धित संस्था के अनुरोध के माध्यम से प्राप्त अनुरोध पर प्रशिक्षण निदेशालय के अनुमोदन एवं अनुमति के उपरान्त ही स्थापित की जा सकेंगी।

29. फीडबैक

- (i) अन्तःकक्षीय / बाह्यकक्षीय प्रशिक्षकगण के बारे में प्रशिक्षुओं से 03 माह में फीडबैक लिया जाए ताकि उनके द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जा सके।
- (ii) प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा संस्था के बारे में फीडबैक प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि में लिया जायेगा जिससे फीडबैक में दर्शायी गयी कमियों को समय से सुधारा जा सके।

30. मॉडल पुलिस थाना

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर एक मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जायेगा, जिसमें पुलिस थाने में प्रयोग में आने वाले सभी रजिस्टर, फार्म, अन्य विवरण अभिलेख एवं उपकरण रखे जायेंगे। जहाँ मॉडल थाने का भवन अभी नहीं बना है, वहाँ किसी भवन में अस्थायी रूप से मॉडल थाना बनाकर प्रशिक्षण कराया जाय। इस मॉडल थाने में थाने के सभी अभिलेख एवं अन्य सुविधायें सृजित की जायें।

31. प्रशिक्षण की रूपरेखा

1.	आधारभूत प्रशिक्षण अवधि	1 वर्ष	365 दिवस
2.	जनपदीय व्यवहारिक प्रशिक्षण	1 वर्ष	365 दिवस
3.	सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि	2 वर्ष	730 दिवस

32. सम्पूर्ण प्रशिक्षण के दिवस एवं कालांशों की गणना

क्र.सं.	विवरण	दिवस / कालांश
1	प्रशिक्षण की अवधि	365 दिवस
2	रविवार एवं अवकाश	88 दिवस
3	जीरो वीक की अवधि	02 दिवस
4	सामूहिक अवकाश	04 दिवस
5	व्यवहारिक प्रशिक्षण (स्थानीय भ्रमण)	09 दिवस
6	मध्यावधि परीक्षा (अन्तःकक्षीय)	06 दिवस
7	साक्षात्कार एवं परीक्षा / दीक्षान्त परेड का अभ्यास	29 दिवस
8	प्रशिक्षण हेतु कुल उपलब्ध दिन	227 दिवस
9	अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण हेतु प्रतिदिन 06 के अनुसार (227 X 6) कुल कालांशों की संख्या	1362
10	बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण हेतु प्रतिदिन 06 के अनुसार (227 X 6) कुल कालांशों की संख्या	1362
11	प्रशिक्षण हेतु कुल कालांशों की संख्या	2724

नोट: अन्तःकक्षीय एवं बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण हेतु दिये गये प्रत्येक कालांश की अवधि 40 मिनट होगी।

33. सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के कालांश एवं अंक (एक दृष्टि में)

क्र.सं.	कार्यक्रम	कालांश	अंक
1	अन्तःकक्षीय मध्यवर्ती परीक्षा हेतु	-	550
2	अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण हेतु	1218	1050
3	संवेदीकरण मॉड्यूल हेतु	84	-
4	टाइपिंग हेतु	60	50
5	अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण हेतु कुल योग	1362	1650
6	बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण हेतु कुल योग	1362	1000
7	साक्षात्कार	-	100
8	सम्पूर्ण प्रशिक्षण का पूर्णांक	2724	2750

34. अन्तःकक्षीय मध्यवर्ती एवं अन्तिम परीक्षा हेतु विषयवार अंकों का निर्धारण

- a) मध्यवर्ती परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का 50% भाग सम्मिलित किया जायेगा
b) मध्यवर्ती एवं अन्तिम परीक्षा हेतु प्रत्येक विषय के अंक निम्नवत होंगे –

क्र.सं.	विषय	मध्यवर्ती परीक्षा के अंक	अन्तिम परीक्षा के अंक			सम्पूर्ण योग
			सैद्धान्तिक	प्रयोगात्मक	योग	
1	भारत गणराज्य और पुलिस की भूमिका	50	75	-	75	125
2	व्यवहार एवं सम्बन्ध प्रबन्धन	50	75	-	75	125
3	प्रशासन, पुलिस संगठन एवं मानवाधिकार	50	100	-	100	150
4	अपराध शास्त्र एवं न्यायशास्त्र	50	50	-	50	100
5	भारतीय न्याय संहिता 2023	50	100	-	100	150
6	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023	50	100	-	100	150
7	केन्द्र एवं राज्य के विशेष अधिनियम	50	60	40	100	150
8	अपराध नियन्त्रण	50	100	-	100	150
9	सार्वजनिक क्षेत्र यातायात और सुरक्षा	25	80	20	100	125
10	विवेचना एवं परीक्षण – तरीके एवं कौशल	50	60	40	100	150
11	विधि विज्ञान एवं न्यायालय प्रबन्धन	25	50	25	75	100
12	कम्प्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम	50	50	25	75	125
	टाइपिंग	-	-	-	50	50
कुल योग		550	900	150	1100	1650

नोट- हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया जायेगा। संस्था में यदि विषय विशेषज्ञ उपलब्ध न हो तो हिन्दी टंकण एवं परीक्षा बाहर से बुलाये गये विषय विशेषज्ञ द्वारा करायी जायेगी।

35. अन्तिम परीक्षा के विषयों, अंकों एवं कालांशों का मॉड्यूलवार विस्तृत विवरण
अ – आन्तरिक विषयों हेतु

मॉड्यूल	विषय	कालांश	पूर्णांक
प्रथम समूह – भारत गणराज्य और पुलिस की भूमिका			
1(a)	भारतीय संविधान	21	40
1(b)	सामाजिक आर्थिक परिवेश	5	10
1(c)	आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका	12	25
कुल		38	75
द्वितीय समूह - व्यवहार एवं सम्बन्ध प्रबन्धन			
2(a)	मानव व्यवहार	30	35
2(b)	सम्बन्ध प्रबन्धन	7	10
2(c)	पुलिस व्यवहार एवं नैतिकता	18	30
कुल		55	75
तृतीय समूह – प्रशासन, पुलिस संगठन एवं मानवाधिकार			
3(a)	प्रशासनिक व्यवस्था और केंद्रीय पुलिस संगठन	20	20
3(b)	राज्य पुलिस संगठन	27	30
3(c)	पुलिस आचरण एवं सेवा नियम	21	20
3(d)	पुलिस एवं मानवाधिकार	15	20
3(e)	सामुदायिक पुलिसिंग	10	10
कुल		93	100
चतुर्थ समूह – अपराध शास्त्र एवं न्यायशास्त्र			
4(a)	अपराध शास्त्र	22	35
4(b)	न्यायशास्त्र और कानूनी अवधारणाएं	09	15
कुल		31	50
पंचम समूह – भारतीय न्याय संहिता 2023			
5	भारतीय न्याय संहिता 2023	84	100

षष्ठम समूह – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023			
6(a)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023	78	60
6(b)	भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023	40	40
कुल		118	100
सप्तम समूह - केन्द्र एवं राज्य के विशेष अधिनियम			
7(a)	केन्द्रीय एवं राज्य के विशेष अधिनियम (सैद्धान्तिक)	113	60
7(b)	केन्द्रीय एवं राज्य के विशेष अधिनियम (प्रयोगात्मक)	33	40
कुल		146	100
अष्टम समूह अपराध नियन्त्रण			
8(a)	पुलिस रेगुलेशन	48	60
8(b)	अपराध की रोकथाम	14	15
8(c)	निगरानी एवं अभिसूचना संग्रह	21	15
8(d)	अपराध और पुलिस अभिलेख	13	10
कुल		96	100
नवम समूह - सार्वजनिक क्षेत्र यातायात और सुरक्षा			
9(a)	कानून और व्यवस्था का संधारण	85	40
9(b)	यातायात के नियम एवं प्रबन्धन	24	15
9(c)	सुरक्षा एवं सुरक्षात्मक कर्तव्य	8	10
9(d)	राहत और आपदा प्रबन्धन	11	15
9(e)	सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्धित रिपोर्ट / आदेश (प्रयोगात्मक)	11	20
कुल		139	100
दशम समूह – विवेचना एवं परीक्षण – तरीके एवं कौशल			
10(a)	विवेचना	79	60
10(b)	विवेचना प्रयोगात्मक (विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार करना)	45	40
कुल		124	100

एकादश समूह - विधि विज्ञान एवं न्यायालय प्रबन्धन			
11(a)	विधि विज्ञान एवं विधि चिकित्सा शास्त्र	100	35
11(b)	विधि विज्ञान प्रयोगात्मक	20	25
11(c)	अभियोजन और न्यायालय प्रबन्धन	24	15
कुल		144	75
द्वादश- कम्प्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम			
12(a)	कम्प्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम (सैद्धान्तिक)	52	25
12(b)	कम्प्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम /CCTNS (प्रयोगात्मक)	65	25
12(c)	Cyber Crime/Darknet	33	25
कुल		150	75
त्रयोदश- संवेदीकरण			
13(a)	वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण	48	-
13(b)	विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान	36	-
कुल		84	-
अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण हेतु कुल कालांश		1302	1100
हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण		60	50
सम्पूर्ण योग		1362	1150

ब बाह्य विषय -हेतु

क्र.सं.	विषय	कालांश	पूर्णांक
प्रथम समूह – कवायद (ड्रिल) / पदाति प्रशिक्षण			
क्र.सं.	विषय	कालांश	पूर्णांक
1(a)	टर्न आउट	-	10
1(b)	स्क्वाड ड्रिल एवं कमाण्ड लीडरशिप	52	40
1(c)	शस्त्र सहित ड्रिल	43	30
1(d)	रैतिक ड्रिल, सम्मान गार्ड व सोर्ड ड्रिल	21	20
1(e)	केन ड्रिल	07	05
1(f)	गार्ड मार्चिंग	07	10
1(g)	हर्ष फायर एवं शोक कवायद	02	05
1(h)	ई0ओ0डी0	02	05
1(i)	बलवा नियन्त्रण ड्रिल	16	15
1(j)	टीयर स्मोक	06	15
1(k)	अग्निशमन एवं बचाव ड्रिल	04	10
योग		160	165

द्वितीय समूह – शस्त्र प्रशिक्षण – रात्रि फायरिंग सहित			
2(a)	वेपन्स थ्योरी	72	90
2(b)	शस्त्र फायरिंग	123	90
		195	180
तृतीय समूह – फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिक्स, मैप रीडिंग, रूट मार्च व जंगल ट्रेनिंग			
3(a)	फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स एण्ड जंगल ट्रेनिंग	74	50
3(b)	अर्बन एरिया टैक्टिक्स	35	20
3(c)	कमाण्डो ट्रेनिंग	50	25
3(d)	नक्सलवाद / आतंकवाद / दस्यु उन्मूलन	25	20
3(e)	सैण्ड मॉडल ब्रिफिंग / मैप रीडिंग / डिजिटल सैण्ड मॉडल	50	25
3(f)	रूट मार्च (फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स के अभ्यास सहित)	51	25
		285	165
चतुर्थ समूह – विस्फोटकों का ज्ञान एवं वन मिनट ड्रिल			
4(a)	विस्फोटकों का ज्ञान	30	25
4(b)	वन मिनट ड्रिल	20	20
	कुल	50	45
पंचम समूह – शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण (पी.ई.टी.)			
5(a)	शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी.ई.टी.)	45	40
5(b)	बैटल फिजिकल एन्ड्योरेंस	25	30
5(c)	दौड़ 100 मीटर	6	10
5(d)	दौड़ 400 मीटर	6	10
5(e)	क्रिकेट बॉल श्रो	6	10
5(f)	रस्सी कूद (महिला)/ दण्ड बैठक (पुरुष)	6	10
5(g)	ग्राउण्ड वर्क	30	05
5(h)	बीम कार्य	10	05
5(i)	बीम संतुलन (बैलेन्स)	10	05
5(j)	वाल्टिंग हार्स	10	05
5(k)	लॉग व्यायाम	10	05
5(l)	पी0टी0 एवं एपरेटस वर्क	50	30
		214	165

षष्ठम समूह – यू0ए0सी0 एवं योगासन			
6(a)	यू0ए0सी0	53	50
6(b)	योगासन	50	30
6(c)	बाधा कोर्स	40	20
	कुल	143	100
सप्तम समूह – स्किल्स			
7(a)	ड्राइविंग	60	60
7(b)	तैराकी	54	50
7(c)	घुड़सवारी	60	50
7(d)	चिकित्सा / प्राथमिक उपचार	13	20
	कुल	187	180
खेलकूद, विभिन्न इकाइयों द्वारा कराई जाने वाली मॉक ड्रिल			
खेलकूद		80	-
विभिन्न इकाइयों द्वारा कराई जाने वाली मॉक ड्रिल			
1	ATS/ कमाण्डों द्वारा नक्सल / आतंकवाद /अर्बन टैक्टिक्स पर मॉक ड्रिल	12	-
2	NDRF/SDRF द्वारा ऑपरेशनल मॉकड्रिल	6	-
3	अग्निशमन इकाई द्वारा ऑपरेशनल मॉकड्रिल	6	-
4	STF द्वारा विशिष्ट ऑपरेशन की ड्रिल (सर्विलांस के प्रयोग सहित)	6	-
5	डायल 112 द्वारा जनपदीय पुलिस के साथ कार्य करने का डेमो	6	-
6	1090 / 1098 द्वारा ऑपरेशनल मॉकड्रिल	6	-
7	बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा बम डिस्पोजल सम्बन्धित ड्रिल	6	-
	कुल योग	48	-
	बाह्य विषयों का सम्पूर्ण योग	1362	100

स साक्षात्कार हेतु -

व्यक्तिगत परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिये निर्धारित 100 अंक संस्था प्रमुख द्वारा प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, आचरण, गम्भीरता एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए निम्नवत दिये जायेंगे –

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक
1	नेतृत्व क्षमता	30
2	खेलकूद	10
3	सांस्कृतिक अभिरुचि	10
4	व्यक्तित्व परीक्षण एवं साक्षात्कार	50
कुल योग		100

विभिन्न प्रकार के अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाना

अधिकतम 50 अंक

क्र.सं.	विषय	अंक
1	चारित्रिक पतन	50 अंक
2	विलम्ब से आगमन, अनुपस्थिति, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश (02 अंक प्रतिदिन की दर से)	20 अंक (अधिकतम)
3	सिक, रेस्ट, अस्पताल दाखिल (1/2 अंक प्रतिदिन की दर से)	20 अंक (अधिकतम)
4	प्रत्येक अवज्ञा / गम्भीर अनुशासनहीनता	10 अंक
5	प्रत्येक डिफाल्टर / चेतावनी	03 अंक

नोट - अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर साक्षात्कार के कुल 100 अंकों में ऋणात्मक अंक कम किये जायेंगे।

36. व्यवहारिक प्रशिक्षण

(अ) व्यवहारिक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर स्थानीय भ्रमण)

क्र.सं.	गतिविधि / भ्रमण कार्यक्रम	दिवस
1	पुलिस लाइन / यातायात लाइन का भ्रमण	09 दिवस
2	थाने का भ्रमण	
3	एस.पी. / डी.एम. कार्यालय का भ्रमण	
4	जिला नियंत्रण कक्ष का भ्रमण	
5	चिकित्सालय / पोस्टमार्टम हाउस का भ्रमण	

6	न्यायालय का भ्रमण	
7	अभियोजन कार्यालय का भ्रमण	
8	जेल का भ्रमण	
9	जी.आर.पी. का भ्रमण	
10	एन.जी.ओ. संस्थानों का भ्रमण	
11	वृद्धाश्रम / महिला संरक्षण गृह का भ्रमण	
12	बालगृह / किशोर संरक्षण गृह का भ्रमण	

(ब) व्यवहारिक प्रशिक्षण (जनपदीय स्तर पर)

मॉड्यूल	विषय	समय	पूर्णांक
1	व्यवहारिक प्रशिक्षण	1 वर्ष	100
कुल		1 वर्ष	200

- (i) संस्था में आधारभूत प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षु जनपदों में 12 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सभी प्रशिक्षु व्यवहारिक प्रशिक्षण पंजिका बनायेंगे जिसमें दिनांक सहित प्रतिदिन के प्रशिक्षण का विवरण अंकित करेंगे। **जनपदीय पुलिस अधीक्षक इन प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन इनके द्वारा संवेदीकरण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्राप्त किये अंकों एवं साक्षात्कार के द्वारा माह में एक बार करेंगे और उसकी टिप्पणी उनकी व्यवहारिक प्रशिक्षण पंजिका में करेंगे।**
- (ii) व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त परिक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक द्वारा प्रशिक्षुओं का साक्षात्कार लिया जायेगा (जिन जनपदों में कमिश्नर प्रणाली क्रियान्वित है वहां पर पुलिस आयुक्त / अपर पुलिस आयुक्त द्वारा प्रशिक्षुओं का साक्षात्कार लिया जायेगा)। जो प्रशिक्षु व्यवहारिक रूप से उप-निरीक्षक के पद का दायित्व संभालने हेतु उपयुक्त पाये जायें उन्हें एक उपयुक्तता प्रमाण – पत्र प्रदान किया जायेगा। इसकी एक प्रति उनकी चरित्र पंजिका में चरूपा होगी।
- (iii) अनुपयुक्त पाये गये प्रशिक्षुओं की परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जायेगी तथा 45 दिवस बाद उनका साक्षात्कार लेकर पुनः उनकी उपयुक्तता देखी जायेगी। उपयुक्त पाये जाने पर ही उन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
- (iv) व्यवहारिक प्रशिक्षण कर रहे प्रशिक्षुओं से रूटीन कार्य न लिया जाये। पर्यवेक्षण अधिकारी इन्हे अधिकाधिक सुयोग्य बनाने पर ध्यान दें।
- (v) व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान जनपदों के पुलिस अधीक्षक तथा रेन्ज के पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण/मॉनीटरिंग की जायेगी। यह प्रशिक्षण/मॉनीटरिंग ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन हो सकती है।

उप-निरीक्षक ना0पु0 (सीधी भर्ती / मृतक आश्रित) अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण**पाठ्यक्रम की विस्तृत विषय वस्तु****प्रथम समूह**

कालांश- 38

अंक-75

1. भारत गणराज्य और पुलिस की भूमिका:**मॉड्यूल1(a) भारतीय संविधान**

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	भारतीय संविधान का परिचय एवं प्रस्तावना	1
2	भारत की लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संघीय स्थिति	1
3	मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12 से 35), केस लॉ (अनुच्छेद 21 से सम्बन्धित) 1. अनीमी रेड्डी वेंकटरमन्ना बनाम् पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एचसी ऑफ एपी 2008(61) एसीसी 703 एससी 2. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सी.आर.एल.जे. 1099 मौलिक कर्तव्य (अनु0 51 क), राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त (अनु0 36 से 51)	7
4	कार्यपालिका और विधायिका	2
5	भारतीय न्याय व्यवस्था – उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय	2
6	केन्द्र एवं राज्यों के अधीन सेवा (अनुच्छेद 308 से 311)	2
7	सांसदों एवं विधायकों की शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105, 194)	1
8	राष्ट्रपति / राज्यपाल / राज्य प्रमुखों का संरक्षण अनुच्छेद 361, 361क	2
9	जनहित याचिका (उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय)	1
10	सशस्त्र बलों एवं पुलिस के अधिकारों का निर्बंधन (अनुच्छेद 33)	1
11	राजनैतिक दल-क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय	1
कुल कालांश		21

मॉड्यूल 1(b) सामाजिक आर्थिक परिवेश

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	भारतीय समाज और राज्य की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा	2
2	सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन	1
3	नौकरशाही की भूमिका	2
कुल कालांश		5

मॉड्यूल 1(c) आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	भारत में पुलिस का उद्भव, इतिहास एवं विकास	1
2	वर्तमान में परिवर्तित होती सामाजिक व्यवस्था के सन्दर्भ में पुलिस की परिवर्तित होती भूमिका एवं उस परिवर्तित होती भूमिका के साथ पुलिस के व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता	1
3	पुलिस कार्यों में व्यवसायिकता / मिशन कर्मयोगी	1
4	पुलिस की भूमिका- 1. सामाजिक, 2. आर्थिक, 3. न्यायिक 4. राष्ट्रीय एकता अखण्डता में 5. आपराधिक न्याय व्यवस्था में 6. किसानों, छात्रों व श्रमिकों के आन्दोलन में	3
5	विध्वंसकारी ताकतों से राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को चुनौतियाँ - साम्प्रदायिकता, रुढ़िवादिता, अतिवादिता (कट्टरता), आतंकवाद एवं क्षेत्रवाद के पनपने के मूल कारण एवं उसका निवारण, अतिवादिता एवं आतंकवाद को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही वित्तीय सहायता के रोकथाम के उपाय	2
6	पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर	1
7	अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट	1
8	उपलब्धियाँ तथा पुरस्कार	1
9	नवीन राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम	1
	कुल कालांश	12

द्वितीय समूह

कालांश- 55

अंक- 75

2. व्यवहार एवं सम्बन्ध प्रबन्धन

मॉड्यूल 1(a) मानव व्यवहार

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	मानव व्यवहार को समझना:- सैद्धान्तिक परिभाषाएँ, मानव गतिशीलता और मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व ।	1
2	मानव व्यवहार के प्रकार:- संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक	1
3	मानव व्यवहार को समझने के दृष्टिकोण- मनोविश्लेषणात्मक मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, शीलगुण ।	2
4	मानव व्यवहार का आंकलन- मानव व्यवहार को समझने की अध्ययन पद्धतियाँ - आत्मनिरीक्षण, प्रेक्षण विधि (निरीक्षण), प्रयोगात्मक विधि, क्षेत्र अध्ययन विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, नैदानिक विधि ।	2

5	व्यक्तित्व विकास (Personality Development) दृढ़ एवं अस्थिर व्यक्तित्व के लक्षण और व्यक्तित्व के गुण एवं कुशल पुलिस अधिकारी के लक्षण	2
6	संवाद /सम्प्रेषण का कौशल - (Oral Communication Skill) सम्प्रेषण के माध्यम सम्प्रेषण के प्रकार व उदाहरण सम्प्रेषण का महत्व आधुनिक सम्प्रेषण की पद्धति सम्प्रेषण की प्रक्रिया सम्प्रेषण और अन्तर्वैयक्तिक कौशल	2
7	ग्रहणशीलता तदनुभूति व्याख्यान ब्रीफिंग (संक्षेपण) व्याख्या करना	3
8	तनाव प्रबन्धन (stress management) पुलिस बल में तनाव पुलिस कर्मियों में तनाव के प्राथमिक कारक तनाव को पहचान कर उसका सामना करना तनाव को दूर करने के कुछ सरल उपाए	3
9	टीम प्रबन्धन(Team building management) / समय प्रबन्धन (time management)	2
10	प्रेरणा एवं प्रेरणा कौशल(Motivation and skill)	1
11	सामान्य नेतृत्व के गुण	1
12	संगठनात्मक व्यवहार	1
13	श्रवण कौशल(listening skill)/ संवाद कौशल	1
14	लेखन कौशल(writing skill)	1
15	सार्वजनिक बोलने की कला	1
16	प्रबन्धन की अवधारणा, विवाद प्रबन्धन, प्रबन्धन कार्य, प्रबन्धन में नेतृत्व	2
17	अवलोकन कौशल(Obsevation skill)	1
18	सार्वजनिक काम में नकारात्मकता	1
19	कार्मिक प्रबन्धन एवं अधीनस्थों को विकसित करना	1
20	मीडिया प्रबन्धन-मीडिया के साथ व्यवहार सामान्य सिद्धान्त, मीडिया ब्रीफिंग- क्या करें क्या न करें।	1
कुल कालांश		30

मॉड्यूल 2(b) सम्बन्ध प्रबन्धन

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	पुलिस आचरण के सिद्धान्त – पूर्वाग्रह, रुढ़िवादिता एवं पक्षपात	1
2	कार्यस्थल पर क्रोध और आक्रामकता पर नियंत्रण करना	1
3	विभिन्न पुलिस इकाइयों द्वारा पुलिस कर्म में अपनायी गयी अच्छी प्रथाएँ।	1
4	नागरिक प्रशासन में पुलिस की भूमिका	
5	अन्य विभागों से सम्बन्ध / समन्वय एवं उपयोगिता –	3
	चिकित्सा विभाग, जेल विभाग, आर.टी.ओ., विद्युत विभाग Sales and GST	
	शिक्षा विभाग, तहसील, ब्लॉक डेवलपमेन्ट, नगर पालिका के अधिकारीगण, मीडिया	
	टेलीफोन, बिजली विभाग, वन विभाग, खनन विभाग	
	आबकारी विभाग, कस्टम एवं नारकोटिक्स विभाग	
	कैटोनमेंट बोर्ड, सेना पुलिस व इन्कम टैक्स विभाग	
6	गैर सरकारी संगठनों की भूमिका एवं उनके साथ सम्बन्ध	1
कुल कालांश		7

मॉड्यूल 2(c) पुलिस व्यवहार एवं नैतिकता

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	औपचारिक एवं अनौपचारिक छोटे एवं बड़े समूह के साथ पुलिस का व्यवहार, भीड़ का मनोविज्ञान एवं भीड़ के नियन्त्रण करने के उपाय	2
2	पुलिस का व्यवहार - 1. अधीनस्थों / होमगार्ड्स एवं ग्राम चौकीदारों के साथ 2. जनता के साथ 3. महिलाओं के साथ/मिशन शक्ति 4. बच्चों के साथ 5. अपरिपक्व दिव्यांग एवं असहाय व्यक्तियों के साथ 5. बुद्धिजीवियों के साथ 6. दुराचारी के साथ 7. जनप्रतिनिधियों के साथ 8. मजिस्ट्रेट एवं वकीलों के साथ	6
	9. गवाहों के साथ 10. अपराध पीड़ितों / शिकायतकर्ताओं के साथ 11. यातायात उल्लंघन करने वालों के साथ 12. मजदूरों के साथ 13. जमानत उल्लंघन कर्ताओं एवं घोषित अपराधियों के साथ 14. पुलिस का पर्यटकों के साथ 15. पैरोल उल्लंघन कर्ताओं से व्यवहार 16. शवों के साथ सम्मान का आचरण	6

3	पुलिस छवि एवं इसे सुधारने के तरीके एवं पहल अनुनय, इसकी प्रकिया व समझ, अनुनय की तकनीके, निगोशिएशन में सम्प्रेषण के तरीके	2
4	सामाजिक संवेदना निर्माण	1
5	पुलिस कार्य में नैतिकता	1
कुल कालांश		18

तृतीय समूह

कालांश-93

अंक-100

3. प्रशासन, पुलिस संगठन एवं मानवाधिकार

मॉड्यूल 3(a) प्रशासनिक व्यवस्था और केंद्रीय पुलिस संगठन

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	भारत संघ की प्रशासनिक व्यवस्था	1
2	केन्द्रीय सरकार का प्रशासनिक ढांचा	1
3	राज्य सरकार का प्रशासनिक ढांचा,	1
4	गृह विभाग	1
5	केन्द्रीय पुलिस संगठन एवं संस्थान	
	आईबी (IB), रॉ (RAW),	1
	एफआईयू (FIU), एसएफआईओ (SFIO), एनआईसीएफएस (NICFS)	
	डी.आर.आई. (DRI), आरएफ (RAF)	1
	बीएसएफ (BSF), एस.एस.बी (SSB), आईटीबीपी (ITBP)	1
	भारतीय सीमा का विवरण / समुद्री एवं पड़ोसी देश, सीमा पार अपराध, सीमा - चौकियाँ,	1
	सीमाओं पर आई.सी.पी. (इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट), सीमा पर ICP (Integrated Check Post)	1
	एनपीए (NPA), बी.पी.आर.एण्ड.डी. (BPR&D), एन.सी.आर.बी (NCRB), टेरीटोरियल (आर्मी एवं एनसीसी)	2
	एनआईए (N.I.A.), सीबीआई (CBI), एनसीबी (NCB), प्रवर्तन निदेशालय (E.D.)	2
	ई.ई.जेड (विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र) की सीमा और इन्टरसेप्शन (अवरोधन) बोर्डिंग ऑपरेशन और अन्वेषण।	1
	आरपीएसएफ (R.P.S.F.), आरपीएफ (R.P.F.),	1
	एस.पी.जी (SPG), एन.एस.जी (NSG),	1
	सीआरपीएफ (CRPF), सीआईएसएफ (CISF), एनडीआरएफ (N.D.R.F)	1
	सशस्त्र बल और नागरिक प्रशासन, भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) संदिग्ध अभिलेखों के सरकारी परीक्षण के कार्यालय - शिमला, कोलकाता,	2

	हैदराबाद	
	सेन्ट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद	
6	पुलिस, आर्मी, नेवी एवं वायु सेना के पद एवं पद चिह्न	1
कुल कालांश		20

मॉड्यूल 3(b) राज्य पुलिस संगठन

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	राज्य पुलिस का संगठनात्मक ढांचा	1
2	राज्य की अर्थव्यवस्था एवं भूगोल	1
3	पुलिस के विभिन्न स्तरों की संरचना और भूमिका	2
	पुलिस मुख्यालय,	
	पुलिस स्टेशन प्रशासन	
	जोन / रेंज	
	जिला / कमिश्नरेट	
	सब डिवीजन / सर्किल	
	रिजर्व पुलिस लाइन	
	ग्राम पुलिस	
4	राज्य पुलिस संगठन	2
	एसटीएफ (S.T.F.), ए.टी.एस (A.T.S.), एसआईटी, सीएम हेल्पलाइन, महिला हेल्प लाईन (1090), महिला सम्मान प्रकोष्ठ, आईजीआरएस (I.G.R.S.), पीजीआरएस (P.G.R.S.) डायल 112, कमिश्नरेट प्रणाली	
	सीआईडी, राज्य सतर्कता ब्यूरो, साइबर क्राइम	1
	रेलवे पुलिस, पी.ए.सी, जनपद यातायात शाखा	
	मानव तस्करी विरोधी इकाई, स्पेशल ब्रांच, एल0आई0यू0, क्राइम ब्रांच	1
	SDRF अग्निशमन सेवार्य, लॉजिस्टिक्स, UPSSF	1
	SCRB फिंगर प्रिन्ट्स ब्यूरो, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, लखनऊ	1
	होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, विशेष पुलिस अधिकारी	1
	प्रशिक्षण निदेशालय	
5	जनपद एवं उप सम्भागीय प्रशासनिक ढांचा	1
	जनपदीय न्यायालय	
	अभियोजन शाखा	1
	स्वास्थ्य विभाग का संगठन	1
	स्थानीय स्व-शासन (नगरीय एवं ग्रामीण)	1
6	जनपद पुलिस की विभिन्न शाखाओं के कार्य	

	पुलिस अधीक्षक कार्यालय 1. प्रधान लिपिक शाखा 2. सम्मन सेल 3. शिकायत प्रकोष्ठ 4. महिला प्रकोष्ठ 5. वाचक 6. पी.आर.ओ.	2
	आंकिक शाखा 1. मोटर साइकिल एवं भवन निर्माण के लिये अग्रिम धन प्राप्त करने के नियम 2. आंकिक शाखा के कार्य एवं उसके अभिलेख (वेतन पत्र, जीपीएफ बीमा से संबंधित)	4
	3. PRAN परमानेंट रिटायरमेन्ट एकाउन्ट नम्बर) / एन.पी.एस. 4. स्थायी अग्रिम 5. थाना को बजट आवंटन एवं उसका प्रबंधन 6. नये मूल निर्माण कार्य योजना एवं पर्यवेक्षण 7. अनुरक्षण 8. क्रय नियमों की सामान्य जानकारी व तदविषयक अभिलेख 3. GeM portal 3. E-Tendering 11. वेतन एवं भत्ते, पुलिस सैलरी पेकेज संबंधी सामान्य नियम	
7	वायरलेस दूर संचार- परिभाषा	1
	आधार भूत धारणार्थ एवं दूर संचार नेटवर्क का महत्व प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों के प्रकार	1
	दूरसंचार संवाद में क्या करें व क्या न करें ,संदेशों की प्राथमिकता, संदेश लेखन एवं वर्गीकरण ।	1
	नियन्त्रण कक्ष एवं पुलिस मोबाइल्स- सीसीआर, डीसीआर की कार्य प्रणाली	1
	दूरसंचार में आधुनिक पद्धतियाँ- सीसीटीवी, जी.पी.एस. बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम	1
	एच0एफ0	
	नगर नियंत्रण कक्ष में डायल 112 व्यवस्था में काल ट्रैकिंग का अभ्यास	1
कुल कालांश		27

मॉड्यूल 3(c) पुलिस आचरण एवं सेवा नियम

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	उ०प्र० सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956	2
2	उ०प्र० पुलिस अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड और अपील) नियमावली-1991	2

3	उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015	2
4	रैंक और बैज, साज-सज्जा	1
5	वर्दी पहनने के नियम (ड्रेस रेगुलेशन)	1
6	स्थानान्तरण एवं पदोन्नति नीति	1
7	पदक एवं अलंकरण के प्रकार	1
8	अवकाश नियम, अनुमन्य विभिन्न प्रकार के अवकाश	1
9	चिकित्सीय सुविधा	1
10	सेवानिवृत्ति, अधिवर्षता, स्वैच्छिक, अनिवार्य, शारीरिक अक्षमता के समय मिलने वाली सुविधायें	2
11	असाधारण पेंशन के नियम	1
12	सेवा अभिलेख- चरित्र पंजिका, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत पत्रावली	1
13	सेवाकाल में कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाले विभिन्न लाभ	1
14	आवासीय सुविधायें (पदवार)	1
15	राजकीय कर्मचारी कल्याण योजनायें	1
16	पुलिसजन के कल्याण की विशेष व्यवस्थायें-राज्य सुख सुविधा फण्ड, कल्याण निधि, छात्रवृत्ति, साइकिल	1
17	डीजीपी परिपत्र	1
कुल कालांश		21

मॉड्यूल 3(d) पुलिस एवं मानवाधिकार

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	मानवाधिकारों की अवधारणा एवं उनका महत्व, भारत में मानवाधिकार हनन के विभिन्न प्रकार	1
2	संवैधानिक प्राविधान	1
3	मानवाधिकारों का संरक्षण अधि0 1993 (धारा 2,3,4,5,12,13,14)	2
4	मानवाधिकारों के संरक्षण में पुलिस की भूमिका	1
5	मानवाधिकारों के सम्बन्ध में पुलिस के विरुद्ध सामान्य शिकायतें (केस स्टडीज)	2
6	अभिरक्षा में अपराधों विशेषकर अभिरक्षा में मृत्यु एवं बलात्कार की पुलिस विवेचनाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देश ।	1
7	केन्द्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग	1
8	मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ ।	1
9	मानवाधिकार एवं अपराध पीड़ित, परिवादी, साक्षी, अभियुक्त से व्यवहार विषयक निर्देशों के मुद्दे पर न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय / विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम-2018	1

10	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं बालकों एवं अल्पसंख्यकों के लिये राष्ट्रीय आयोगों के कार्य एवं शक्तियाँ	1
11	मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में पुलिस की छवि को सुधारने की आवश्यकता एवं पहल	1
12	मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विधिक उपबन्ध मानवाधिकारों पर कार्यरत अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	1
13	मानवाधिकारों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय एवं घोषणाएं	1
कुल कालांश		15

मॉड्यूल 3(e) सामुदायिक पुलिसिंग

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा, सामुदायिक पुलिसिंग और परम्परागत पुलिसिंग में अन्तर, स्मार्ट पुलिसिंग	2
2	लोक व्यवस्था एवं आन्तरिक सुरक्षा के प्रबन्धन हेतु सामुदायिक पुलिसिंग: नक्सल प्रभावित, कम तीव्रता का संघर्ष क्षेत्र और सीमा क्षेत्र में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम	2
3	सहभागिता- युवाओं के लिए सामुदायिक पुलिसिंग, महिलाओं के लिए सामुदायिक पुलिसिंग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामुदायिक पुलिसिंग	1
4	कट्टरवाद को रोकने में सामुदायिक पुलिसिंग का उपयोग	1
5	भारत में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम का गाँव मुहल्लों तक व्यापक पहुँच, पुलिस पब्लिक परामर्श समिति	1
6	आपदा प्रबन्धन में सामुदायिक सहभागिता (उड़ीसा / आन्ध्र प्रदेश का चक्रवाती तूफान, केरला में बाढ़ और भूकंप की बड़ी घटना) के प्रबन्धन पर एक केस स्टडी का अध्ययन।	1
7	सामुदायिक सहभागिता के अन्य तरीके (ग्राम / मुहल्ला सुरक्षा समितियाँ, जनता द्वारा गश्त, सामुदायिक पुलिस अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी, आस-पड़ोस की निगरानी, पीड़ित और साक्षी सहायता, रेजीडेंट वेलफेयर संगठनों आदि के साथ समन्वय)	2
कुल कालांश		10

चतुर्थ समूह

कालांश- 31

अंक-50

4. अपराध शास्त्र एवं न्यायशास्त्र

मॉड्यूल 4(a) अपराध शास्त्र

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अपराध की परिभाषा,	1
2	आपराधिक कानून की विशेषतायें,	1
3	अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र का सम्बन्ध।	1
4	पथ-विचलन- व्यक्तिगत , सामूहिक, संगठित अपराध, सफेदपोश अपराध , आर्थिक अपराध उपरोक्त अपराधों की रोकथाम में पुलिस की भूमिका	2
5	अपराध के कारण - मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक	2
6	बाल अपराध	1
7	किशोर अपचार- कारण	1
8	किशोर अपचारियों के सुधार में पुलिस की भूमिका	1
9	अपराध शास्त्र की आधुनिक धारणा, रोल ऑफ इन्टरनेट, सोशल मीडिया	1
10	दण्ड शास्त्र के सिद्धान्त, दण्डात्मक एवं सुधारात्मक सिद्धान्त, परिवीक्षा, पैरोल, पुनर्वास, सुधारात्मक संस्थाएँ	2
11	सुधारात्मक प्रशासन एवं सामाजिक पुनः निर्माण	1
12	देश में कारागार प्रणाली- सामान्य परिचय,	1
13	बाल कल्याण बोर्ड , बाल गृह, विशेष विद्यालय, पर्यवेक्षण गृह, बोस्टल संस्थान, बाल न्यायालय की कार्य प्रणाली	2
14	विकिटमोलॉजी - अवधारणा और उद्देश्य	1
15	दुर्व्यसन (Vices)- जुआ (छूत), मद्यपान, वेश्यावृत्ति और पुनर्वास, ड्रग का दुरुपयोग और नशामुक्ति	1
16	आपराधिक व्यवहार का अध्ययन- अवधारणा, परिभाषाएँ, कारक और विकास	2
17	आपराधिक तत्वों की पहचान- मनोविश्लेषणात्मक, विशेषता व सामाजिक अधिगम	1
कुल कालांश		22

मॉड्यूल 4(b) न्यायशास्त्र और कानूनी अवधारणाएं

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	न्यायशास्त्र की परिभाषा	1
2	कानूनी सिद्धांत का अर्थ	1
3	न्याय की अवधारणा	1
4	प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत	1

5	न्याय के सिद्धांत	Page 36	1
6	नागरिक और आपराधिक न्याय प्रणाली		1
7	कानूनी अवधारणाएं - मेन्सरिया, सबूत का भार, संदेह का लाभ, सबूत और सबूत के बारे में		3
कुल कालांश			9

पंचम समूह

कालांश-84

अंक-100

5. भारतीय न्याय संहिता 2023

मॉड्यूल 5 भारतीय न्याय संहिता 2023

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अध्याय 1-प्रस्तावना एवं अपराध की अवधारणा धारा 1 से 3 तक	2
2	अध्याय 2- दण्डों के विषय में व्याख्यायें धारा 4 से 13 तक	2
3	अध्याय 3-साधारण अपवाद धारा 14 से 44 तक	5
4	अध्याय 4-दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षडयन्त्र और प्रयास के विषय में धारा-45 से 62 तक	2
5	अध्याय 5- महिला और बालकों के विरुद्ध अपराध धारा 63 से 99 तक	6
6	अध्याय 6- मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 100 से 146 तक <u>केस लॉ</u> रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम 2004(3) एसीसी 199	24
7	अध्याय 7-राज्य के विरुद्ध अपराध धारा 147 से 158 तक	2
8	अध्याय 9-निर्वाचन से सम्बन्धित अपराध धारा 169 से 177 तक	2
9	अध्याय 10-सिक्कों, करेन्सी नोट, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराध धारा-178 से 188 तक	2
10	अध्याय 11-लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध धारा 189 से 197 तक	4
11	अध्याय 12-लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराध धारा 198 से 205 तक <u>केस लॉ</u> परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (ए0आई0आर0 1989 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 2039)	2
12	अध्याय 13-लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में धारा 206 से 226 तक	3
13	अध्याय 14-मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध धारा- 227 से 269 तक	6
14	अध्याय 15 - लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 270 से 297 तक	3

15	अध्याय 16-धर्म से सम्बन्धित अपराध धारा 298 से 302 तक	3
16	अध्याय 17-सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध धारा 303 से 334 तक केस लॉ विश्वनाथ बनाम जम्मू कश्मीर राज्य एआईआर 1983 (एससी) 174	7
17	अध्याय 18-अभिलेखों, सम्पत्ति चिन्हों से सम्बन्धित अपराध धारा 335 से 350 तक	4
18	अध्याय 19-आपराधिक अभिप्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि धारा 351 से 357 तक	2
19	अध्याय 20-निरसन और व्यावृत्ति धारा 358	2
20	अपराधों पर सुसंगत केस लॉ	1
कुल कालांश		84

नोट- प्रस्तावित पाठ्यक्रम में भारतीय न्याय संहिता 2023 में भारतीय दण्ड संहिता 1860 के सापेक्ष हुए बदलाव / नई अवधारणाओं / विशेषताओं का व्याख्यान में आच्छादित किया जाएगा।

षष्ठम समूह

कालांश- 118

अंक-100

6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

मॉड्यूल 6(a) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अध्याय 1-प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1 से 5 तक	2
2	अध्याय 2-दण्ड न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन धारा 6 से 20 तक	2
3	अध्याय 3-न्यायालयों की शक्ति धारा 21 से 29 तक	1
4	अध्याय 4- वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता धारा 30 से 34	2
5	अध्याय 5-व्यक्तियों की गिरफ्तारी धारा 35 से 62 तक केस लॉ- 1. अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2006 (55) एससी 864 सर्वोच्च न्यायालय 2. शौकीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 3. नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (एस0सी0सी0 1993 पृष्ठ 746) 4. महबूब बाचा बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (74) एससी 600 (एससी) 5. खेड़त मजदूर चेतना संगठन बनाम मध्य प्रदेश (ए0आई0आर0 1995 एससी)	3

6	अध्याय 6- हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकायें धारा 63 से 93 तक	3
7	अध्याय 7- चीजें प्रस्तुत करने के लिए विवश करने वाली आदेशिकायें धारा 94 से 110 तक केस लॉ- तापस डी0 नियोगी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1999 क्रि0लॉ0ज0 4305 (एससी)	3
8	अध्याय 8-कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्तिकारी व्यवस्था तथा सम्पत्ति की कुर्की और समपहरण के लिए प्रक्रिया धारा- 111 से 124 तक	3
9	अध्याय 9-परिशान्ति एवं सदाचार बनाये रखने के लिए प्रतिभूति धारा- 125 से 143 तक	3
10	अध्याय 11-लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना न्यूसेन्स हटाना धारा- 148 से 167 तक	3
11	अध्याय 12-पुलिस का निवारक कार्य धारा 168 से 172 तक	1
12	अध्याय 13-पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ धाराएं धारा 173 से 196 तक केस लॉ- 1. रिट पिटीशन संख्या: 10792/2015 श्रीमती रीना कुमारी बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य (जनपद रामपुर) 2. ललिता कुमारी बनाम उ०प्र० राज्य 2014 (84) एससीसी 719 (एससीसी) 3. बृजलाल भर बनाम उ०प्र० राज्य 2006 (55) एससीसी 864 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) 4. रघुवीर बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (ए०सी०सी० 1995 पृष्ठ 216 मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद) 5. नंदिनी सत्पथी बनाम पी०एल० दानी राज्य 1976 एससीसी पृष्ठ 424 6. जोगेन्द्र नाहक बनाम उड़ीसा राज्य (ए०आई०आर० 1999 मा० उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 2565) 7. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2014) 9 एससीसी 129	4
13	अध्याय 14-जांचों और विचारणों में दण्ड न्यायालयों की अधिकारिता धारा 197 से 209 तक	3
14	अध्याय 15-कार्यवाहियों शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें धारा 210 से 222 तक केस लॉ- भगवंत सिंह बनाम पुलिस कमिश्नर 1985 एससीसी 246 (उच्चतम न्यायालय) एससीसी 2011 पृष्ठ 719	3
15	अध्याय 16-मजिस्ट्रेटों से परिवाद धारा 223 से 226 तक	1
16	अध्याय 17-मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारम्भ किया जाना धारा 227 से 233 तक	1

17	अध्याय 18-आरोप धारा 234 से 247 तक	3
18	अध्याय 19- सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण धारा 248 से 260 तक	2
19	अध्याय 20- मजिस्ट्रेटों द्वारा वारण्ट मामलों का विचारण धारा 261 से 273 तक	2
20	अध्याय 21- मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का विचारण धारा 274 से 282 तक	2
21	अध्याय 22- संक्षिप्त विचारण धारा 283 से 288 तक	1
22	अध्याय 23- सौदा अभिवाक् धारा 289 से 300 तक	2
23	अध्याय 24- कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी धारा 301 से 306 तक	2
24	अध्याय 25-जांचों और विचारणों में साक्ष्य धारा 307 से 336 तक	2
25	अध्याय 26-जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपबन्ध धारा 337 से 366 तक	2
26	अध्याय 27- विकृतचित अभियुक्त व्यक्तियों के बारे उपबन्ध धारा 367 से 378 तक	2
27	अध्याय 28- न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबन्ध धारा 379 से 391 तक	2
28	अध्याय 29-निर्णय धारा 392 से 406 तक	2
29	अध्याय 30-मृत्यु दण्डादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना धारा 407 से 412 तक	1
30	अध्याय 31-अपीलें धारा 413 से 435 तक	2
31	अध्याय 32-निर्देश और पुनरीक्षण धारा 436 से 445 तक	1
32	अध्याय 33-आपराधिक मामलों का अन्तरण धारा 446 से 452 तक	1
33	अध्याय 34-दण्डादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण धारा 453 से 477 तक	2
34	अध्याय 35-जमानत एवं बन्धपत्र से सम्बन्धित उपबन्ध धारा 478 से 496 तक केस लॉ- जसवन्त व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य ए०सी०सी० 1994 (31) पृष्ठ 425 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)	2
35	अध्याय 36-सम्पत्ति का व्ययन धारा 497 से 505 तक केस लॉ- सुन्दरभाई अम्बालाला देसाई बनाम गुजरात राज्य (उम०नि०प० 2003 पृष्ठ 338)	2
36	अध्याय 37-अनियमित कार्यवाहियां धारा 506 से 512 तक	1
37	अध्याय 38-कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा धारा 513 से 519 तक	2
38	अध्याय 39-प्रकीर्ण धारा 520 से 531 तक	2
कुल कालांश		78

नोट- प्रस्तावित पाठ्यक्रम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सापेक्ष हुए बदलावों/ नई अवधारणाओं / विशेषताओं को व्याख्यान में आच्छादित किया जाएगा।

मॉड्यूल 6(b) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अध्याय 1-प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1 व 2 केस लॉ- निसार अहमद बनाम बिहार राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 846 (उच्चतम न्यायालय)	2
2	अध्याय 2-तथ्यों की सुसंगतता धारा 3 से 50 तक 1. सुनील व अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली राज्य) एसीसी 2001 पृष्ठ 223 (उच्चतम न्यायालय) 2. विक्रम सिंह बनाम पंजाब राज्य 2010 (68) एसीसी 726 (एससी) 3. उकाराम बनाम राजस्थान राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 972 (उच्चतम न्यायालय)	7
3	अध्याय 3-तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं धारा 51 से 53 तक	2
4	अध्याय 4-मौखिक साक्ष्य के विषय में धारा 54 से 55 तक	2
5	अध्याय 5-दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में धारा 56 से 93 तक	6
6	अध्याय 6-दस्तावेजी साक्ष्य साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में धारा 94 से 103 तक	4
7	अध्याय 7-सबूत के भार के विषय में धारा 104 से 120 तक	4
8	अध्याय 8-विबन्ध धारा 121 से 123 तक	2
9	अध्याय-9 साक्षियों के विषय में धारा -124 से 139 तक	3
10	अध्याय 10- साक्षियों की परीक्षा के विषय में धारा-140 से 168 तक	5
11	अध्याय 11- साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में धारा-169	1
12	अध्याय 12- निरसन और व्यावृत्ति धारा-170	2
कुल कालांश		40

नोट- प्रस्तावित पाठ्यक्रम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सापेक्ष हुए बदलावों/ नई अवधारणाओं / विशेषताओं को व्याख्यान में आच्छादित किया जाएगा।

सप्तम समूह

कालांश- 146

पूर्णांक-100

7. केन्द्र एवं राज्य के विशेष अधिनियम

मॉड्यूल 7(a) केन्द्रीय एवं राज्य के विशेष अधिनियम (सैद्धान्तिक)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	माइनर एक्ट्स का परिचय (वस्तु उद्देश्य तथा क्षेत्र)	1
2	पुलिस अधिनियम 1861 धारा 1, 2, 4, 5, 7 से 9, 15 से 30, 34, 44	3
3	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 धारा 2 से 10, 13 से 20	2
4	महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम-1986 धारा 2 से 8	1

5	दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961/1986 धारा 2 से 8, 8ए	2
6	किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 धारा 1 से 32, 34, 37, 49, 63, 74 से 89, 94 एवं किशोर न्याय (बालक का देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली 2017	4
7	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 धारा 2, 3, 4, 5, 12, 18, 31 व 32	1
8	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 धारा 2 से 27, 34 व 42	2
9	महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 धारा 2 से 27 केस लॉ 1.विशाखा बनाम स्टेट आफ राजस्थान (एआईआर 1997 (6) एससीसी 241)	2
10	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 2 से 11 तक, 20, 23, 24 तथा सूचना का अधिकार नियमावली 2012 (यथा संशोधित)	2
11	विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 धारा 1 से 3, 7, 8, 10 से 25, 35 से 40, 43 से 46 अनुसूची सहित	2
12	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 2, 7 से 15, 17 से 20, 24	2
13	आयुध अधिनियम 1959 धारा 1 से 9 तक, 13 से 17 तक, 19 से 22 तक, 25 से 30 तक, 35 से 39 तक, धारा 45 तथा आयुध अधिनियम 195	2
14	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 धारा 1 से 7,10 से 16 (यथा संशोधित 2015) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995, नियम- 3, 5, 6, 7	5
15	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सम्पूर्ण	1
16	विस्फोटक अधिनियम 1884 धारा 4, 5, 9बी, 12, 13	1
17	धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 धारा 2 से 5, 16,17,18,19, 43 से 45	2
18	आवश्यक वस्तु अधि0 1955 धारा 2,3,6,7,से 11 (संशोधनों सहित)	1
19	भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 धारा 2, 137 से 182	1
20	लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 धारा 2 से 5	1
21	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 / नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ AIR 2018 Section 2, 3, 18	1
22	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 50, 51 व 55	2
23	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम – 1958, धारा- 2 से 4, 6 से 9, 12	1
24	शासकीय गुप्त बात अधि0 1923 धारा 2,3, से 13 तक	1
25	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957(कॉपी राइट एक्ट) धारा 2, 3, 14 , 52ए, 63, 63क, 64, 65, 68 क	1
26	राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971 सम्पूर्ण	1
27	मोटरयान अधिनियम 1988 धारा 2 से 5, 39, 62 ,112, 132, 133, 177, 179, 183, 184, 185, 192, 192ए , 194, 196, 197, 202 से 207	3

28	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (यथासंशोधित वर्ष 2009) धारा 65 से 78	3
29	उ०प्र० सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 धारा 2, 3 से 9, 13, 13ए, 14, 16	1
30	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा 2, 7 से 19, 22, 24	1
31	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 सम्पूर्ण	1
32	विद्युत अधिनियम-2003 धारा 2, 135 से 155 तक	2
33	पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम 1922 धारा 2, 3, 5, 6	1
34	स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (यथा संशोधित) धारा- 2, 4, 8, 15, से 32 तक धारा- 36अ, धारा 37, 49, 50, 51, 52, 52क, 55, 57, तथा नियमावली 1985 (यथा संशोधित)	5
35	दाण्डिक विधि संशोधन अधिनियम 1932 सम्पूर्ण	1
36	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 2 से 8, 12, 13 व 15	3
37	पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम 1966 सम्पूर्ण	1
38	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 2, 125, से 136 (संशोधनों सहित)	1
39	टेलीग्राफ एक्ट, 1985 धारा 5	1
40	मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 धारा 2, 3 से 12, 18 से 22	1
41	गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक(लिंग चयन प्रतिषेध) अधि० 1994 की धारा 2 से 6, 18 से 28, 30 (संशोधनों सहित)	2
42	राज्य द्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1911 धारा 2, 3, 5, 6, 8	1
43	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून-2019 धारा 1 से 7	1
44	गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम-1971 धारा 2 से 5	1
45	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1986 धारा 2, 3, 11 से 13, 21 से 36	1
46	भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 2, 3, 5, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 41, 52 से 58, 63, 64, 65, 66, 70, 77, 79	2
47	उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम 1955 (यथा संशोधित 2020) धारा 02 से 09	2
48	उ०प्र० आबकारी अधिनियम 1910 (यथा संशोधित 2017) धारा 48 से 72	2
49	उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-1998 धारा 2 से 12	1
50	उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 धारा 2 से 7	1
51	उ०प्र० प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधिनियम 1948 सम्पूर्ण	2
52	उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 63, 64, 65 व 129	1
53	उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 धारा 2 से 4, धारा 12, धारा 14 से 19 तक तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली 2021 के नियम-18, 21, 26 अध्याय-5 और अध्याय-6	4
54	उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 धारा 3, 4, 5, 10 व 11 नवीन संशोधन सहित	2
55	उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 धारा 1, 2, 4, 10, 12 व 13	1

56	संयुक्त प्रान्त विशेष शक्ति अधिनियम-1932 धारा 3 से 7	1
57	उ०प्र० विद्युत तार ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण तथा दण्ड) अधि०-1976 धारा 1, 3, 5, 6	2
58	उ०प्र० शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 धारा 2 से 8	1
59	उ०प्र० बंदी अधिनियम 1900 धारा 2 से 5 तक, धारा 7, 9, 10, 11, 13 एवं जेल मैनुअल - 1894 कैदियों से सम्बन्धित पैरा 1, 7, 8, 12, 15, 20, 46, 60, पैरा 61, 71, 94, 112, 127, 128 तथा उ०प्र० बन्दियों के दण्डादेश का (निलम्बन एवं परिहार) नियमाली 2007 यथासंशोधित।	3
60	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 धारा 2, 23, 24, 25, 28, 82, 83, 85, 87	1
61	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 3(क), (च), (छ), (ढ), (त), (न), 48 से 63, 66, 68, 69, 72 से 74, 77	2
62	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 धारा 2 से 7, 10, 15	1
63	बंदियों की पहचान अधिनियम 1920 धारा - 2, 3, 4, 5, 6	1
64	न्यायालय अवमान अधिनियम-1971 धारा-2,4,5,6,12,20	1
65	निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005, धारा 2 (f,g,h), 4, 6, 9, 20, 22	1
66	विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 धारा 2, 14, 14(a,b,c) पासपोर्ट अधिनियम 1967 धारा 2, 14, 14(a), (b), (c)	2
67	विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939- धारा 2 से 5 उत्प्रवास अधिनियम 1983- धारा 2, 3, 24, 25, 26,27, 35, उत्प्रवास नियम 1983- नियम 2,5,6,9,9(a)10, 15, 25	
	औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 धारा 3, 13, 27, 32, 33(h)	1
68	बंधित श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम 1976- धारा 2(a,b,d,e,g), 4, 5, 16 से 22	1
69	उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 धारा 1 से 7	1
कुल कालांश		113

मॉड्यूल 7(b) केन्द्रीय एवं राज्य के विशेष अधिनियम (प्रयोगात्मक)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 50 का अनुपालन	3
2	स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अभिगृहीत वस्तुओं का निपटारा।	
3	स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क के अनुसार समपह्त की गई स्वापक औषधियों एवं साइको ट्रॉपिक पदार्थों के निस्तारण की रिपोर्ट।	3
4	स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 57 के अंतर्गत गिरफ्तारी और अभिग्रहण की रिपोर्ट।	

5	स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम-1985 धारा 36अ(4), धारा 19 अथवा 24 अथवा 27 के अधीनदण्डनीय अपराध की विवेचना 180 दिन के भीतर पूर्ण न होने पर रिमाण्ड अवधि बढ़ाये जाने की आख्या दिया जाना।	1
6	पुलिस अधिनियम-1861 धारा 34 के अन्तर्गत रिपोर्ट भेजना।	1
7	पुलिस अधिनियम-1861 धारा 25-पुलिस अधिकारी द्वारा बिना दावे वाली सम्पत्ति व्ययन के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करना।	1
8	उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1970 धारा 3 के अन्तर्गत गुण्डों के बहिष्कासन इत्यादि की चालानी रिपोर्ट दिया जाना।	1
9	बहिष्कासन गुण्डे द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुए पुनः प्रवेश आदि पर धारा 11 के अन्तर्गत उसको हटाये जाने आदि की रिपोर्ट दिया जाना।	1
10	उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 72 के अन्तर्गत जब्ती की रिपोर्ट दिया जाना।	1
11	आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 6क के अन्तर्गत जब्ती की रिपोर्ट दिया जाना	1
12	विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1967 के अधीन अपराध का अन्वेषण 90 दिन में पूर्ण न होने पर रिमाण्ड अवधि बढ़ाने हेतु धारा 43घ(2ख) के अन्तर्गत रिपोर्ट दिया	1
13	वन अधिनियम-1927 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश की धारा 52क के अन्तर्गत जब्ती की रिपोर्ट दिया जाना।	1
14	किशोर न्याय अधिनियम-2015 के अन्तर्गत किशोर द्वारा 7 वर्ष से न्यून कारावास की सजा के मामले में रिपोर्ट दिया जाना।	1
15	किशोर न्याय अधिनियम-2015 के अन्तर्गत देख-रेख और संरक्षण से उपेक्षित बालक के सम्बन्ध में रिपोर्ट दिया जाना।	1
16	सार्वजनिक घूत अधिनियम तलाशी वारन्ट जारी करने हेतु धारा 5 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक को आख्या दिया जाना।	1
17	आयुध अधिनियम-1959 की धारा 17 शस्त्र अनुज्ञप्तियों के निलम्बन इत्यादि की रिपोर्ट दिया जाना।	1
18	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अन्तर्गत निरुद्ध हेतु रिपोर्ट दिया जाना।	1
19	मोटरयान अधिनियम-1988 के अन्तर्गत यातायात नियमों के उल्लंघन हेतु चालानी रिपोर्ट प्रेषित करना, धारा 62 के परिप्रेक्ष्य में वाहनों की चोरी एवं दुर्घटना के सम्बन्ध में सूचना संबन्धित अभिकरण को दिया जाना।	1
20	उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत 3 कार्यवाही हेतु गैंग चार्ट तथा गैंग चार्ट अनुमोदन हेतु थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा आख्या दिया जाना।	1

21	उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत धारा 14(1) के अन्तर्गत अपराध से अर्जित सम्पत्ति जब्ती की आख्या तैयार करना	1
22	आरोप पत्र का अनुमोदन प्राप्त करने सम्बन्धी आख्या तैयार करना तथा सुसंगत शासनादेश की जानकारी देना	2
23	विविध अधिनियमों के अन्तर्गत फर्द बनाया जाना, अधिग्रहण फर्द (मेमो) का बनाया जाना।	2
24	विविध अधिनियमों के अन्तर्गत अभियोजन अनुमति लेने हेतु रिपोर्ट तैयार करना	2
25	विविध अधिनियमों के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्ती हेतु रिपोर्ट तैयार किया जाना।	2
26	स्वापक एवं विनिषिद्ध पदार्थ का विचारण पूर्व निस्तारण	2
कुल कालांश		33

अष्टम प्रश्न-पत्र

कालांश-96

अंक-100

8. अपराध नियन्त्रण

मॉड्यूल 8(a) पुलिस रेगुलेशन

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अध्याय 9- ग्राम पुलिस पैरा- 89 से 93 व 95	2
2	अध्याय 10 - थाना में की गई रिपोर्ट पैरा- 97 से 103	2
3	अध्याय 11 – अनुसंधान पैरा-104 से 128	4
4	अध्याय 12- पंचायतनामा, शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का उपचार पैरा- 129 से 146 तक	3
5	अध्याय 13- गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा पैरा-147 से 164	3
6	अध्याय 14-सम्पत्ति की अभिरक्षा और निस्तारण पैरा-165 से 173 तक	2
7	अध्याय 15-विशेष अपराध पैरा-174 से 185 तक	3
8	अध्याय-17 गश्त व नाकाबंदी पैरा-190 से 195 तक	2
9	अध्याय 19- फरार अपराधी पैरा- 215 से 222 तक	2
10	अध्याय 20- बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी पैरा-223 से 276 तक केस लॉ (हिस्ट्रीशीटर की निगरानी के सम्बन्ध में) 1. खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (ए0आई0आर0 1963 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 1925)	4
11	अध्याय 22-अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज पैरा-283 से 300	3
12	अध्याय 23 - पुलिस थानों पर रखे गये अभिलेख पैरा-301 से 308 तक	2
13	अध्याय 27-विशेष विधियाँ और नियमों के अधीन कर्तव्य पैरा 338 से 354 तक	3

14	अध्याय 32-पुलिस अधिकारी के विभागीय दंड एवं उनका आपराधिक अभियोजन पैरा 486, 495, 496, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507	4
15	गार्ड्स एवं स्कोर्ट रूल्स नियम संख्या- 7 से 10, 12, 14, 15, 17 से 19, 21, 22, 24, 32, 37, 62, 76, 106, 153, 163, 185, 194, 196, 197	6
16	सुरक्षा और गार्ड कर्तव्य	1
17	गार्ड ड्यूटी के प्रकार:	1
18	खतरे में पड़े व्यक्ति की सुरक्षा	1
कुल कालांश		48

मॉड्यूल 8(b) अपराध की रोकथाम

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अपराध की रोकथाम- तकनीक एवं रणनीतियाँ।	2
2	बीट - उद्देश्य एवं प्रक्रिया- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बीट पद्धति-योजना, फैलाव (डिप्लायमेंट) एवं पर्यवेक्षण तथा सोशल मिडिया से बीटसूचना एकत्र करना	2
3	गश्त एवं पिकेट द्वारा अपराध की रोकथाम	1
4	आपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण- पुलिस को सूचना देने का हेतु (motive सूचना के अभिलिखित स्रोत-मुखबिरो का फैलाव एवं रख-रखाव / सूचना देने वाले एवं अभिकर्तागण, क्या करें क्या न करे ? आर.ए.एस.सी.ए.एल.एस इन एजेंट रिक्रूटमेंट - रेसिप्रोकेशन - ऑथोरिटी - स्कार्सिटी - कमीटमेंट एण्ड - लिफ्टिंग - सोशल प्रूफ	4
5	क्राइम मैपिंग	2
6	आपराधिक इंटेलिजेंस का प्रसार, प्रेक्षण कौशल	2
7	CCTNS के द्वारा भरे जाने वाले अभिलेखों का परिचय	1
कुल कालांश		14

मॉड्यूल 8(c) निगरानी और अभिसूचना संग्रह

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालाँश
1	निगरानी - उद्देश्य एवं तकनीक	1
2	सर्विलांस रिपोर्ट का प्रारूप	1
3	कानूनी प्राविधान एवं प्रक्रिया - निगरानी के तौर-तरीकों पर न्यायालय के निर्देश	2
4	आर्थिक अपराधियों पर निगरानी और जांच	1
5	असामाजिक तत्वों पर निगरानी और जांच	1
6	असामाजिक तत्वों पर खुफिया जानकारी	1
7	संदिग्धों और विदेशियों पर निगरानी	1
8	निगरानी उपकरण: एक परिचय	2
9	खुफिया जानकारी का संग्रह	1
10	सम्पत्ति अपराधियों पर खुफिया जानकारी	2
प्रयोगात्मक		
11	विस्तार के चरण - वास्तविक रिक्रूटमेंट फेज - ट्रेनिंग फेज - हैंडलिंग फेज	2
12	मोबाइल सर्विलांस के विभिन्न चरण	2
13	तैयारी, चयन की अर्हता	1
14	सर्विलांस वाचर का चयन / उनकी योग्यता	
15	वन मैन फुट सर्विलांस	1
16	टू मैन फुट सर्विलांस – थ्री मैन फुट सर्विलांस	
17	व्हीकल सर्विलांस करते समय क्या करें – क्या न करें	1
18	फुट / मोबाइल सर्विलांस / सावधानियों के सम्बन्ध में क्या करें, क्या न करें।	1
कुल कालाँश		21

मॉड्यूल 8(d) अपराध और पुलिस अभिलेख

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालाँश
1	थाने के अभिलेखों एवं रजिस्ट्रों का रख-रखाव	1
2	राज्य पुलिस नियमों / विनियमों के अनुसार थाने पर अभिलेखों एवं रजिस्ट्रों का रख-रखाव एवं उनकी उपयोगिता	1
3	विभिन्न अभिलेखों एवं रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ अंकित करने की प्रक्रिया।	3
4	अपराध नियन्त्रण में थाना अभिलेखों की भूमिका	1
5	भूमि संबंधी विवादों में सुसंगत भू- अभिलेखों की जानकारी	2
6	थाना अभिलेखों का कम्प्यूटीकरण एवं इसकी आवश्यकता	1
7	हिस्ट्रीशीट, व्यक्तिगत पत्रावली व दुष्चरित्र लेख का बनाया जाना,	2
8	गुहार (ह्यू एवं क्राई) नोटिस नामावली, क्रियाशील अपराधी सूची, मफरूर रजिस्टर	2
कुल कालाँश		13

9. सार्वजनिक क्षेत्र, यातायात और सुरक्षा

मॉड्यूल 9(a) कानून और व्यवस्था का संधारण

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	थाने के सामान्य कार्य - पुलिस थाना - अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था के रख-रखाव के सन्दर्भ में पुलिस स्टेशन के दैनिक क्रिया कलापों की जानकारी / महिला थाना / साइबर थाना / पर्यटक थाना	1
2	थाने के प्रभारी अधिकारी के दायित्व एवं शक्तियाँ	1
3	थाने के मानव एवं भौतिक संसाधनों के प्रबन्धक के रूप में भूमिका एवं विभिन्न अंशधारियों (स्टेकहोल्डर्स) की आवश्यकताओं एवं उत्तरदायित्व के प्रति अनुक्रिया	1
4	उपनिरीक्षकों एवं सहायक उप निरीक्षकों के दायित्व	2
5	थाने पर आरक्षियों / मुख्य आरक्षियों के कार्यों का पर्यवेक्षण	1
6	राजकीय भवन एवं थाना सम्पत्तियों का रख-रखाव आर्म्स एम्प्यूनेशन की देख-भाल एवं अभिरक्षा	1
7	थाने में लॉकअप का रखरखाव एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुरूप अभियुक्तों को सुरक्षित ले जाना	1
8	केस सम्पत्ति एवं रखरखाव एवं निस्तारण	1
9	डकैती एवं गृहभेदन जैसे अपराध के विशेष प्रकारों की रोकथाम	1
10	संगठित अपराध (संगठित अपराधों की रोकथाम हेतु शराब माफिया, टेण्डर माफिया एवं विभिन्न प्रकार के ठेकों के माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही	1
11	शान्ति – व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपाय।	1
12	सूचनाओं का एकत्रीकरण, संग्रह, फिल्टरिंग, एनालाइजिंग, डिजीजन एवं रिपोर्टिंग।	1
13	आपराधिक अभिसूचना के एकत्रीकरण में नागरिक सहयोग।	1
14	आपराधिक अभिसूचना का विकीर्णन	1
15	ग्राम चौकीदारों, सेवानिवृत्त अधिकारियों /कर्मचारियों एवं आग्नेयास्त्र धारकों का सहयोग प्राप्त करना।	1
16	अपराध एवं अपराधियों की कार्य पद्धति।	1
17	आवश्यकता एवं महत्व – सुसंगत पुलिस थाना अभिलेख, डीसीआरबी, एससीआरबी, एन.सी.आर.बी, इन्टरपोल से समन्वय।	2
18	जन शिकायतों पर समुचित कार्यवाही	1
19	फिरोती हेतु अपहरण के अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही	1
20	मानव दुर्व्यापार एवं शोषण	1
21	आतंकवादी संगठनों द्वारा इंटरनेट / सोशल मीडिया के उपयोग के प्रति रुझान	2

भीड़ नियंत्रण		
22	भीड़ मनोविज्ञान एवं व्यवहार, भीड़ के प्रकार	1
23	भीड़ नियन्त्रण के सिद्धान्त तथा रणनीति, अभिसूचना संकलन, विधिक उपाय, परामर्श एवं मध्यस्थता	1
24	अफवाहों पर नियंत्रण, सामाजिक मीडिया	1
25	कानून व्यवस्था की स्थितियों का पूर्वानुमान	1
26	थानों की दंगा नियन्त्रण योजना का ज्ञान	1
27	दंगारोधी योजना में गति, आदेश एवं नियन्त्रण की समस्याएँ	1
28	अर्द्धसैनिक बलों/पीएसी का व्यवस्थापन एवं उनका ड्यूटी रोस्टर	1
29	भीड़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में निरोधात्मक कार्यवाही के प्राविधान	1
30	अर्द्ध सैनिक व्यवस्थापन के दौरान समन्वय एवं सहयोग	1
31	न्यायिक जॉर्चे- कमीशन ऑफ इन्क्वायरीज़ एक्ट, 1952 की मुख्य विशेषताएँ	2
भीड़ नियंत्रण (प्रयोगात्मक)		
32	राजनैतिक आन्दोलनों, महिलाओं छात्रों, श्रमिकों, किसानों आदि के आन्दोलनों से निपटने में विशेष समस्याएँ एवं रणनीति ।	1
33	हिंसक भीड़ से निपटने के कम घातक तरीके एवं पुलिस द्वारा चरणबद्ध रूप से बल प्रयोग करने के प्राविधान	1
34	साम्प्रदायिक समस्याओं से जनहित हिंसक भीड़ से निपटना	1
आन्तरिक सुरक्षा		
35	आंतरिक सुरक्षा का वर्तमान परिदृश्य	1
36	सक्रिय आतंकवादी संगठनों की जानकारी	1
37	आन्तरिक सुरक्षा योजना	1
38	आतंकवाद एवं नक्सलवाद निरोधी उपाय एवं रणनीति	2
आन्तरिक सुरक्षा (प्रयोगात्मक)		
39	आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ-आतंकवाद,	1
40	नक्सलवाद एवं धार्मिक कट्टरवादिता सहित विभिन्न प्रकार के अतिवाद (केस अध्ययनों पर विचार-विमर्श)	1
41	आन्तरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में अभिसूचना का संग्रह	1
42	शहरी आतंकवाद	1
43	बंधक स्थितियों से निपटने की कार्य योजना ।	1
44	आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विशेष स्थानीय कानून	1
45	ATS द्वारा आन्तरिक सुरक्षा संबंधी मॉक ड्रिल का अभ्यास	2
विशिष्ट व्यक्तियों / महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था		
46	विशिष्ट व्यक्तियों / महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था-	1
47	अग्रिम सुरक्षा लायजन	1

48	प्रवेश नियंत्रण एवं तोड़फोड़ विरोधी परीक्षण (Anti Sabotage check) सहित वीआईपी सुरक्षा के सामान्य सिद्धान्त/ब्लू बुक/ग्रीन बुक/येलो बुक	1
49	वीआईपी के लिए सुरक्षा प्रबन्ध:- ठहरने के स्थान पर	1
50	सार्वजनिक सभा में कॉनवॉय प्रबन्ध सहित सड़क पर आवागमन के समय हेलीपैड / एयरपोर्ट पर, संवेदनशील स्थलों पर प्रभावी बैरीकेटिंग की व्यवस्था	3
51	महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं संवेदनशील बिन्दुओं यथा हवाई अड्डों, रेलवे, औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक महत्व के भवनों की सुरक्षा, वाइटल इन्सटालेशन की सुरक्षा अयोध्या, काशी, मथुरा, संसद, विधानसभा की सुरक्षा	3
विशिष्ट व्यक्तियों / महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था (प्रयोगात्मक)		
52	सार्वजनिक स्थानों, व्यस्त बाजारों/मॉल्स आदि पर विस्फोटकों से सावधानियां व सुरक्षा।	1
53	सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों का प्रयोग।	1
54	डीएफएमडी / एचएचएमडी,	1
55	व्यक्तिगत फ्रिस्किंग	1
मेला प्रबन्धन		
56	मेला क्षेत्रों का सेक्टरों में बांटकर पुलिस बल की नियुक्ति	1
57	यातायात व पार्किंग व्यवस्था	1
58	घुड़सवार, अग्निशमन पुलिस एवं संचार व्यवस्था	1
59	रिजर्व पुलिस बल की व्यवस्था	1
60	मेला यदि नदी किनारे है, तो जल पुलिस की व्यवस्था	1
61	मेले हेतु नौटंकी/जादू/मौत का कुआँ एवं अन्य मनोरंजन के साधनों का परमिट जारी करने से पूर्व सावधानियां	1
मेला प्रबन्धन (प्रयोगात्मक)		
62	अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त व्यवस्था आदि	1
त्योहारों पर पुलिस व्यवस्था (प्रयोगात्मक)		
63	त्योहार रजिस्टर में पर्व सम्बन्धी नोट्स का अवलोकन करना	1
64	संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की नियुक्ति करना	1
65	अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था करना	1
66	यातायात व्यवस्था करना।	1
67	शांति भंग करने वालों के विरुद्ध समय रहते कार्यवाही करना	1
68	धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजनों पर बिना शस्त्र शान्ति व्यवस्था बनाये रखना, सॉफ्ट स्किल, इमोशनल, इंटेलेजेंस. सिम्पेथी	1
त्योहारों पर पुलिस व्यवस्था (प्रयोगात्मक)		
69	संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की नियुक्ति करना	1
चुनाव के समय पुलिस व्यवस्था		
70	संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिन्हित करना	1
71	मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को शांतिपूर्वक मतदान करने का वातावरण प्रदान करना	1

72	वोटिंग मशीन व मतदान केन्द्र पर नियुक्त अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना	1
73	मतगणना के समय शान्ति व्यवस्था बनाये रखना	1
74	विधि विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध निरोधात्मक एवं कानूनी कार्यवाही करना	1
चुनाव के समय पुलिस व्यवस्था (प्रयोगात्मक)		
75	चुनाव परिणामों के बाद विजय जुलूसों की व्यवस्था करना	1
कुल कालांश		85

मॉड्यूल 9(b) यातायात के नियम एवं प्रबन्धन

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	यातायात यांत्रिकी, यातायात से जुड़े स्टेक होल्डर्स से समन्वय, सुरक्षा, शिक्षा एवं प्रवर्तन सहित यातायात प्रबन्धन की तकनीक।	2
2	यातायात चिन्ह एवं सिग्नलों का ज्ञान	1
3	राजमार्गों पर यातायात प्रबन्धन	2
4	यातायात सुरक्षा शिक्षा- ट्रैफिक पार्क, यातायात सुरक्षा पखवाड़ा / माह	1
5	यातायात कानूनों के प्रवर्तन में प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों-रडार गन, श्वास विश्लेषक, धुरी भार तौलना, स्वतः निकास उत्सर्जन विश्लेषक आदि को सम्भालना, सी.सी.टी.वी नियंत्रण कक्ष, डिफ्लेक्टर्स आदि।	3
6	वाहनों में लाल एवं नीली फ्लैश / बत्ती तथा हूटर व सायरन के प्रयोग करने सम्बन्धी नियमों का ज्ञान एवं प्रयोग करने हेतु अधिकृत गणमान्य व्यक्तियों / अधिकारियों की जानकारी।	2
7	Irada (इन्टीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस) एवं ई-चालान एप से सम्बन्धित सेमिनार	2
8	यातायात नियंत्रक एवं जन सहभागिता	1
9	यातायात बीट एवं तैनाती	1
प्रयोगात्मक		
10	ट्रैफिक जाम के समय यातायात व्यवस्था	1
11	ट्रैफिक डाईवर्जन प्लान	1
12	मोटरवाहन दुर्घटना –दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक सुरक्षा	1
13	प्रतिक्रिया समय, कारण एवं रोकथाम	1
14	दुर्घटना डाटा की रिपोर्टिंग /रिकार्डिंग एवं विश्लेषण	1
15	महत्वपूर्ण यातायात उल्लंघन के लिए चालान का तैयार किया जाना	1
16	मोटर दुर्घटना दावे	1
17	मुआवजा योजना	1
18	ब्लांइड स्पॉट स्टडी	1
कुल कालांश		24

मॉड्यूल 9(c) सुरक्षा एवं सुरक्षात्मक कर्तव्य

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालाँश
1	व्यक्तियों और भवनों की सुरक्षा की आवश्यकता और महत्व	1
2	खतरे की धारणा का आकलन	1
3	एस्कॉर्ट्स और काफिले की सुरक्षा	1
4	सुरक्षा कर्तव्यों के लिए योजना और तैनाती	1
5	सूचना और दस्तावेजों का संरक्षण	1
6	सुरक्षा शाखा द्वारा सेमिनार	3
कुल कालाँश		8

मॉड्यूल 9(d) राहत और आपदा प्रबंधन

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालाँश
1	आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय /राज्य/ जिला स्तरीय योजनायें	1
2	आपदा प्रबंधन के सम्बन्ध में अन्य विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं से सामंजस्य	1
3	अन्य आपदायें/बड़ी दुर्घटनायें-विस्फोट, अचानक भवन गिरना, औद्योगिक दुर्घटना, भगदड़, सड़क, रेल, वायु दुर्घटना आग की घटनायें, परमाणु एवं जैविक दुर्घटना इत्यादि के दौरान कार्य योजना एवं उत्तरदायित्व, फर्स्ट रेस्पॉन्डर के कर्तव्य एवं आत्म सुरक्षा, फर्स्ट रेस्पॉन्डर किट, पी.पी.ई. (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट), टीम किट एवं उपयोग के तरीके चिकित्सा देखभाल- मानव शरीर का परिचय, रोगी का आंकलन, आघात, साधारण चोटें, अस्पताल से पहले उपचार, पीड़ित को कैसे स्थिर किया जाये, देखभाल, पीड़ितों का लगातार आंकलन और परिवहन मलबे की सफाई और शवों का निस्तारण	5
4	बचाव एवं राहत कार्य-प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, चक्रवात भूस्खलन, तूफान, अतिवृष्टि आदि के समय कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व	1
5	SDRF द्वारा आपदा प्रबंधन संबंधी मॉक ड्रिल का अभ्यास	3
कुल कालाँश		11

मॉड्यूल 9(e) सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था से सम्बन्धित रिपोर्ट / आदेश (प्रयोगात्मक)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालाँश
1	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा - 126, 127, 128, 129, 136 के अन्तर्गत रिपोर्ट तैयार करना	1
2	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा - 141 के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रेषित करना।	1
3	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा - 152 लोक न्यूसेंस हटाने के लिए आख्या प्रेषित किया जाना।	1

4	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा - 164 भूमि या जल से सम्बन्धित विवादों से परिशान्ति भंग होने विषयक आख्या तैयार किया जाना	1
5	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा - 170 के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट प्रेषित किया जाना ।	1
6	त्योहार रजिस्टर में सुसंगत प्रविष्टियां करना ।	1
7	विभिन्न प्रकार के स्थायी आदेश बनाना, जिसमें सभी प्रकार की सावधानियां-क्या करें, क्या न करे आदि स्पष्ट रूप से अंकित किए जाने का अभ्यास किया जाना	1
8	मेलों एवं त्योहारों आदि पर थाना स्तर पर पुलिस बल की नियुक्ति का आदेश बनाना ।	1
9	गश्त, पिकेट, बैंक, ट्रेजरी सुरक्षा हेतु स्थायी आदेश बनाना ।	1
10	राजकीय सम्पत्ति का निरीक्षण नोट अंकित किया जाना ।	1
11	गोपनीय नोटबुक में प्रविष्टियां अंकित किया जाना / किसी घटना की जांच आख्या तैयार करना	1
कुल कालांश		11

दशम समूह

कालांश-124

अंक-100

10. विवेचना एवं परीक्षण – तरीके और कौशल

मॉड्यूल 10(a) विवेचना

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	विवेचना में उप-निरीक्षक / थानाध्यक्ष की भूमिका	1
2	विवेचना का परिचय - विवेचक अधिकारी की दक्षताएँ / कौशल	1
3	अपराध का पंजीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट का तैयार किया जाना, व्यवहारिक अभ्यास सहित	1
4	विवेचना के सिद्धांत, प्रश्नोत्तरी सहित पूछताछ	1
5	जांच व विवेचना में अंतर, सूचना एवं परिवाद में अन्तर / एस.आर.केसेज	1
6	सूचना एवं विवेचना - कानूनी पहलू	1
7	प्रथम सूचना रिपोर्ट – स्रोत 1- मौखिक / लिखित 2- एसएमएस / ई-मेल / टेलीफोनिक 3- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग / राज्य मानवाधिकार आयोग / मा10 न्यायालय / सक्षम अधिकारी से प्राप्त सूचना पर 4- अस्पताल व अन्य विभागों से प्राप्त सूचना पर 5- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया / न्यूज पेपर 6- जीरो प्रथम सूचना रिपोर्ट	1

8	अपराध घटना स्थल- a. अपराध घटना स्थल की परिभाषा b. घटना स्थल का प्रकार, शरीर / सम्पत्ति c. घटना स्थल का आकार (साईज) d. घटना स्थल को सुरक्षित रखना / अलग रखना e. घटनास्थल / क्राइम सीन को कौन विजिट कर सकते हैं 1. विवेचनाधिकारी 2. फोरेन्सिक विशेषज्ञ 3. कानूनी सलाहाकार 4. चिकित्सक एक्सपर्ट 5. कार्यपालक मजिस्ट्रेट 6. न्यायिक मजिस्ट्रेट 7. सुराग टीम 8. स्वान दल f. घटनास्थल की खोजबीन g. घटनास्थल का अभिलेखीकरण फोटो ग्राफी / विडियोग्राफी / स्कैच /नोट	3
9	घटनास्थल पर साक्ष्यों की पहचान कर नक्शा नजरी में स्थिति निर्धारित करना	2
10	प्रदर्शों की अभिरक्षा की कड़ी को बनाये रखना एवं विचारण न्यायालय के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करना	1
11	अभिलेखीय साक्ष्यों, सम्पत्ति एवं भौतिक साक्ष्यों का एकत्रीकरण:-तलाशी एवं जब्ती – जब्ती सूची की तैयारियाँ (भा0सा0अधि0) जब्ती मेमो, तलाशी मेमों आदि तैयार करना व सुपुर्दगीनामा तैयार करना ।	3
12	विभिन्न मामलों की विवेचना	
	1. हत्या	1
	2. जलाकर दहेज हत्या	1
	3. लूट एवं डकैती	1
	4. सड़क दुर्घटना	1
	5. अपहरण	1
	6. आगजनी	1
	7. गृह भेदन	1
	8. जहरखुरानी	1
	9. गबन, बैंक, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इन्श्योरेंस, वाणिज्य, डाकघर, रेलवे में धोखाधड़ी व प्रतिरूपण करके छल की विवेचना	2
	10. बलात्कार के मामले की विवेचना	1
	11. बलवा की विवेचना	1
	12. वाहन चोरी के मामले की विवेचना	1
	13. साइबर अपराध के मामलों की विवेचना	1

	14. एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध की विवेचना	1
	15. महिलाओं / बच्चों / अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य संवेदनशील के विरुद्ध अपराध की विवेचना	1
	16. निरोधात्मक कार्यवाही-गुण्डा अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अर्न्तगत जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी के मामलों की विवेचना	1
	17. एसिड अटैक, महिलाओं से सार्वजनिक दुराचार और पीछा करने के मामलों की विवेचना	1
	18. विदेशी अधिनियम एवं भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के मामलों की विवेचना	1
	19. महत्वपूर्ण केस स्टडी –‘बिकरू काण्ड’ व जनपद सोनभद्र के ग्राम उम्भा में जमीनी विवाद से सम्बन्धित घटित घटना की केस स्टडी तथा अन्य केस- स्टेडीज जो समय-समय पर प्रासंगिक होंगी।	2
13	बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध मामलों की विवेचना में साइबर टूल्स का प्रयोग	2
14	घरेलू हिंसा के मामलों को सम्भालना और ऐसे मामलों की विवेचना के संबंध में नवीनतम निर्णयज विधियाँ।	1
15	सूत्रों(मुखबिरो) द्वारा दी गयी सूचना, सावधानियाँ, अपराधिक सूचना के विभिन्न स्रोत व उनका उपयोग करने में सावधानियाँ, उपयोगी सूत्रों की तलाश	1
16	मौखिक साक्ष्य का एकत्रीकरण- साक्षीगण, संदिग्धों एवं अभियुक्तों का परीक्षण दृश्य / श्रव्य रिकॉर्डिंग सहित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 से 183, 191, 343 से 344। भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 धारा 22, 23, 24, 26 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) 22(1) एवं (2)	1
17	पूछताछ / संज्ञानात्मक साक्षात्कार के सिद्धान्त एवं तकनीकें	2
18	संस्वीकृति:- न्यायिक, गैर न्यायिक (कानून के सुसंगत प्राविधान)	1
19	मृत्यु कालिक कथन का अभिलेखन, (कानून की सुसंगत धारायें एवं नियम), स्वीकृति व संस्वीकृति में अंतर	2
20	विवेचना में प्रयोग किये जाने वाले मानक प्रारूप (सीसीटीएनएस), प्लॉन ड्राइंग	1
21	डिजिटल साक्ष्य का संकलन एवं उसे सुरक्षित रखना एवं तद्विषयक स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर	2
22	पंचनामा (धारा 194 से 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)- पंचनामा रिपोर्ट का तैयार किया जाना (निर्धारित प्रारूप में)- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुसंगत आदेश एवं निर्देश चिकित्सीय परीक्षण।	2
23	संदिग्ध अवस्था में शव (मृत्यु समीक्षा) 1.उप-निरीक्षक/थानाध्यक्ष/कार्यपालक मजि0 द्वारा पंचायतनामा तैयार करना एवं पोस्टमार्टम हेतु भेजे जाने वाले अभिलेखों का ज्ञान 2.गड़े शव को जमीन से निकालने की क्रिया (EXHUMATION)	2

24	शिनाख्त- शारीरिक विशेषताओं का अभिलेखन किया जाना, एक व्यक्ति की शिनाख्त के सम्बन्ध में सिद्धान्त- व्यक्ति एवं सम्पत्ति की टेस्ट शिनाख्त परेड (कैदी की शिनाख्त अधिनियम की सुसंगत धारारें) - पूर्ववत सत्यापन (राज्य पुलिस नियमों के सुसंगत प्राविधान)	2
25	केस डायरी (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 192)- केस डायरी लिखना, साक्ष्य चार्ट एवं साक्ष्य का मेमों, धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत बयान लिखना	2
26	व्यक्ति एवं स्थान की निगरानी, इलैक्ट्रॉनिक निगरानी, कॉल डिटेल् रिपोर्ट का विश्लेषण	2
27	अभियुक्त के अधिकार(गिरफ्तारी एवं तलाशी के परिप्रेक्ष्य में)	2
28	गिरफ्तार / आत्मसमर्पण अभियुक्त हेतु चिकित्सीय परीक्षण / रिमांड प्रक्रिया(1)न्यायिक रिमांड (2) पुलिस रिमांड, धारा 27 की उपयोगिता एवं अभियुक्त का कथन	2
29	गिरफ्तारी - अभिरक्षा मेमो का तैयार किया जाना	1
30	जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रस्तरवार आख्या तैयार करना	1
31	सूचना शीट, धारा 179 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत नोटिस	1
32	आरोप पत्र एवं अन्तिम रिपोर्ट दाखिल करना (धारा 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) एवं धारा 193 (9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कार्यवाही / विवेचना के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखों में प्रविष्टि/ मफरूर की कार्यवाही ।	2
33	थाना अभिलेख / साफ्टवेयर, डी.सी.आर.बी, एससीआरबी, एनसीआरबी एवं विवेचना के दौरान एमओबी से सहायता	1
34	क्षमा प्रदान किये जाने एवं अप्रवृत्त सम्बन्धी प्रक्रिया, प्रत्यार्पण सम्बन्धी प्रक्रियारें ।	1
35	केस के अन्तिम निर्णय के उपरान्त न्यायालय की अभिरक्षा में रखे हुए अभिलेख एवं नकदी का उन्मुक्त किया जाना। मनःस्वापक एवं निषिद्ध द्रव्यों का निस्तारण ।	2
36	विवेचना, रिमांड, केस डायरी, अंतिम रिपोर्ट एवं आरोप पत्र पर अभियोजन विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एवं कठिनाई के समय विधिक सलाह ।	2
37	हत्या और पोस्ट ब्लास्ट की जांच, सर्च मैथड, डाग स्कवायड और महिला व बच्चों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की सही और गलत भूमिका	2
38	अपराधियों को विदेशों से बुलाने का ज्ञान	1
कुल कालांश		79

मॉड्यूल 10(b) विवेचना प्रयोगात्मक (विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार करना)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालाँश
1	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 35(3) पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 36 गिरफ्तारी के ज्ञापन का आलेख तैयार करने का अभ्यास	2
2	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 48(3) गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना नामित व्यक्ति को देने की सूचना का रो0आम में अंकित किया जाना ।	1
3	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 49 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की तलाशी में पाये गये सामान की स्थिति का मेमो तैयार करना ।	1
4	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 51 अभियुक्त की चिकित्सक द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण सम्बन्धी आख्या तैयार करना ।	1
5	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 52 बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सक द्वारा परीक्षण किये जाने की आख्या तैयार किया जाना।	2
6	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त हेतु आख्या तैयार किया जाना ।	1
7	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 55 पुलिस अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तारी करने के लिए अधीनस्थ को प्रतिनियुक्ति करने का आदेश तैयार किया जाना ।	1
8	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 84 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा का आवेदन प्रस्तुत करना	1
9	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 84(4) निर्दिष्ट अपराधों में दण्डनीय अपराध के अधीन व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी को घोषित कराने हेतु आख्या तैयार करना ।	1
10	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 85 उद्घोषणा जारी होने के बाद फरार व्यक्ति की कुर्की में अभिग्रहीत सम्पत्ति की सूची का तैयार किया जाना।	1
11	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 103 बंद स्थान की तलाशी की सूची/मेमो बनाना ।	1
12	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 106 सम्पत्ति को अभिग्रहीत करने की रिपोर्ट तैयार करना	1
13	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 173 संज्ञेय अपराधों संबंधी सूचना का अंकन किया जाना	1
14	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 174 असंज्ञेय अपराधों सम्बन्धी सूचना का अंकन किया जाना	1
15	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 179 साक्षियों को हाजिरी की अपेक्षा करने में लिखित आदेश तैयार किया जाना	1

16	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 180 का परन्तुक साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध करने का अभ्यास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 180 का परन्तुक साक्षियों के कथनों को दृश्य, श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा लिखे जाने का अभ्यास	1
17	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 183 संस्वीकृतियों और कथनों को मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित करने हेतु आख्या प्रेषित करना।	1
18	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 184 बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षण सम्बन्धी आख्या तैयार करना।	1
19	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 185 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की फर्द बनाया जाना।	1
20	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 186 थाने का भारसाधक अधिकारी द्वारा अन्य अधिकारी से तलाशी वारण्ट जारी करने हेतु आख्या प्रेषित किया जाना।	1
21	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 113 भारत देश के बाहर किसी देश में अन्वेषण के लिए सक्षम अधिकारी को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाना।	1
22	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 187 न्यायिक अभिरक्षा / पुलिस अभिरक्षा हेतु आख्या प्रेषित किया जाना।	1
23	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 189 साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़े जाने की आख्या तैयार करना।	1
24	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 192 अन्वेषण में कार्यवाहियों की केस डायरी तैयार किया जाना	1
25	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 193 आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किया जाना।	1
26	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 193 (9) के अन्तर्गत अग्रिम विवेचना हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया जाना।	1
27	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 194 आत्म-हत्या आदि पर पुलिस द्वारा जाँच करना अथवा रिपोर्ट का तैयार किया जाना।	1
28	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 196(4) गड़े हुए शव की परीक्षा हेतु निकलवाने के लिए मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रेषित करना।	2
29	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 349 नमूना हस्ताक्षर व हस्तलेख देने के लिए आख्या प्रेषित करना।	1
30	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 478 / 480 जमानत प्रार्थना-पत्रों पर प्रस्तरवार आख्या प्रस्तुत किया जाना। जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना।	1
31	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 503/504/505 सम्पत्ति के अधिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी आख्या प्रेषित किया जाना	2
32	अपराध के घटनास्थल का नक्शा-नजरी बनाना।	1
33	पूछताछ आख्या तैयार किया जाना।	1

34	गम्भीर चोट, हत्या, चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार के मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया जाना।	2
35	लोक व्यवस्था भंग होने विषयक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया जाना।	1
36	निम्न अधिनियमों के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृत का प्रेषित किया जाना।	1
	(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 197, 208, 217, 218	1
	(ख) आयुध अधिनियम धारा 39	1
	(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 11	1
	(घ) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम धारा 7	
	(ड.) पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम, 1922 धारा 5	1
	(च) शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 धारा 13 (3)	
कुल कालांश		45

एकादश समूह

कालांश-144

अंक-75

11. विधि विज्ञान एवं न्यायालय प्रबन्धन

मॉड्यूल 11(a) विधि विज्ञान एवं विधि चिकित्सा शास्त्र

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	विधि विज्ञान का परिचय, विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं उसमें प्रयोग किये जाने वाले उपकरण	2
2	अपराध विवेचना में इसकी उपयोगिता	1
3	केन्द्रीय व राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाएँ, अन्य विशेषज्ञ संस्थान	2
4	पुलिस कार्य में उनकी उपयोगिता, फील्ड यूनिट	1
5	विशेषज्ञ राय के सम्बन्ध में कानून	1
6	घटना स्थल का दृश्य, संग्रह, रक्षण एवं परीक्षण भौतिक साक्ष्य और इनका महत्व, घटना स्थल पर भौतिक सूत्रों को पहचानना व एकत्रित करना घटना स्थल की फोटोग्राफी (प्रणाली- व्याख्यान एवं प्रदर्शन), पेट्रोल, डीजल, सौन्दर्य प्रसाधन, सीमेन्ट्स	4
7	भौतिक साक्ष्य से संबंधित लोकार्डो सिद्धान्त।	2
8	अंगुष्ठ छाप, इतिहास, महत्व, वर्गीकरण, छाप के प्रकार,	2
9	अदृश्य चिन्हों को विकसित करना एवं उठाना।	1
10	हथेली की छाप, एक अंकीय व दस अंकीय प्रणाली।	1
11	पद व जूतों की छाप, महत्व, पद छाप उठाने की विधियाँ	1
12	वॉकिंग पिक्चर, टायर मार्क, स्क्रिड मार्क	1

13	भौतिक साक्ष्यों की पहचान एवं विवेचना में इनकी उपयोगिता (1) रक्त- रक्त का विश्लेषण, रक्त समूह व रक्त की जाति का निर्धारण, रक्त साक्ष्य का संग्रह, परिरक्षण व पैकिंग परीक्षण विधियाँ, साक्ष्य के रूप में उपयोगिता (2) शारीरिक तरल- शुक्र, लार व पसीना-परिरक्षण व पैकिंग परीक्षण विधियाँ, साक्ष्य के रूप में उपयोगिता (3) बाल- संरचना, साक्ष्य के रूप में बाल की उपयोगिता (4) रेशे व कपड़े- रेशों का वर्गीकरण, साक्ष्य के रूप में उपयोगिता (5) काँच- संरचना, काँच विभंजन(glass breakage) से प्राप्त होने वाली जानकारी, संग्रह परिरक्षण एवं परीक्षण (6) मिट्टी- संरचना, संग्रह, परिरक्षण एवं परीक्षण (7) पेन्ट- रासायनिक संघटन, संग्रह, परिरक्षण एवं परीक्षण (8) मैल व धूल-साक्ष्य के रूप में उपयोगिता	6
14	अभिलेख-जाली दस्तावेज, दस्तावेज परीक्षण के सिद्धांत	2
15	पहचान हेतु परीक्षण- लेखन सतह, लेखन यंत्र	1
16	स्याही हस्तलिपि, विलेखन, संकलन विलोपन, परिवर्तन, गुप्त	2
17	जले व झुलसे दस्तावेज, टंकित लेख, हस्तलेख का नमूना प्राप्त करना	1
18	जाली नोट व सिक्के- पहचान के आधार	1
19	औजार चिन्ह, प्रकार, विलुप्त चिन्हों का पुनः उभारना (पुनः स्थापना)	1
20	टेलीग्राफ और ट्रेक्सन वायर्स / केबल्स का जाँच	1
21	एल्कोहल, ड्रग एवं नारकोटिक्स	2
22	विष- विषों का वर्गीकरण	1
23	सामान्यतः प्रयोग में लाये जाने वाले विष, विसरा सुरक्षित रखना	1
24	विष प्रकरण में संग्रहित किए जाने वाले साक्ष्य	1
25	डी0एन0ए0 की जाँच व उपयोगिता	1
26	डी0एन0ए0 सैम्पल लेना एवं परीक्षण हेतु भेजना	1
27	नारको एनालिसिस	1
28	ब्रेन मैपिंग एवं पॉलीग्राफ टेस्ट/ लाई डिटेक्टर टेस्ट- सामान्य जानकारी	2
29	अस्त्रक्षेप विज्ञान-आग्नेयास्त्र का वर्गीकरण, बोर, कारतूस, बुलेट, वैड, गन पाउडर, कारतूस व बुलेट पर बनने वाले निशान व परीक्षण, फायरिंग की दूरी का निर्धारण, गनशाट रेजीड्यू टेस्ट, रिकोचिटिंग	3
30	विस्फोटक-वर्गीकरण	2
31	सामान्यतः प्रयोग में लाये जाने वाले विस्फोटकों के सम्बन्ध में जानकारी ।	1
32	विस्फोट के घटनास्थल पर बरती जाने वाली सावधानियाँ	1
33	इन्फ्रारेड, अल्ट्रावाइलेट एवं एक्स-रेज, विवेचना में इनकी उपयोगिता	2
34	सुपर इम्पोजिशन फोटोग्राफी	1
35	पुलिस कार्य में फोटोग्राफी	1

36	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अर्न्तगत ट्रैप के मामलों में रंगों एवं रसायनों का प्रयोग (प्रणाली-व्याख्यान एवं प्रदर्शन)	2
37	फिंगर प्रिन्ट्स का कम्प्यूटराइजेशन, इन्डेक्सिंग	2
38	डाटाबैंक	1
39	क्रास चैकिंग करना तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा विकसित आटोमेटेड फिंगर प्रिन्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम।	2
40	कम्प्यूटर एवं नेटवर्क फारेन्सिक्स- सामान्य जानकारी / वेबसाइट संरचना	1
41	मोबाईल फोन की कार्यप्रणाली एवं प्रकार तथा उसके विभिन्न फंक्शनों का प्रयोग, मोबाईल फोन फारेन्सिक्स।	2
विधि चिकित्सा शास्त्र		
42	पुलिस कार्य में विधि चिकित्सा शास्त्र का क्षेत्र (स्कोप) एवं महत्व	2
43	मेडिकोलीगल साक्ष्य के दृष्टिकोण से घटना स्थल का निरीक्षण	2
44	चोटें व घाव, परिभाषा, साधारण व गम्भीर चोट, चोटें- विभिन्न प्रकार की नील,रगड़/खरोंच, कटे-फटे व कुचले घाव, घोपे हुए घाव, फ्रेक्चर, जलने के घाव, विद्युत करंट से आये घाव, आग्नेयास्त्र घाव	4
45	प्रवेश व निकासी घाव में अन्तर	1
46	भूख, गर्मी, सर्दी, रोशनी और बिजली से मौत	2
47	मृत्यु के कारणों एवं मृत्यु के पश्चात् व्यतीत समय पर बल देते हुए मेडिकोलीगल पहलू	2
48	पोस्टमार्टम एवं मेडिकोलीगल परीक्षण में सामान्यतः प्रयुक्त विभिन्न शब्द/शब्दावली।	2
49	हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना एवं स्वाभाविक (प्राकृतिक) मृत्यु	2
50	मृत्यु, मृत्यु के प्रकार, मृत्यु के कारण, फॉसी लगाकर मृत्यु, गला घोटकर मृत्यु, श्वासावरोध, पानी में डूबकर मृत्यु	3
51	मृत्यु पूर्व व मृत्यु पश्चात आयी चोटों में अन्तर, चोट की उम्र	2
52	मृत व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के तरीके:- उत्खनन, पोस्ट मार्टम परीक्षण, क्षत-विक्षत मृत शरीर का परीक्षण	2
53	आयु निर्धारण सहित जीवित व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के तरीके	2
54	यौन अपराध-बलात्कार, अवैध गर्भपात एवं बाल हत्या, बलात्कार और यौन पीड़िता में शारीरिक और मानसिक आघात	2
55	विष/विषैले पदार्थ के प्रभाव से मृत/जीवित व्यक्तियों के शारीरिक लक्षणों की पहचान	1
56	पागलपन के मेडिको कानूनी पहलू	1
57	मृत्यु के पश्चात शरीर पर दिखाई देने वाले लक्षण व उनका मेडिकोलीगल महत्व, डायटम परीक्षण	2

58	अस्थि अवशेष और लिंग एवं आयु का निर्धारण	1
59	अपराध (जीवित एवं मृत शरीर) कारित करने हेतु भारत में साधारणतः प्रयोग में लाये जाने वाले जहरों का मेडिकोलीगल पहलू	1
60	घायलों एवं लाशों का परिवहन	1
कुल कालांश		100

मॉड्यूल 11(b) विधि विज्ञान (प्रयोगात्मक)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	अपराध स्थल की सुरक्षा, फोटोग्राफी	2
2	भौतिक प्रदर्शों का उठाना, पैक करना	2
3	सील बंद करना, लेबल लगाना एवं परिवहन करना।	1
4	रक्त साक्ष्य का संग्रह	2
5	रक्त साक्ष्य की पैकिंग करना।	1
6	ड्रग डिटेक्शन किट द्वारा नारकोटिक्स का परीक्षण करना।	1
7	विस्फोट के घटनास्थल पर साक्ष्यों का एकत्रीकरण।	1
8	ट्रेप के मामलों में रासायनिक रंगों का प्रयोग।	1
9	विधि विज्ञान प्रयोगशाला / विशेषज्ञ हेतु पत्र / ज्ञापन तैयार करना एवं अग्रसारित करना।	1
10	फिंगर प्रिन्ट एवं पद चिह्न का लिया जाना व रीडर डिवाइस पर फिंगर प्रिन्ट लिया जाना।	2
11	हस्तलेख का मिलान करना	2
12	हत्या, चोरी, बलात्कार, सड़क दुर्घटना आदि अपराधों के घटनास्थल का प्रतिरूपण कर भौतिक साक्ष्यों का उठाया जाना।	2
13	अपराध स्थल अनुरूपण- परीक्षण कलर पोटेरेट का बनाया जाना।	2
कुल कालांश		20

मॉड्यूल 11(c) अभियोजन और न्यायालय प्रबन्धन

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	जनपदीय न्यायिक व्यवस्था डी0जी0सी0 (क्रिमिनल/सिविल)/ ए0डी0जी0सी0 (क्रिमिनल) व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/ अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी, कोर्ट मोहरीर आदि के कर्तव्य। मुकदमों की पैरवी	2
2	चार्जशीट, कोर्ट केस नम्बर, न्यायालय का रजिस्टर नम्बर-9	2
3	वाद के विचारण का महत्व	1
4	रिमाण्ड व जमानत की प्रक्रिया एवं सुनवाई, जमानत का निरस्तीकरण	1
5	अपील करने की प्रक्रिया	2

6	अभियोगों का सत्र न्यायालय में सुपुर्दगी / पैरोल की प्रक्रिया	1
7	गवाहों की समस्याएँ और उनका निराकरण अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती प्रदर्शों के रख- रखाव का ज्ञान	1
8	कॉल वर्क (पुकार) और स्थगन	1
9	सहायक लोक अभियोजकों से समन्वय	1
10	सम्मन एवं वारंट का तामीला	2
11	विचारण हेतु लम्बित मुकदमों की समीक्षा	1
12	निर्णय और निर्णय की प्रतियाँ	1
13	अभियोजन शाखा के चालान लिपिक व रिकार्ड कीपर के कर्तव्य	1
14	चालान (आरोप पत्र) की जाँच में अभियोजकों की भूमिका	1
15	आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार	1
16	अधीनस्थ विचारण न्यायालय	
17	सेशन विचारण न्यायालय	
18	लोक अदालत अभिवाक सौदेबाजी	1
19	न्यायाधिकरण केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण: सेवा मामले रेलवे दावा / विवाद न्यायाधिकरण एम.ए.सी.टी. (मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण)	2
20	उच्चतम न्यायालय / राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग / गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय का दिशा-निर्देश	2
	कुल कालांश	24

द्वादश समूह

कालांश-150

अंक-75

12. कम्प्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम

मॉड्यूल 12(a) कम्प्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम (सैद्धान्तिक)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	कम्प्यूटर का पुलिस विभाग में प्रयोग एवं उपयोगिता	2
2	कम्प्यूटर एवं इसके हिस्सों से परिचय-हार्डवेयर और डाटा स्टोरेज उपकरण जैसे – पेन ड्राइव आदि साफ्टवेयर,	2
3	नेटवर्किंग- 1. LAN, WAN, MAN 2. Router, Switch	2
4	मॉडम के प्रकार एवं उनका उपयोग	1

5	बेसिक वी.पी.एन. कंसेप्ट्स, वी.पी.एन. ओवर ब्रोडबैंड और एम.पी.एल.एस. तकनीक	1
6	प्रिंटर, स्कैनर, मल्टी-फंक्शनल प्रिंटर	1
7	आपरेटिंग सिस्टम (Operating System) - ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता - विण्डोज का परिचय - शेयर फोल्डर की अवधारणा	2
8	इंटरनेट का उपयोग - वेब सर्फिंग - ट्रबलशूटिंग टिप्स- कम्प्यूटर और नेटवर्क - बायोमेट्रिक्स का विज्ञान - पुलिस के लिए रोबोट और ड्रोन का उपयोग - शॉट स्पॉटर - थर्मल इमेजिंग - आर्टीफीसियल इंटेलिजेंस - बॉडी केमरा - ऑटोमेटिक लाइसेंस प्लेट रिकोगनिशन	5
9	इंटरनेट-टी0सी0पी0 / आई0पी0 प्रोटोकॉल, आई0पी0 एड्रेस स्कीम	2
10	डिजिटल सिग्नेचर / ई- सिग्नेचर	1
11	इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तकनीकियाँ- सीसीटीवी कैमरा, आई0पी0 कैमरा, सेटलाइट छवियाँ, जी0आईएस0 / जीपीएस, आरएफआईडी तकनीक	3
12	साइबर सुरक्षा	3
13	पुलिस विभाग में चल रहे विभिन्न पैकेज /साफ्टवेयर / एप्लीकेशन Heinous crime monitoring system, Missing persons, Track the missing child, Unidentified bodies, Stolen vehicle query (NCRB), UPCOP, TRINETRA, iRAD, NAFIS, PRAHARI, E-PRISONS, KAVACH	5
14	उ0प्र0 पुलिस बेवसाइट एक दृष्टि, सोशल मीडिया सैल, पीआरओ सैल एक दृष्टि	3
15	प्रदेश में कार्यरत मोबाइल कंपनियों के नाम एवं मुख्यालय तथा फोन नंबर	1
16	इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हेतु विभिन्न उपयोगी उपकरण	2
17	इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस-कॉल डाटा रिकार्ड प्राप्त करना एवं विश्लेषण करना	2
18	संदिग्धों/ अपराधियों की स्थिति का पता लगाना	1
19	फोन टेपिंग- मोबाइल पर संदिग्धों/अपराधियों को सुनना एवं उनकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना	1
20	विभिन्न अपराधों / घटनाओं के अनावरण में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के प्रभावी प्रयोग का ज्ञान	1

21	इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस:- प्रस्तुतीकरण (प्रशिक्षुओं द्वारा स्वयं तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा)	3
22	साइबर एक्सपर्ट के द्वारा साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर व्याख्यान एवं डेमोस्ट्रेशन	3
23	ई-चालान और हैंडलिंग प्रक्रिया के बारे में जानकारी- सरकारी वेबसाइट और परिवहन ऐप के बारे में ज्ञान	2
24	ऑनलाइन डिजिटल साक्ष्य के संग्रह के लिए उपकरण और ओपन सोर्स टूल्स के बारे में जानकारी	3
कुल कालांश		52

मॉड्यूल 12(b) कम्प्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम/CCTNS प्रयोगात्मक)

1	एमएस वर्ड में फाईल बनाना, एडिटिंग करना, इन्सर्ट एवं फोरमेट कमांड, फोन्ट सेटिंग एवं प्रिन्टिंग करना	3
2	एमएस एक्सेल पर कार्य करना, विभिन्न प्रकार के फंक्शन एवं फॉर्मूलों का ज्ञान कराना	3
3	पावर प्वाइंट में फाईल बनाना एवं स्लाइड्स बनाना, एडिटिंग	3
4	ई-मेल एकाउन्ट बनाना, ई-मेल भेजना / प्राप्त करना / फाइल डाउनलोड करना	2
5	कलर पोर्ट्रेट बिल्डिंग सिस्टम का परिचय एवं रेखा-चित्र बनाना	2
6	Data Bank Module -Vehicle theft	2
7	Citizen Services Module	
8	Extension Module	2
9	Central Services	
CCTNS		
10	सामान्य दैनिकी:- सामान्य दैनिकी का पंजीकरण, सामान्य दैनिकी को देखें	2
11	शिकायत:- नई शिकायत का विवरण जोड़ें, शिकायत का पंजीकरण देखें, शिकायत का जोड़ना और हटाना शिकायत का स्थानान्तरण, शिकायत के लिए जाँच अधिकारी की नियुक्ति / पुनः नियुक्ति, शिकायत जाँच रिपोर्ट स्वीकृत / अस्वीकृत करना	4
12	प्राथमिकी - आई0आई0एफ0 प्रथम का पंजीकरण	2
13	गैर संज्ञेय रिपोर्ट का पंजीकरण	2
14	चिकित्सीय न्यायिक मामला (एम0एल0सी0)	1
15	लापता व्यक्ति	1
16	खोई हुई संपत्ति	1

17	लापता मवेशी	1
18	अज्ञात मृत शरीर / अस्वाभाविक मृत्यु	1
19	सी-फार्म	1
20	लावारिस / परित्यक्त सम्पत्ति	1
21	अज्ञात व्यक्ति	1
22	अजनबी के रोल	1
23	आग हादसा	1
24	जाँच:- अपराध विवरण – IIF2	2
25	गिरफ्तार/आत्मसमर्पण – IIF3	2
26	जमानत विवरण	1
27	सम्पत्ति जब्ती – IIF4	2
28	मामले का पुनः आवंटन	1
29	पूछताछ प्रपत्र	1
30	अंतिम प्रपत्र / आरोप पत्र – IIF5	2
31	केस डायरी	1
32	आपराधिक फाइल	1
33	प्रकरण प्रगति रिपोर्ट	1
34	उद्घोषित अपराधी	1
35	आपराधिक रूपरेखा	1
36	व्यक्तिगत खोज ज्ञापन की तैयारी	1
37	रिमांड प्रपत्र	1
38	सम्पत्ति संचलन चालान/रसीद	1
39	बाहरी संस्थाएं	1
40	अभियोजन:- वारंट बुलाने, कोर्ट केस संख्या	1
41	कोर्ट ट्रायल विवरण	1
42	कोर्ट केस निपटान फार्म – IIF6	2
43	अपील के फार्म का परिणाम – IIF7	2
44	जेल विस्तार से जोड़े	1
45	सम्पत्ति के मालखाना से रिलीज के लिए कोर्ट में आवेदन	1
	कुल कालांश	65

13. संवेदीकरण मॉड्यूल

मॉड्यूल 13(a) - वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण	06
2	मुख्यालय यूपी 112 द्वारा प्रशिक्षण	06
3	मुख्यालय 1090 द्वारा प्रशिक्षण	06
4	मुख्यालय एस.टी.एफ. द्वारा प्रशिक्षण	06
5	मुख्यालय ए.टी.एस. द्वारा प्रशिक्षण	06
6	मुख्यालय एस.डी.आर.एफ. द्वारा प्रशिक्षण	06
7	मुख्यालय सतर्कता अधिष्ठान / भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा प्रशिक्षण	06
8	एफ.एस.एल. द्वारा प्रशिक्षण	06
कुल		48

नोट:- वर्चुअल प्रशिक्षण हेतु कुल कालांश (08 x 06) 48 होंगे।

मॉड्यूल 13(a) - विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	पूछताछ की विधियाँ	06
2	इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का स्वयं द्वारा संकलन किया जाना	06
3	अभिसूचना संकलन एवं प्रयोग	06
4	जेण्डर संवेदीकरण	06
5	स्वास्थ्य एवं पोषण / नेचुरोपैथी	06
6	उप-निरीक्षक - फर्स्ट रिस्पॉण्डर (यूपी 112 द्वारा)	03
7	Social Media Response	03
कुल		36

टाइपिंग

1	हिंदी में टाइपिंग का प्रशिक्षण – शब्द प्रति मिनट 25	60
---	---	----

उप-निरीक्षक ना0पु0 (सीधी भर्ती/मृतक आश्रित) बाह्य कक्षीयप्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विस्तृत विषय वस्तु

प्रथम समूह – कवायद (ड्रिल) / पदाति प्रशिक्षण

कालांश-160

पूर्णांक-165

मॉड्यूल 1 कवायद (ड्रिल) / पदाति प्रशिक्षण

क्र.सं.	विषय	कालांश	पूर्णांक
1(a)	टर्न आउट	-	10
1(b)	स्क्वाड ड्रिल एवं कमाण्ड लीडरशिप	52	40
1(c)	शस्त्र सहित ड्रिल	43	30
1(d)	रैतिक ड्रिल, सम्मान गार्ड व सोर्ड ड्रिल	21	20
1(e)	केन ड्रिल	07	05
1(f)	गार्ड मार्चिंग	07	10
1(g)	हर्ष फायर एवं शोक कवायद	02	05
1(h)	ई0ओ0डी0	02	05
1(i)	बलवा नियन्त्रण ड्रिल	16	15
1(j)	टीयर स्मोक	06	15
1(k)	अग्निशमन एवं बचाव ड्रिल	04	10
योग		160	165

पदाति प्रशिक्षण हेतु विषयवस्तु एवं कालांशो का विवरण

1(a)- टर्न आउट

कालांश- 0

अंक-10

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	टर्न आउट	0

1(b) स्क्वाड - ड्रिल एवं कमाण्ड लीडरशिप

कालांश-52

अंक-40

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	ड्रिल का परिचय	2
2	सावधान, विश्राम, आराम से	2
3	खड़े- खड़े मुड़ना	1
4	मुड़ना, आधा मुड़ना	2

5	सजना, तीन लाइन में फॉल-इन होना	2
6	गिनती करना	1
7	खुली लाइन, निकट लाइन	1
8	विसर्जन, बाहर निकलना साइजिंग	2
9	परेड पर फॉल-इन होना, कदमों की दूरी, समय	2
10	स्क्वाड में अन्तर में फॉल-इन होना	2
11	तेज चाल में मार्च करना व रुकना	2
12	कदम आगे, कदम पीछे तथा कदम साइड में चलना	2
13	धीमी चाल में चलना व थम	2
14	धीमी चाल में घूमना, मुड़ना	1
15	धीमी चाल से कदम ताल व थम	1
16	तेज चाल व दौड़ चाल में कदम ताल व थम	1
17	तेज चाल व धीमी चाल में कदम बदलना	2
18	दौड़ चाल में चलना, कदम ताल व रुकना	1
19	धीमी चाल, तेज चाल और दौड़ चाल में आना	1
20	धीमी चाल में लाइन में मार्च करना, घूमना	1
21	थम कर दिशा बदलना, चलते चलते दिशा बदलना (धीमी चाल में)	2
22	थम कर दिशा बदलना, चलते चलते दिशा बदलना (तेज चाल में)	2
23	थम कर स्क्वाड बनाना, चलते चलते स्क्वाड बनाना (धीमी चाल में)	2
24	चलते हुए तेज चाल में स्क्वाड बनाना	1
25	सिंगल फाइल में मार्च करना व तीन लाइन बनाना	1
26	तीन लाइन से दो लाइन बनाना	1
27	दो लाइन से तीन लाइन बनाना	1
28	धीमी चाल में मार्च करना व मुड़ना	1
29	तेज चाल में चलना व मुड़ना	1
30	तेज चाल में घूमना व मुड़ना	1
31	थम कर सैल्यूट, पत्र के साथ सैल्यूट	1
32	तेज चाल में पत्र के साथ सैल्यूट	1
33	दाहिने व बाएं का सैल्यूट	1
34	दाहिने देख, बाएं देख, बिना टोपी व सादे वस्त्र में	1
35	खड़े-खड़े दाहिने और बाएं बाजू चलना	1
36	फासला रखते हुए दाहिने बाजू और मध्य सज	1
37	धीरे चाल से सैल्यूट करना	1
38	धीरे चाल से खुली लाइन और निकट लाइन चलना	1
	योग	52

1(c) - शस्त्र सहित ड्रिल**कालांश-43****अंक-30**

1	राइफल के साथ सावधान, विश्राम और आराम से	1
2	संगीन लगाना, संगीन उतारना	1
3	बगल शस्त्र से सलामी शस्त्र, सलामी शस्त्र से बगल शस्त्र	2
4	बाजू शस्त्र से बगल शस्त्र, बगल शस्त्र से बाजू शस्त्र	2
5	सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
6	भूमि शस्त्र और उठा शस्त्र	1
7	निरीक्षण को बाएं शस्त्र, बोल्ट चला	1
8	बाएं शस्त्र से जाँच शस्त्र, बोल्ट चला, जांच शस्त्र से बाएं शस्त्र, जाँच शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
9	बाजू शस्त्र से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से बाजू शस्त्र, कन्धे शस्त्र से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से कन्धे शस्त्र	1
10	बाजू शस्त्र से सम्भाल शस्त्र, सम्भाल शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
11	तौल शस्त्र से बदल शस्त्र	1
12	सम्भाल शस्त्र से बदल शस्त्र	1
13	स्लिंग कसना व स्लिंग ढीली करना	1
14	बाजू शस्त्र से तान शस्त्र, तान शस्त्र से बाजू शस्त्र	1
15	तान शस्त्र से तथा बाजू शस्त्र से ऊँचा बायें शस्त्र	1
16	लटका शस्त्र, बगल शस्त्र	1
17	मुड़ना व आधा मुड़ना रायफल के साथ	1
18	बाजू शस्त्र की दशा में सजना	1
19	सजना, बायें सज, दाहिने सज, मध्य सज	1
20	खड़े हुए बट सैल्यूट, सामने का सैल्यूट, चलते चलते सैल्यूट पत्री के साथ सैल्यूट	2
21	रायफल के साथ चलते हुए दाहिने व बाएं का सैल्यूट	2
22	रायफल के साथ तेज चाल में मार्च	1
23	रायफल के साथ धीमी चाल में मार्च	1
24	धीमी चाल व तेज चाल में मुड़ना	1
25	रायफल के साथ मार्चिंग, धीमी चाल व तेज चाल में थम बनाना	1
26	धीमी चाल व तेज में रायफल के साथ मुड़ना व घूमना	1
27	रायफल के साथ धीमी चाल व तेज चाल मार्च में छोटे व लम्बे कदम में मार्च करना	1
28	स्वस्थान, लाइन तोड़, लाइन बन	1
29	थम कर दिशा बदलना (धीमी चाल व तेज चाल में)	1
30	थम कर स्क्वाड बनाना (धीमी चाल व तेज चाल में)	1

31	धीमी चाल, तेज चाल और दौड़ चाल में खुलना	1
32	रायफल के साथ सैल्यूट, पत्री के साथ सैल्यूट व दाहिने बाएं का सैल्यूट	1
33	सावधान में मार्च	1
34	शस्त्र के साथ तेज चाल में लम्बा कदम, छोटा कदम	1
35	स्क्वाड का मार्च करना, सिंगल फाइल बनाना व तीनों तीन बनाना	1
36	लाइन फॉर्मेशन से फाइल में रायफल सहित खुलना तीनों तीन बनाना व लाइन फॉर्मेशन बनाना	1
37	तीनों तीन से फाइल में रायफल के साथ खुलना, तीनों तीन बनाना व लाइन बनाना	1
38	शस्त्र के साथ स्क्वाड ड्रिल	2
	योग	43

1(d)- रैतिक ड्रिल, सम्मान गार्ड एवं सोर्ड ड्रिल

कालांश-21

अंक-20

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	सोर्ड (किर्च) व उसके भागों का परिचय	1
2	सावधान निकाल किर्च व वापस किर्च	2
3	सावधान से विश्राम व वापस	2
4	तेज चलना, धीरे चलना व रुकना	2
5	खड़े - खड़े सैल्यूट	2
6	चलते चलते सैल्यूट	2
7	रैतिक परेड व सम्मान गार्ड का ज्ञान व कमाण्ड करने का अभ्यास	10
	योग	21

1(e)- केन ड्रिल

कालांश-7

अंक-5

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	केन ड्रिल	7

1(f)- गार्ड माउंटिंग

कालांश-7

अंक-10

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	गार्ड माउंटिंग	3
2	क्वार्टर गार्ड की कार्य प्रणाली	
3	गार्ड ऑफ ऑनर	
4	वर्ड ऑफ कमाण्ड और स्क्वाड ड्रिल	
5	कम्पनी ड्रिल और प्लाटून ड्रिल	4
	योग	7

1(g)- हर्ष फायर एवं शोक कवायद**कालांश-2****अंक-05**

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	सलामी शस्त्र से उल्टा शस्त्र और उल्टा शस्त्र से सलामी शस्त्र, उल्टा शस्त्र से बगल शस्त्र	2
2	सलामी शस्त्र से शोक शस्त्र और शोक शस्त्र से सलामी शस्त्र, शोक शस्त्र से उल्टा शस्त्र और उल्टा शस्त्र से शोक शस्त्र	
3	उल्टा शस्त्र से तौल शस्त्र और तौल शस्त्र से उल्टा शस्त्र, तौल शस्त्र से बगल शस्त्र	
	योग	2

1(h)-ई०डी०ओ०**कालांश-2****अंक-05**

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	ई०ओ०डी०	2
	योग	2

1(i)- बलवा नियन्त्रण ड्रिल**कालांश-16****अंक-15**

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	भीड़ मनोविज्ञान	1
2	बलवा नियन्त्रण ड्रिल पर व्याख्यान व प्रदर्शन	2
3	भीड़ नियन्त्रण की तकनीक- नियन्त्रण पार्टियों का बनाना व तैयारी	2
4	बलवा नियन्त्रण ड्रिल	2
5	विभिन्न फार्मेशन व वाहन से उतरने की ड्रिल	2
6	व्याख्यान / प्रदर्शन, रैपिड ऐक्शन फोर्स द्वारा	2
7	भीड़ नियन्त्रण उपकरण	5
	i. गैस गन	
	ii. दंगा निरोधक गन (एण्टी राइट गन)	
	iii. पी.ए.जी.	
	iv. एम.एस.एल.	
	v. भविष्य के हथियार	
	योग	16

1(j) - टीयर स्मोक**कालांश-6****अंक-15**

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	परिचय, इतिहास, विशिष्ट गुण, कारतूसों के प्रकार व रेसपिरेटर	1
2	सेल्स व ग्रिनेड्स की संरचना, एम्यूनीशन्स को रखना	1
3	सुरक्षात्मक गियर (अंजलि)	1
4	टीयर स्मोक का टैक्टिकल (युक्तिपूर्ण) प्रयोग व चिली बम / स्टन ग्रिनेड, प्लास्टिक पैलेट्स प्राथमिक उपचार	1
5	गन ड्रिल व ग्रिनेड फेकने की ड्रिल	1
6	एम्यूनीशन्स का फेकना व फायर करना	1
	योग	6

1(k) - अग्निशमन एवं बचाव ड्रिल**कालांश-4****अंक-10**

क्र०सं०	विषय	कालांश
1	फायर टैंडर	2
2	वज्र वरुण	2
	योग	4

नोट-

- केन ड्रिल एवं ई०ओ०डी० का प्रशिक्षण ड्रिल मैनुअल के अनुसार कराया जायेगा।
- बलवा नियन्त्रण ड्रिल, टीयर स्मोक का प्रशिक्षण ए०पी०टी०सी सीतापुर से प्रकाशित पुस्तिका के अनुसार दिया जायेगा।
- अग्निशमन एवं बचाव ड्रिल के प्रशिक्षण में अग्निशमन विभाग के अधिकारी / कर्मचारियों को बुलाकर दिलाया जायेगा।
- वज्र वाहन एवं वाटर केन का प्रदर्शन जनपद पुलिस लाइन के प्रशिक्षित दस्ते द्वारा एवं अग्निशमन के अधि० / कर्म०गण को बुलाकर कराया जायेगा।

द्वितीय समूह – शस्त्र प्रशिक्षण रात्रि फायरिंग - सहित**कालांश-195****पूर्णांक-180****मॉड्यूल- 2(a) वेपन्स थ्योरी**

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1	5.56 एम.एम. इन्सास	10	8
2	7.62 एम.एम. एसएलआर	10	8
3	9 एम.एम. कार्बाइन / स्टेन	10	8
4	एके – 47	5	6

5	9 एम.एम. पिस्टल / ग्लॉक पिस्टल	10	8
6	.38" रिवाल्वर	5	6
7	.303" एल.एम.जी.	6	6
8	5.56 MM इन्सास (LMG)	8	6
9	7.62 MM SLR (LMG)	6	6
10	एमपी 5 गन	6	6
11	जी0एफ0 रायफल	5	5
12	एच0ई036 ग्रिनेड	4	4
13	2/51	4	5
14	पी0एम0एफ0 एवं वी0एल0पी0	3	4
15	पम्प एक्शन गन (डेमो)	3	4
योग		95	90

मॉड्यूल 2(b): शस्त्र फायरिंग के अंकों एवं कालांशों का विवरण

क्र.सं.	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	5.56 एम.एम. इन्सास (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन, स्नैप, मूविंग, रैपिड फायर)	12	8
2	7.62 एम.एम. एसएलआर (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन, स्नैप, मूविंग, रैपिड फायर)	12	8
3	9 एम.एम. कार्बाइन / स्टेन (कन्धे से सिस्त लेकर, बैटल क्राउच पोजीशन)	10	8
4	एके – 47 (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन, स्नैप, मूविंग, रैपिड फायर)	10	8
5	9 एम.एम. पिस्टल (ब्राउनिंग एवं ग्लॉक) (ग्रुपिंग, अटैक, बैटल क्राउच)	8	8
6	.38" रिवाल्वर (ग्रुपिंग, अटैक, बैटल क्राउच)	5	6
7	.303" एल.एम.जी. / 5.56 एम.एम. इन्सास (एल.एम.जी.) / 7.62 एम.एम. एस.एल.आर. (एल.एम.जी.) (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन)	7	6
8	जी0एफ0 रायफल (बालस्ट्राइड कार्ट्रिज)	9	6
9	एच0ई036 ग्रिनेड (डमी)	6	6
10	पी0एम0एफ0 (सफेद, लाल, हरा)	3	6
11	फोर्स स्पेसिफिक वेपन / एम.पी. 5 / एक्स-95 असॉल्ट राइफल (कन्धे से सिस्त लेकर, बैटल क्राउच पोजीशन)	8	8
12	2" / 51 एम.एम. मोर्टार	5	6
13	गैर घातक हथियार और तकनीक (नॉन लीथल वेपन्स एण्ड टेक्निक) (रबड़ बुलेट/पैलेट)	5	6
योग		100	90

शस्त्र फायरिंग का विवरण

2(b)(1)- 5.56 एम.एम. इन्सास (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन, रनैप, मूविंग, रैपिड फायर)

कालांश-12 (राउण्ड 30)

पूर्णांक-08

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार	1
2	खोलना, पुर्जों के नाम, जोड़ना	1
3	सफाई व रख-रखाव	1
4	शिस्त लगाना	1
5	भरना व खाली करना	1
6	लेटकर पोजीशन लेना व शस्त्र पकड़ना	1
7	शिस्त लेना प्रथम - दूरी व फिगर टारगेट	1
8	ट्रिगर नियन्त्रण	1
9	फायरिंग पोजीशन व एक गोली फायर करना	1
10	संचालन तंत्र और संभावित रुकावटें	1
11	साइट परिवर्तन, प्वाइण्ट ऑफ एम का चयन	1
12	हमला / सुरक्षा / विविध	1
योग		12

2(b)(2) - 7.62 एम.एम. SLR (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन, रनैप, मूविंग, रैपिड फायर)

कालांश-12 (राउण्ड 30)

पूर्णांक-08

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार	1
2	खोलना, पुर्जों के नाम, जोड़ना	2
3	सफाई व रख-रखाव	1
4	भरना व खाली करना	1
5	पकड़ना, लेटकर पोजीशन लेना, साइट निर्धारण - ले जाने की दशाएं	1
6	शिस्त लेना, एक गोली फायर करना, मेकेनिज्म व रुकावटें	2
7	साइट परिवर्तन, मूविंग टारगेट पर शिस्त लेना	1
8	बेनट फाइटिंग	1
योग		10

2(b)(3)- 9 एम.एम. कार्बाइन (कन्धे से सिस्त लेकर, बैटल क्राउच पोजीशन)

कालांश-10 (20 राउण्ड)

पूर्णांक-08

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार	1

2	खोलना व जोड़ना	1
3	रख-रखाव व सफाई	2
4	भरना व खाली करना	2
5	रूकावटें व तुरन्त कार्यवाही	2
6	ले जाने की दशाएं, शिस्त लेना - फायर पोजीशन	2

**2(b)(4) – ए०के० 47 (गुपिंग, एप्लीकेशन, स्नैप, मूविंग, रैपिड फायर)
कालांश-10 (30 राउण्ड)**

पूर्णांक-08

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार	1
2	खोलना व जोड़ना	
3	सफाई व रख-रखाव	
4	भरना व खाली करना	1
5	फायरिंग पोजीशन, ले जाने की दशाएं, फायरिंग	1
6	रूकावटें व तुरन्त कार्यवाही	1
7	होलिडिंग, एमिंग, ट्रिगर आपरेशन और जीरोइंग	3
8	मस्कटरी, पोजीशन और क्रियाएं	1
9	हमले की कार्यवाही / रक्षा / मिश्रित	1
10	TsOET/ हैंडलिंग अभ्यास	1

**2(b)(5)- 9 एम.एम. पिस्टल (ब्राउनिंग एवं ग्लॉक) (गुपिंग, अटैक, बैटल क्राउच)
कालांश-8 (15 राउण्ड)**

पूर्णांक-8

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार	2
2	पिस्टल का निरीक्षण	
3	सुरक्षा एहतियाती उपाय, खोलना जोड़ना, पिस्टल निकालना व वापस रखना	
4	देखभाल एवं सफाई	2
5	भरना एवं खाली करना	
6	फायरिंग पोजीशन, मेक सेफ की कार्यवाही, एक गोली फायर करना,	
7	रूकावटें व तुरन्त कार्यवाही	2
8	9 एम.एम. ग्लॉक पिस्टल परिचय, खोलना, साफ करना, जोड़ना, कार्यवाही चेक करना, भरना व खाली करना	
9	नीची तैयारी की दशा, शिस्त लेना, फायरिंग, रूकावटें व तुरन्त दूर करना, भिन्न भिन्न दशा से फायर	2

2(b)(6)- .38" रिवाल्वर (ग्रुपिंग, अटैक, बैटल क्राउच)**कालांश-5 (15 राउण्ड)****पूर्णांक-6**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार	3
2	रिवाल्वर का निरीक्षण, निकालना एवं वापस रखना	
3	देखभाल एवं सफाई	2
4	भरना एवं खाली करना	
5	फायरिंग पोजीशन में फायरिंग करना	
6	सुरक्षा एहतियाती उपाय, खोलना जोड़ना,	

2(b)(7)-5.56 एम.एम. इन्सास (एल.एम.जी.) / 7.62 एम.एम. एस.एल.आर. (एल.एम.जी.) (ग्रुपिंग, एप्लीकेशन)**कालांश-7 (10 राउण्ड)****पूर्णांक-6**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार	7
2	निरीक्षण	
3	खोलना जोड़ना, हिस्से पुर्जों के नाम, साफ सफाई	
4	आम जानकारी, भर पोजीशन भरना, रेडी, फायर, रोक फायर	
5	एल.एम.जी. का खाली करना, मेक सेफ की कार्यवाही (हैंडलिंग)	
6	होलिडिंग, एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन	
7	विभिन्न पोजीशन प्राकृतिक संरेखण से सिध्दाई प्राप्त करना	
8	फिक्स्ड लाइन और बाईपाड	
9	LMG / TsOET का समूहन / जीरोइंग	
10	फायरिंग प्रैक्टिस (एप्लीकेशन / क्लासीफिकेशन)	
11	साइट का समायोजन, प्वाइण्ट ऑफ एम और लीड समायोजन	
योग		

2(b)(8)- जी.एफ. रायफल (बालस्ट्राइड कार्ट्रिज)**कालांश-9 (01 राउण्ड)****पूर्णांक-6**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	परिचय, गुण, पहचान व प्रकार	2
2	पुर्जों के नाम, खोलना, जोड़ना	
3	शिस्त लगाना	1
4	सफाई व रख-रखाव	1

5	भरना व खाली करना	
6	पोजीशन लेना व शस्त्र पकड़ना	1
7	शिस्त लेना - दूरी व टारगेट का निर्धारण	
8	ट्रिगर नियन्त्रण	1
9	फायरिंग पोजीशन व फायर करना	
10	ट्यूब लॉन्चिंग मार्क1- (MK-1) थ्रोइंग एंड लॉन्चिंग टेस्ट ,ग्रेनेड फेंकना और फायरिंग	3

2(b)(9)- एच०ई० 36 ग्रिनेड (डमी)

कालांश-6

पूर्णांक-6

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	परिचय	2
2	खोलना, पुर्जों के नाम, जोड़ना	
3	प्राइम करना, अनप्राइम करना	1
4	थ्रो करने की पोजीशन, थ्रो करना	1
5	डैमोलिशन सैट की जानकारी	1
6	ब्लाइंड ग्रिनेड को डैमोलिश करना	1

2(b)(10)- PMF (सफेद, लाल, हरा)

कालांश-3 (03 राउण्ड)

पूर्णांक-6

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	परिचय	1
2	खोलना, पुर्जों के नाम, जोड़ना	
3	भरना व खाली करना	1
4	फायरिंग पोजीशन	1
5	फायर करना	

2(b)(11)- फोर्स स्पेसिफिक वेपन/एमपी 5/ एक्स -95 असॉल्ट राइफल (कन्धे से सिस्त लेकर, बैटल क्राउच पोजीशन)

कालांश-8 (10 राउण्ड)

पूर्णांक-8

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	फोर्स स्पेसिफिक वेपन/एमपी 5/ एक्स -95 असॉल्ट राइफल Tavor X-95 आदि (का परिचय ,उद्देश्य और विशेषता	2
2	सुरक्षा ,स्ट्रिपिंग ,असेम्बलिंग और सफाई	1
3	लोड और अनलोड (भरना, खाली करना)	1

4	विभिन्न पोजीशनों से कुदरती सिधाई प्राप्त करना और फायरिंग करना	2
5	मैकेनिज्म और रोकें, रूकावटें	1
6	फायरिंग अभ्यास	1

2(b)(12)- 2"/ 51 mm मोर्टार

कालांश-5

पूर्णांक-6

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	2"/ 51 मिमी मोर्टार का परिचय, अभिविन्यास और विशेषताएं	1
2	पहचान, मैकेनिज्म, विशेषताओं और बमों की पैकिंग	1
3	बम तैयार करना, भरना, खाली करना, लेइंग और फायरिंग	1
4	फायर का कोण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायर 51, मिमी मोर्टार और अग्नि नियंत्रण के कर्तव्य।	1
5	51मिमी मोर्टार फायरिंग	1

2(b)(13) गैर घातक हथियार और तकनीक (पैलेट /रबड़ बुलेट)

कालांश-5

पूर्णांक-6

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	गैर-घातक हथियार और तकनीक	2
2	टियर स्मोक सामग्री का परिचय	1
3	टियर स्मोक गन की कार्यवाही	2

- शस्त्र प्रशिक्षण में व्यवहारिक मामलों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये न कि तकनीकी विवरणों पर प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षु को शस्त्र हैंडलिंग व सही निशाने में दक्ष करना है।

निम्नलिखित सत्र रात्रि फायरिंग में जोड़े जाए –

- रात्रि शस्त्र हैंडलिंग - चार रात्रि
- रात्रि फायरिंग - चार रात्रि

तृतीय समूह-फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिक्स, मैप रीडिंग, रूट मार्च व जंगल ट्रेनिंग

कालांश-285

पूर्णांक-150

मॉड्यूल 3: फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिक्स, मैप रीडिंग, रूट मार्च व जंगल ट्रेनिंग

अंकों एवं कालांशों का विवरण

क्र.सं.	विषय	कालांश	पूर्णांक
3(a)	फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स एण्ड जंगल ट्रेनिंग	74	50
3(b)	अर्बन एरिया टैक्टिक्स	35	20

3(c)	कमाण्डो ट्रेनिंग	50	25
3(d)	नक्सलवाद / आतंकवाद / दस्यु उन्मूलन	25	20
3(e)	सैण्ड मॉडल ब्रिफिंग / मैप रीडिंग / डिजिटल सैण्ड मॉडल	50	25
3(f)	रूट मार्च (फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स के अभ्यास सहित)	51	25
योग		285	165

3(a)- फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स एण्ड जंगल ट्रेनिंग

कालांश-74

पूर्णांक-50

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1	फील्ड क्राफ्ट के टैक्टिकल शब्दों का ज्ञान / परिभाषाए	3	2
2	केमोफ्लेज एवं कन्सीलमेंट	4	2
3	भूमि के प्रकार एवं भूमि का वर्णन	4	2
4	आड़ के प्रकार	4	2
5	देख-भाल के तरीके	4	2
6	दूरी निर्धारित करना / अनुमान लगाने के तरीके	4	2
7	चीजें क्यों नजर आती हैं ?	4	2
8	फील्ड संकेत	4	3
9	सेक्सन / प्लाटून संरचना	4	2
10	विभिन्न टारगेटों की पहचान एवं समझ	4	2
11	कैम्प स्थापित करना	5	2
12	घात / प्रतिघात एवं धावा	4	4
13	कोम्बिंग अभियान	4	4
14	आड़ एवं फायर	3	2
15	निगरानी	3	2
16	कार्डन एवं खोज निकालना एवं ढूंढना	6	3
17	सामरिक चालें (tacticle move & halting)	4	2
18	Duties of Night sentries	2	3
19	Fire Control Order & Fire Discipline	2	4
20	Stalking	2	3
योग		74	50

3(b)-अर्बन एरिया टैक्स्ट्स**कालांश-35****पूर्णांक-20**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	अर्बन एरिया टैक्स्ट्स से सम्बन्धित शस्त्र एवं अन्य उपकरणों का डेमो	6
2	भवन एवं कक्ष इन्टरवेशन	6
3	इन्टरवेशन के समय शस्त्र की पोजीशन	6
4	बन्धक को मुक्त कराना	6
5	रोड ब्लॉक एवं वाहनों व्यक्तियों की चैकिंग करना	6
6	मोबाइल चैक पोस्ट स्थापित करना	5

3(c)- कमाण्डो ट्रेनिंग**कालांश-50****पूर्णांक-25**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	PET - फिजिकल इफीसिएन्सी	13
2	BPET- बैटल फिजिकल एन्डोरेन्स टेस्ट	13
3	काम्बैट फायरिंग	12
4	एक्सप्लोसिव हैण्डलिंग, IED डेमो	12

3(d)- आतंकवाद / नक्सलवाद / दस्यु उन्मूलन**कालांश-25****पूर्णांक-20**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	विभिन्न आतंकवादियों समूहों द्वारा अपनायी गयी टैक्स्ट्स की जानकारी	25
2	नक्सलवादियों / दस्यु संगठनों द्वारा अपनायी गई टैक्स्ट्स की जानकारी एवं प्रति उपाय करना	

3(e)- सैण्ड मॉडल ब्रीफिंग/ मैप रीडिंग**कालांश-50****पूर्णांक-25**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	मानचित्र का परिचय तथा मैप रीडिंग का उद्देश्य, स्केल	5
2	रूढ़िवादी चिन्ह	3
3	कॉन्टूर्स की जानकारी	4
4	ग्रिड सन्दर्भ	3
5	दिशाएं दिन व रात्रि	3
6	प्रिज्मेटिक कम्पास	5
7	मानचित्र सैट करना एवं अपनी पोजीशन खोजना	5

8	परिभाषाएं	4
9	सेण्ड मॉडल का परिचय / ब्रीफिंग	8
10	जी.पी.एस. के प्रयोग सहित नेवीगेशन	10

3(f)- रूट मार्च

कालांश-51

पूर्णांक-5

क्र.स.	विषय	कालांश
1	रात्रि में देखने के उपकरणों का परिचय व कम्पास सहित नाइट मार्च	7
2	05 किलोमीटर (राइफल सहित) ऑब्जरवेशन स्किल टेस्ट	7
3	08 किमी (रायफल व भरे हुए हैवर सैक सहित) फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स की एक्सरसाइज व दूरी का अनुमान लगाने के अभ्यास सहित	7
4	10 किमी (रायफल सहित) दूरी का अनुमान लगाने का अभ्यास व मेमोरी स्कैचिंग	7
5	12 किमी (रायफल सहित) फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स अभ्यास (नाइट रूट मार्च व पैट्रोलिंग)	7
6	15 किमी (रायफल सहित) फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स अभ्यास सेक्सन चांस एन्काउण्टर व कोम्बिंग	7
7	20 किमी (रायफल सहित) फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स अभ्यास व युद्ध संचारण अभ्यास	9
कुल कालांश		285

नोट-

- फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स, मैप रीडिंग एवं रूट मार्च का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रत्येक दशा में प्रशिक्षण संस्थान के निकटवर्ती जंगल में ही कराया जाये।
- कमाण्डो ट्रेनिंग केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा करायी जा सकती है।
- रात्रि प्रशिक्षण शनिवार की रात्रि अथवा अवकाश से पूर्व की रात्रि में कराया जा सकता है।

चतुर्थ समूह-विस्फोटको का ज्ञान एवं वन मिनट ड्रिल

कालांश-50

पूर्णांक-45

मॉड्यूल 4(a) : विस्फोटकों का ज्ञान

कालांश-30

पूर्णांक- 25

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	विस्फोटकों का परिचय एवं विस्फोटक का स्वभाव	2
2	विस्फोटकों के प्रकार व पहचान (लेक्चर व डेमो)	2
3	डेटोनेटर, इसके प्रकार व पहचान (लेक्चर व डेमो)	3

4	विस्फोटकों की पहचान करने में सावधानी व सुरक्षा	3
5	देशी बम्बों का परिचय और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज	2
6	कमाण्ड मेकेनिज्म (तार, रिमोट कन्ट्रोल, टाइमर, प्रेशर लाइट आदि) लेक्टर व डेमों	3
7	भूमि सुरंगों का परिचय	5
8	बमों की खोज व डिस्पोडल से पूर्व की कार्यवाही	5
9	विस्फोटक के बाद का परीक्षण - भौतिक साक्ष्य का विधि विज्ञान के दृष्टिकोण से एकत्रीकरण	5
	कुल कालांश	30

मॉड्यूल 4(b): वन मिनट ड्रिल

कालांश-20

पूर्णांक-20

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	पी.टी. ड्रेस बदल कर यूनिफार्म पहनना	2
2	एक पैर पर खड़े होकर जूते बांधना	2
3	भूतल से प्रथम तल पर मेडिसिन बॉल पहुँचाना	2
4	शस्त्रागार से सुरक्षित ढंग से शस्त्र निकालना व रखना	2
5	गाड़ी की चैकिंग करना	2
6	चीजों को याद रखना	2
7	तत्काल गाढ़ाबन्दी करना	2
8	बिना आवाज के सूचना पहुँचाना	2
9	अंधेरे में मैग्जीन भरना	2
10	अंधेरे में हेवरसेक पैक करना	2
	कुल कालांश	20

पंचम समूह – शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण (पी.ई.टी.)

कालांश-214

पूर्णांक-165

मॉड्यूल-5

5(a)	शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)	45	40
5(b)	बैटल फिजीकल एन्ड्योरेंस	25	30
5(c)	दौड़ 100 मीटर	6	10
5(d)	400 मीटर दौड़	6	10
5(e)	क्रिकेट बॉल थ्रो	6	10
5(f)	रस्सी कूद (महिला)/ दण्ड बैठक (पुरुष)	6	10
5(g)	ग्राउण्ड वर्क	30	05

5(h)	बीम कार्य		10	05
5(i)	बीम संतुलन (बैलेन्स)		10	05
5(j)	वाल्डिंग हार्स		10	05
5(k)	लॉग व्यायाम		10	05
5(l)	पी0टी0 एवं एपरेटस वर्क			
	1	पी0टी0 एक्सरसाइज	50	30
	2	कमाण्ड लीडरशिप		
	3	सामने लुढ़क (महिलाओं के लिए लम्बी कूद)		
	4	पीछे लुढ़क (महिलाओं के लिए ऊंची कूद)		
	5	रस्सा		
	कुल कालांश		214	165

5(a)(i)-शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी०ई०टी०) पुरुषों हेतु मानक

उत्तीर्ण – 60 प्रतिशत

कालांश-45

पूर्णांक-40

क्र.सं.	परीक्षण	दक्षता स्तर				प्राप्तांक			
1	2.5 किमी0 दौड़	12 मिनट	13 मिनट	14 मिनट	15 मिनट	8	7	6	5
2	10 किमी क्रॉस कन्ट्री दौड़	55 मिनट	60 मिनट	65 मिनट	70 मिनट	8	7	6	5
3	चिन अप्स	8	7	6	5	8	7	6	5
4	घुटने मोड़कर सित अप्स (02 मिनट)	40	38	35	32	8	7	6	5
5	5 मीटर्स शटल (01 मिनट)	16	15	14	13	8	7	6	5

टिप्पणी –

- शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु पोशाक – पी0टी0 ड्रेस
- जो प्रशिक्षु एक इवेंट में अनुत्तीर्ण होगा, वह पूरक परीक्षा में मात्र उसी इवेंट में पुनः सम्मिलित होगा।
- जो प्रशिक्षु दो या दो से अधिक इवेंट में अनुत्तीर्ण होगा, वह उपरोक्त सभी इवेंट में अनुत्तीर्ण माना जायेगा और पूरक परीक्षा में दोबारा सभी इवेंट्स में सम्मिलित होगा।

5(a)(ii)-शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी०ई०टी०) महिलाओं हेतु मानक

उत्तीर्ण – 60 प्रतिशत

कालांश-45

पूर्णांक-40

क्र.सं.	परीक्षण	दक्षता स्तर				अंक			
1	2.5 किमी० दौड़	15 मिनट	16 मिनट	17 मिनट	18 मिनट	8	7	6	5
2	100 मीटर तीव्र दौड़	16 सेकेण्ड	18 सेकेण्ड	20 सेकेण्ड	22 सेकेण्ड	8	7	6	5
3	बीम	5	4	3	2	8	7	6	5
4	घुटने मोड़कर सिट अप्स (02 मिनट)	35	30	25	20	8	7	6	5
5	5 मीटर्स शटल (01मिनट)	14	13	12	11	8	7	6	5

टिप्पणी –

- शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु पोशाक – पी०टी० ड्रेस
- जो महिला प्रशिक्षु अधिकतम 2 इवेंट में अनुत्तीर्ण है, वह पूरक परीक्षा में उन इवेंट्स में पुनः सम्मिलित होगी।
- जो महिला प्रशिक्षु 3 या उससे अधिक इवेंट्स में अनुत्तीर्ण होगी, वह उपरोक्त पाँचों इवेंट में अनुत्तीर्ण मानी जायेगी और पूरक परीक्षा में दुबारा सभी इवेंट्स में सम्मिलित होगा।

5(b)(i)-बैटल फिजीकल एन्ड्योरेन्स टेस्ट (पुरुषों हेतु समय का मानक)

कालांश-25

अंक-30

क्र.सं.	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक			उत्तीर्ण
1	5 किमी० दौड़	30 मिनट	32 मिनट	34 मिनट	10	8	6	60 प्रतिशत
2	60 मीटर तीव्र दौड़	10 सेकेण्ड	11 सेकेण्ड	12 सेकेण्ड	05	04	03	60 प्रतिशत
3	9 मीटर गड्ढा (9x9 मय 2.5 पानी)	Clear (स्पष्ट पार करना)			5 अंक			उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण
4	समानान्तर रस्सा	Clear (स्पष्ट पार करना)			5 अंक			तदैव
5	लम्बवत रस्सा	पूर्ण चढ़ना			5 अंक			तदैव

टिप्पणी -

- उपरोक्त बी०पी०ई०टी० के मूल्यांकन बी स्केल से किए जाते हैं (मच्छरदानी या ग्राउण्डशीट एवं बैकपैक व रायफल सहित) प्रशिक्षु को सभी इवेन्ट पास करने हैं। यदि प्रशिक्षु अधिकतम 2 इवेन्ट्स में अनुत्तीर्ण होता है तो वह पूरक परीक्षा में उन्हीं इवेन्ट्स में पुनः सम्मिलित होगा।
- जो प्रशिक्षु 3 या उससे अधिक इवेन्ट्स में अनुत्तीर्ण होगा, वह पूरक परीक्षा में दुबारा सभी इवेन्ट्स में सम्मिलित होगा।

5(b)(ii)-बैटल फिजीकल एन्ड्योरेन्स टेस्ट (महिलाओं हेतु समय का मानक)

उत्तीर्ण -60 प्रतिशत

कालांश-25

अंक-30

क्र.सं.	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक		
1	5 किमी० दौड़	35 मिनट	40 मिनट	45 मिनट	10	08	06
2	60 मीटर तीव्र दौड़	12 सेकण्ड	13 सेकण्ड	14 सेकण्ड	05	04	03
3	6 मीटर गड़ड़ा पानी सहित	Clear (स्पष्ट पार करना)			5 अंक		
4	समानान्तर रस्सा	Clear (स्पष्ट पार करना)			5 अंक		
5	लम्बवत रस्सा	पूर्ण चढ़ना			5 अंक		

टिप्पणी -

- उपरोक्त बी०पी०ई०टी० के मूल्यांकन बी स्केल से किए जाते हैं (मच्छरदानी या ग्राउण्डशीट एवं बैकपैक) व रायफल सहित प्रतिभागी को सभी इवेन्ट पास करने हैं। यदि अधिकतम 2 इवेन्ट्स में अनुत्तीर्ण होता है तो पूरक परीक्षा में उन्हीं इवेन्ट्स में पुनः सम्मिलित होगा।
- प्रशिक्षु जो 3 या अधिक इवेन्ट्स में अनुत्तीर्ण होगा वह पूरक परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा।

5(c)- दौड़ 100 मीटर

उत्तीर्ण 60 प्रतिशत

कालांश-6

पूर्णांक-10

पुरुष - 100 मीटर			महिला - 100 मीटर		
क्र.सं.	विषय	अंक	क्र.सं.	विषय	अंक
1	13 सेकण्ड में	10	1	15.00 सेकण्ड में	10
2	13.01 से 13.30 सेकण्ड में	08	2	15.01 से 15.30 सेकण्ड में	08
3	13.31 से 14.00 सेकण्ड में	06	3	15.31 से 16.00 सेकण्ड में	06
4	14.01 से 14.30 सेकण्ड में	04	4	16.01 से 16.30 सेकण्ड में	04
5	14.31 से 15.00 सेकण्ड में	02	5	16.31 से 17.00 सेकण्ड में	02
6	15.01 से 15.30 सेकण्ड में	01	6	17.01 से 17.30 सेकण्ड में	01

5(d)- दौड़ 400 मीटर

उत्तीर्ण 60 प्रतिशत

कालांश-06

अंक-10

पुरुष – 400 मीटर			महिला – 400 मीटर		
क्र.सं.	विषय	अंक	क्र.सं.	विषय	अंक
1	01.15 मिनट तक	10	1	01.30 मिनट तक	10
2	01.16 से 01.20 मिनट तक	09	2	01.31 से 01.35 मिनट तक	09
3	01.21 से 01.25 मिनट तक	08	3	01.36 से 01.40 मिनट तक	08
4	01.26 से 01.30 मिनट तक	07	4	01.41 से 01.45 मिनट तक	07
5	01.31 से 01.35 मिनट तक	06	5	01.46 से 01.50 मिनट तक	06
6	01.36 से 01.40 मिनट तक	04	6	01.51 से 01.55 मिनट तक	04
7	01.41 से 01.45 मिनट तक	02	7	01.56 से 02.00 मिनट तक	02

5(e)- क्रिकेट बॉल थ्रो

उत्तीर्ण 60 प्रतिशत

कालांश-6

पूर्णांक-10

पुरुष			महिला		
क्र.सं.	दूरी	अंक	क्र.सं.	दूरी	अंक
1	70 मीटर थ्रो	10	1	30 मीटर थ्रो	10
2	60 मीटर थ्रो	08	2	25 मीटर थ्रो	08
3	50 मीटर थ्रो	06	3	20 मीटर थ्रो	06
4	40 मीटर थ्रो	04	4	15 मीटर थ्रो	04
5	35 मीटर थ्रो	02	5	10 मीटर थ्रो	02

5(f)- दण्ड बैठक (पुरुष) रस्सी कूद (महिला)

उत्तीर्ण 60 प्रतिशत

कालांश-6

पूर्णांक-10

पुरुष			महिला		
क्र.सं.	विषय	अंक	क्र.सं.	विषय	अंक
1	01 मिनट में 30 दण्ड बैठक	10	1	01 मिनट में 90 जम्प	10
2	01 मिनट में 25 दण्ड बैठक	08	2	01 मिनट में 80 जम्प	08
3	01 मिनट में 20 दण्ड बैठक	06	3	01 मिनट में 70 जम्प	06
4	01 मिनट में 15 दण्ड बैठक	04	4	01 मिनट में 60 जम्प	04
5	01 मिनट में 10 दण्ड बैठक	02	5	01 मिनट में 50 जम्प	02

5(g)- Ground Work

उत्तीर्ण 60 प्रतिशत

कालांश-30

पूर्णांक-5

क्र.सं.	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	Ground Work	10	05

5(h)- Beam Work

उत्तीर्ण 60 प्रतिशत

कालांश-10

पूर्णांक-5

क्र.सं.	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	Beam Work	10	05

5(i)- Beam Balance

उत्तीर्ण 60 प्रतिशत

कालांश-10

पूर्णांक-5

क्र.सं.	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	Beam Balance	10	05

5(j)- Vaulting Horse

उत्तीर्ण 60 प्रतिशत

कालांश-10

पूर्णांक-5

क्र.सं.	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	Vaulting Horse	10	05

5(k)- Log Exercise

उत्तीर्ण 60 प्रतिशत

कालांश-10

पूर्णांक-5

क्र.सं.	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	Log Exercise	10	05

5(1)- पी०टी० एवं ऐपरेटस वर्क

उत्तीर्ण 60 प्रतिशत

कालांश-50

पूर्णांक-30

पुरुष			महिला		
क्र.सं.	विषय	अंक	क्र.सं.	विषय	अंक
1	पी०टी० एक्सरसाइज	07	1	पी०टी० एक्सरसाइज	10
2	कमाण्ड लीडरशिप	07	2	कमाण्ड लीडरशिप	10
3	सामने लुढ़क	03	3	लम्बी कूद	05
4	पीछे लुढ़क	03	4	ऊँची कूद	05
5	रस्सा	10	5	-	-
योग		30	योग		30

रस्सा चढ़ने के आधार पर अंकों का वर्गीकरण

पुरुष			महिला		
क्र.सं.	विषय	अंक	क्र.सं.	विषय	अंक
1	प्रथम श्रेणी चढ़ने पर	10	1	-	-
2	द्वितीय श्रेणी चढ़ने पर	07	2	-	-
3	तृतीय श्रेणी चढ़ने पर	04	3	-	-

नोट -

- लम्बा घोड़ा, चौड़ा घोड़ा एवं वालबार्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा किन्तु मूल्यांकन नहीं होगा।
- महिला प्रशिक्षुओं को लम्बा घोड़ा, चौड़ा घोड़ा सम्बन्धी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा।

षष्ठम समूह – यू०सी०ए०, योगासन एवं बाधा कोर्स

पूर्णांक-100

कालांश-143

मॉड्यूल 6(a): यू०ए०सी०

कालांश- 53

पूर्णांक - 50

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	Lecture	1
2	विभिन्न हमले - पंच कोहनी, स्ट्राइक्स, घुटना स्ट्राइक और लात	50
3	चोक से मुक्ति (खड़े दशा में)	
4	चोक से मुक्ति (खड़े दशा में - पीछे की तरफ धक्का देने पर)	
5	चोक से मुक्ति (खड़े दशा में - आगे की तरफ धक्का देने पर)	
6	गर्दन पर रखे चाकू की हमले से बचाव (अन्तर से) with variation	

7	साइड से चाकू की हमले से बचाव (हमलावर एक हाथ पकड़े है)	
8	सिर पर चाकू के हमले से बचाव	
9	चाकू के हमले से विभिन्न अंगों का बचाव	
10	सामने से पिस्टल की धमकी से बचाव	
11	पीछे से पिस्टल की धमकी से बचाव	
12	आगे की तरफ फॉल	
13	पीछे की तरफ फॉल	
14	आगे लुढ़क	
15	सामने से रायफल से बचाव	
16	पीछे से रायफल से बचाव	
17	Throws and counter	1
18	Practical/ Test Flight in ring	1
	कुल कालांश	53

मॉड्यूल 6(b): योगासन

कालांश-50

पूर्णांक-30

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	परिचय, परिभाषा एवं योगासन का अर्थ	50
2	विभिन्न प्रकार के योगासन एवं प्राणायाम	
	कुल कालांश	50

नोट-

- प्रशिक्षकों को कॉमन योगा प्रोटोकाल / प्राणायाम / आयुष के अनुसार आसन / ध्यान सिखाया जायेगा एवं उपरोक्त की परीक्षा करायी जायेगी।

मॉड्यूल 6(c): बाधा कोर्स

कालांश- 40

पूर्णांक-20

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	बाधा कोर्स	40
	कुल कालांश	40

बाधा कोर्स (बी0ओ0ए0सी0) हेतु अंकों का निर्धारण

क्र.सं.	पुरुष प्रशिक्षु 10 बाधाएं (3 मी0 दीवार सहित) बिना किसी सहयोग	अंक	क्र.सं.	महिला प्रशिक्षु 10 बाधाएं (2.25 मी0 दीवार सहित) सहयोग के साथ	अंक
1	<=90 सेकेण्ड	20	1	<=110 सेकेण्ड	20
2	<=95 सेकेण्ड	18	2	<=115 सेकेण्ड	18
3	<=100 सेकेण्ड	16	3	<=120 सेकेण्ड	16
4	<=105 सेकेण्ड	14	4	<=125 सेकेण्ड	14
5	<=110 सेकेण्ड	12	5	<=130 सेकेण्ड	12
6	<=115 सेकेण्ड	11	6	<=135 सेकेण्ड	11
7	<=120 सेकेण्ड	10	7	<=140 सेकेण्ड	10
8	<=125 सेकेण्ड	08	8	<=145 सेकेण्ड	08

नोट – यदि बहुत अधिक सहयोग लिया गया है, परीक्षक -1 अंक से दण्डित करेगा।

सप्तम प्रश्नपत्र –स्किल्स

कालांश- 187

पूर्णांक-180

मॉड्यूल 7(a): ड्राइविंग

कालांश-60

पूर्णांक-60

क्र.सं.	विषय	कालांश	अंक
1	ड्राइवर के संकेत	15	7
2	ट्रैफिक संकेत (हाथ द्वारा)		8
3	ट्रैफिक रडार		5
प्रयोगात्मक			
1	ड्राइविंग फारवर्ड	37	07
2	ड्राइविंग रिवर्स		07
3	दिये गये आकार में रिवर्स एवं फारवर्ड ड्राइविंग		05
4	एम टी थ्योरी		06
5	Documentation — Log Book , History Sheet etc and Duties of MTO	2	04
6	MT Accident reporting	2	04
7	Convoy Drill	2	04
8	Check and Maintenance of Documents & Vehicles	2	03
	कुल कालांश	60	60

मॉड्यूल 7(b): तैराकी

कालांश-54

पूर्णांक -50

क्र.सं.	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	तैराकी	54	50
	कुल कालांश	54	50

परीक्षा हेतु अंकों का निर्धारण

क्र.सं.	मिनट सेकण्ड के अन्दर	पूर्णांक
	50 मीटर फ्रीस्टाइल	
1	<=00:50 मिनट	50
2	<=01:00 मिनट	48
3	<=01:10 मिनट	46
4	<=01:20 मिनट	44
5	<=01:30 मिनट	42
6	<=01:40 मिनट	36
7	<=01:50 मिनट	30
8	<=02:00 मिनट	25
	अपना समय	-

मॉड्यूल 7(c): घुड़सवारी

कालांश-60

पूर्णांक -50

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	घोड़े के साथ सावधान विश्राम	07
2	रकाव सहित व रकाव रहित घोड़े पर सवार होना व उतरना	08
3	घोड़े पर सवार होना व आगे बढ़ना	07
4	दुलकी चाल बिना रेंजिंग, सही सहायता का इस्तेमाल	08
5	रकाव की फिटिंग, घोड़े पर चढ़ना उतरना व दुलकी (बिना सहायता)	08
6	दुलकी, मुड़ना, घेरे में सीधे में सवारी	08
7	जम्प (कूदों) से परिचय व अभ्यास	07
8	परीक्षा अभ्यास	07
	कुल कालांश	60

घुड़सवारी की अन्तिम परीक्षा में अंक देने का तरीका/मानक

क्र.सं.	गतिविधि	अंक
1	घोड़े पर चढ़ना / उतरना, अश्वशाला प्रबन्धन मौखिक प्रश्न	10
2	कदम चाल	10
3	दुलकी चाल	10
4	सरपट	10
5	जम्प	10
योग		50

नोट –

- किसी भी चरण में सवार के गिरने पर पेनल्टी (-1) और सवार को आरम्भ स्थान से पुनः अवसर दिया जायेगा। प्रशिक्षु द्वारा हिस्से में आये निर्धारित घोड़े पर सवारी न करने पर 2 अंक काटे जायेंगे।

सन्दर्भ -

- घुड़सवारी पर ट्रेनिंग फिल्म।
- घुड़सवारी व अश्वशाला प्रबन्धन पर पुस्तक।

नोट- घुड़सवारी का प्रशिक्षण नजदीक जनपद में कराया जाये। उस दौरान के आउटडोर के कालांश सुबह/शाम करा लिये जायें तथा इण्डोर के समय प्रयोगात्मक कार्य करा लिया जाये।

मॉड्यूल 7(d) : चिकित्सा / प्राथमिक उपचार

कालांश-13

पूर्णांक - 20

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	सामान्य प्राथमिक उपचार,	2
2	रक्तस्राव का नियंत्रण	1
3	उच्च ऊंचाई का प्रभाव	1
4	हीट स्ट्रोक ,हाइपर पायरेक्सिया आदि के लिए निवारक उपाय	2
5	मलेरिया -कारण और रोकथाम	2
6	व्यक्तिगत स्वच्छता सहित साफ-सफाई और स्वच्छता	2
7	सांप के काटने के मामले और रोकथाम	1
8	एचआईवी ,इसके कारण और निवारक उपाय	1
9	डूबना	1
कुल कालांश		13

खेलकूद, विभिन्न इकाइयों द्वारा कराई जाने वाली मॉक ड्रिल

कालांश-128

खेलकूद

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	विभिन्न प्रकार के खेलों का परिचय एवं नियम	80
	क्रिकेट	
	वॉलीबाल	
	हैण्डबाल	
	रस्सा कसी	
	फुटबाल	
	बाधा	
	फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी	
	बार्सेटबॉल	
2	खेल कालांश (टोली वार)	
	कुल कालांश	80

नोट-

- अधिकांशतः वह खेल खिलाये जायेंगे जिसमें टीम में अधिक से अधिक प्रशिक्षु खेल सकें। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बार्सेटबॉल, हैण्डबॉल, बॉलीबाल आदि।

विभिन्न इकाइयों द्वारा कराई जाने वाली मॉक ड्रिल

क्र.सं.	यनिट	कालांश
1	ATS / कमाण्डों द्वारा नक्सल / आतंकवाद / अर्बन टैक्टिक्स पर मॉक ड्रिल	12
2	NDRF / SDRF द्वारा ऑपरेशनल मॉकड्रिल	6
3	अग्निशमन इकाई द्वारा ऑपरेशनल मॉकड्रिल	6
4	STF द्वारा विशिष्ट ऑपरेशन की ड्रिल (सर्विलांस के प्रयोग सहित)	6
5	डायल 112 द्वारा जनपदीय पुलिस के साथ कार्य करने का डेमो	6
6	1090 / 1098 द्वारा ऑपरेशनल मॉकड्रिल	6
7	बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा बम डिस्पोजल सम्बन्धित ड्रिल	6
	कुल योग	48
	बाह्य विषयों के सम्पूर्ण कालांशों का योग	1362

संवेदीकरण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

व्यवहारिक प्रशिक्षण

क्र.सं.	विषय	अवधि	अंक
ग्रामीण थाने में प्रधान लेखक के रूप में			
1	ड्यूटी रोस्टर, रोजनामचा-आम का रखरखाव	प्रथम माह	2
2	थाने के अन्य अभिलेखों, नियत नक्शे	प्रथम माह	2
3	रिपोर्ट (रिटर्न्स) का कार्य	प्रथम माह	2
4	लेखा कार्य जिसमें स्टाफ का टी0ए0 बिल तैयार करना	प्रथम माह	2
5	पुलिस तथा सी0आई0डी0 गजट का उपयोग करना	प्रथम माह	2
6	शिकायती प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति एवं निस्तारण	प्रथम माह	2
7	प्रशिक्षु उप-निरीक्षक को प्रातः परेड में शामिल होना चाहिए तथा अपने से नीचे पदस्तर के कर्मियों की किट का निरीक्षण तथा उनके ज्ञान चैक करने के लिए उनसे प्रश्न करने चाहिए	प्रथम माह	3
पूर्णांक			15

वरिष्ठ उप-निरीक्षक के साथ सम्बद्ध रहते हुए			
1	अपराध निरोध - निगरानी, अवांछनीय तत्वों के ठहरने के स्थान जैसे - होटल, धर्मशाला, सराय या अन्य सार्वजनिक स्थानों एवं बाजारों में चेकिंग करना ।	द्वितीय माह	2
2	अपराध एवं अपराधियों से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्रित करने की विधि जानना	द्वितीय माह	3
पूर्णांक			5

थानाध्यक्ष के साथ सम्बद्ध किये जाने पर -			
1	पंचायतनामा तथा कम से कम 6 विवेचनाओं के समय साहचर्य	तृतीय माह	3
2	वैज्ञानिक परीक्षण के सूत्र खोजना एवं एकत्र करना तथा स्वतंत्र रूप से केस डायरी लिखना	तृतीय माह	3
3	क्षेत्राधिकारी के साथ न्यूनतम 2 जाँच व विवेचना करना	तृतीय माह	3
4	क्षेत्राधिकारी के साथ न्यूनतम 1 निरीक्षण पर जाना	तृतीय माह	3
5	भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था एवं उनको तितर-बितर करने की व्यवस्था	चतुर्थ माह	2
6	राजनीतिज्ञों, मीडिया, पंचायत सदस्यों, जन सामान्य, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके आपसी सामंजस्य एवं युक्ति का विकास करना	चतुर्थ माह	2
7	जन सामान्य के साथ अच्छा व्यवहार के बारे में जानना एवं	चतुर्थ माह	2

	आचार- व्यवहार के बारे में जानना		
8	सामाजिक, विधिक जानकारी, पुलिस का जनता के साथ सामाजिक व्यवहार तथा रिपोर्ट लिखने की कला प्राप्त करना	चतुर्थ माह	2
		पूर्णांक	20
अभियोजन से सम्बन्धित प्रशिक्षण			
1	अभियोजन अधिकारी के संरक्षण में अभियोजन की जानकारी	पंचम माह	2
2	कार्यालय के कार्यों की जानकारी	पंचम माह	2
3	चालानों की विवेचना और उनकी संक्षिप्त रिपोर्ट बनाना	पंचम माह	2
4	पुलिस अभियोजन अधिकारी के साथ सत्र न्यायिक केस की शुरू से आखिर तक की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करना	पंचम माह	3
5	गवाहों का क्रॉस परीक्षण, अभियोजन पक्ष के वकील तथा बचाव पक्ष के वकील की दलीलों के बारे में समझना	पंचम माह	3
6	जेल मैन्युअल तथा कैदियों की पहचान तथा उनसे सम्बन्धित रिपोर्ट बनाने की जानकारी	पंचम माह	3
		पूर्णांक	15
जिले की इकाई में सम्बद्धता के समय			
1	जिले की विशेष इकाई, अपराध शाखा, एच0ओ0बी0 शाखा में सम्बद्ध रहते हुए जिले के अपराध, अन्तर जिला अपराध, अन्तर प्रान्तीय अपराध के बारे में जानना	षष्ठम माह	5
		पूर्णांक	5
जनपद के औसत थाने में कनिष्ठ उप-निरीक्षक और अतिरिक्त विवेचना अधिकारी के रूप में नियुक्ति			
1	विविध अपराधों की विवेचना करना	सप्तम एवं	8
2	थाने के विविध क्रिया कलापों में प्रतिभाग करना	अष्टम माह	2
		पूर्णांक	10
जनपद के शहरी थाने जहाँ पर अपराध बहुलता हो वहाँ पर अतिरिक्त विवेचनाधिकारी के रूप में नियुक्त			
1	प्रशिक्षु रात्रि गश्त, बीट कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण	नवम माह	3
2	यातायात, सर्राफा बाजार, कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित मामले	नवम माह	3
3	औद्योगिक समस्याएँ, सफेदपोश अपराध स्मगलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना	दशम माह	4
		पूर्णांक	10
पुलिस अधीक्षक के साथ सम्बद्धता के समय			
1	पुलिस अधीक्षक के वाचक के रूप में कार्य करना	एकादश माह	3
2	प्रातःकालीन परेड में शामिल होना/गणना कार्यालय का कार्य/किट परेड	एकादश माह	3
3	रिजर्व पुलिस लाइन के कार्यों को सीखना/महिला थाना/साइबर	एकादश माह	4

	थाना/पर्यटक थाना		
		पूर्णांक	10
पी0ए0सी0 वाहिनी के साथ सम्बद्धता के समय			
1	भीड़ नियन्त्रण / भीड़ का बिखराव, दस्यु उन्मूलन कार्यवाही	द्वादश माह	3
2	हिंसा युक्त आन्दोलनों में आर्म्ड पुलिस की कार्य प्रणाली जानना	द्वादश माह	2
3	आर्म्स पुलिस द्वारा प्रयोग किये जाने वाले शस्त्रों की हैंडलिंग करना तथा फील्ड क्राफ्ट की जानकारी सीखना	द्वादश माह	3
4	01 सप्ताह से अधिक समय के लिए किसी आर्म्ड पुलिस पार्टी के साथ सम्बद्ध होंगे	द्वादश माह	2
		पूर्णांक	10
		सम्पूर्ण योग	100

प्रशिक्षु, प्रशिक्षक एवं संस्था का फीडबैक

अन्तःकक्ष के प्रशिक्षक हेतु फीडबैक

प्रशिक्षण सत्र –

कोर्स का नाम –

प्रशिक्षु नाम –

चेस्ट नं० –

प्रशिक्षक का नाम – श्री

क्र.सं.	फीडबैक का प्रकार	अच्छा (अंक 01)	उत्तम (अंक 02)	अतिउत्तम (अंक 03)	उत्कृष्ट (अंक 04)
1	समझाने का तरीका				
2	क्या प्रशिक्षक ने सिलेबस पूरा किया				
3	क्या विस्तृत रूप से विषय को समझाया				
4	प्रशिक्षक का उच्चारण कैसा था				
5	टिप्पणी अन्य/सुझाव				

बाह्य कक्ष के प्रशिक्षक हेतु फीडबैक

प्रशिक्षण सत्र –

कोर्स का नाम –

प्रशिक्षु नाम –

चेस्ट नं० –

प्रशिक्षक का नाम – पदनाम / श्री

क्र.सं.	फीडबैक का प्रकार	अच्छा (अंक 01)	उत्तम (अंक 02)	अतिउत्तम (अंक 03)	उत्कृष्ट (अंक 04)
1	समझाने का तरीका				
2	क्या प्रशिक्षक ने सिलेबस पूरा किया				
3	क्या विस्तृत रूप से विषय को समझाया गया				
4	प्रशिक्षक की कमाण्ड एवं कंट्रोल का स्तर				
5	टिप्पणी अन्य सुझाव /				

संस्था का फीडबैक हेतु प्रारूप

कोर्स का नाम द्वारा दिये गये फीडबैक का विवरण											
प्रशिक्षु											
क्र.सं.	चेस्ट नं.	प्रशिक्षु का नाम	पुस्तकालय	आवासीय व्यवस्था	आनलाइन क्लास की गुणवत्ता	मेस व्यवस्था	बिजली व्यवस्था	मनोरंजन सुविधा	स्टाफ का व्यवहार	कैन्टीन व्यवस्था	औसत रेटिंग
1	-	-	3	3	3	4	5	6	7	8	4.9
सम्पूर्ण कोर्स के फीडबैक की रेटिंग											3.5



(प्रशान्त कुमार)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ